गुरूवार
10 मई 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

पृष्ठ

अंक ५८––गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ ... २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ ... २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका ... २३१९–२०

अंक ५९––शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ ... २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ ... २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ ... २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका ... २३५५–५६

अंक ६०––सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ... २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ ... २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ... २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ – प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

गुरुवार, १० मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तटीय नौवहन

†*२०८४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६५० क उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तटीय नौवहन की भाड़े की दर में वृद्धि का सम्बन्धित पदार्थों के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : तटीय नौवहन की भाड़े की दर में वृद्धि का सम्बन्धित वस्तुओं पर परिवहन पर क्या प्रभाव हुआ है इसका अंदाज़ा लगाना कठिन है । परन्तु जहां तक सरकार को मालूम है, सम्बन्धित वस्तुओं के परिवहन पर इसका कोई उल्टा प्रभाव नहीं पडा है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इसका अर्थ मैं यह समझ लूं कि तटीय नौवहन में निश्चित रूप से कोई कमी नहीं होगी या उसके स्थान पर परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग नहीं किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : ऐसा कोई संकेत नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को देखते हुये कि तटीय जहाज़ काफी सामान नहीं ले जाते हैं, क्या सरकार का यह विचार है कि भाड़े की दर मे इस वृद्धि से तटीय नौवहन में अग्रेतर कमी होगी और क्योंकि लोग सामान रेल द्वारा भेजना चाहेंगे इस लिये रेलवे पर अतिरिक्त भार पड़ जायगा ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य ने जो स्थिति बताई है वास्तव में स्थिति उसके बिलकुल विपरीत है । लदान अधिक है और जहाज़ों की कमी है ।

चावल और धान

*२०८५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के लिये मूल्य सहायता नीति के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस वर्ष ३१ जनवरी, १९५६ तक रेलवे स्टेशनों वाली मंडियों में कितने मन चावल और धान खरीदा गया ;

(ख) भीतर के इलाकों के बाजारों में से कितनी मात्रा में खरीद की गई ;

(ग) सरकार ने यह चावल और धान स्वयं अपनी एजेंसी द्वारा खरीदा अथवा ठेकेदारों के जरिये ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि यह खरीद ठेकेदारों के द्वारा हुई तो उनको किस दर से कमीशन दिया गया।

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). कुछ नहीं।

(ग) तथा (घ). (क) तथा (ख) के जवाब के अनुसार, ये सवाल ही नहीं उठते।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने जो नीति बनाई थी कि प्राइस पालिसी के अनुसार धान और चावल खरीदा जायेगा, उसके अनुसार उसने धान और चावल खरीदा ही नहीं, या उस को मिला ही नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सरकार को मिला ही नहीं। चूंकि हम लोगों ने इस स्कीम को बहुत पहले अनाउंस कर दिया और उस के कारण दाम बहुत बढ़ा गया इसलिये इस स्कीम के अन्दर हम खरीद नहीं सके।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहूंगा कि यह दाम कब से बढ़े, क्या जब से सरकार ने खरीदना छोड़ दिया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जब किसान के पास से धान आया उस के बाद से उसका दाम बढ़ गया।

श्री कासलीवाल : गवर्नमेंट ने जो यह राइस स्टाक्स बनाये हैं, या जो राइस स्टाक्स खोले हैं, वह बर्मा राइस के हैं या अपने देश में राइस खरीदा गया उसके भी हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : दोनों हैं, लेकिन बर्मा से आने वाला चावल ज्यादा है।

†**श्री बूबराघस्वामी** : सरकार द्वारा हाथ से कुटा हुआ कितना चावल खरीदा गया है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : इस वर्ष हमारे पास हाथ से कुटा हुआ चावल अधिक नहीं है; परन्तु हम हाथ से कुटा हुआ चावल खरीदा करते थे। केवल उड़ीसा में हमें हाथ से कुटा हुआ कुछ चावल मिलता है; हमें भारत में अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलता है।

स्नात्तकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षण

†*२०८७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) भारत में वे स्थान कौन से हैं जहां कान, नाक और गले, की चिकित्सा के सम्बन्ध में स्नात-कोत्तर प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार का एक ऐसी अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें आधुनिकतम उपकरण हों और उंचित अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी कर्मचारी हों ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ख) नई दिल्ली की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में कान, नाक और गले की चिकित्सा के सम्बन्ध में एक विभाग होगा जिसमें आधुनिकतम उपकरण तथा अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी कर्मचारी होंगे।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : जिन कालिजों की चर्चा की गई है उनमें अध्ययन समाप्त करने के बाद क्या कोई डिप्लोमा भी दिया जाता है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : उनके पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें डिप्लोमा दिया जाता है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या यह सच है कि बहुत से विद्यार्थी डी० एल० ओ० की डिग्री के लिये विदेश गये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार भारत में भी वह स्तर स्थापित करने की बात सोच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : यदि माननीय सदस्य अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में स्तर की चर्चा कर रहे हैं तो वह निश्चय ही वर्तमान स्तर के बराबर होगा और मुझे आशा है कि उस से भी उच्च होगा ।

खनिज उद्योग के लिये वैगन

†***२०९०. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन माइनिंग एसोसियेशन, इंडियन माइनिंग फेडरेशन, तथा इंडियन माइनिंग ओनर्स एसोशियेशन का एक संयुक्त तार प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से, कोयला ढोने वाले वैगनों के शीघ्र संभरण की प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :(क) जी, हां ।

(ख) कोयले की लदाई के लिये वैगनों का संभरण के लिये रेलवे प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न कर रही है ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें कितने और वैगन्स ऐलाट किये गये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : बंगाल-बिहार कोयले की खानों का लक्ष्य ३,२५० टन रखा गया है । अप्रैल में २७–४–५६ तक प्रति दिन ३,४३१ टन लदाई हुई है जो कि लक्ष्य से पर्याप्त अधिक है ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या इस वर्ष दिये गये वैगनों की संख्या, पहले वर्ष की संख्या से अधिक है अथवा नहीं ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां । यह संख्या निश्चित रूप से पहले वर्ष से अधिक है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : बिहार के कोयला खानों के स्वामियों की क्या मांग है तथा ठीक संभरण क्या हुआ है ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह विभिन्नता कब तक दूर होगी ?

†**श्री अलगेशन** : जितना हम संभरण करने में समर्थ हैं उससे उनकी मांग कुछ अधिक है । परन्तु इन मांगों का, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, समायोजन कोयला आयुक्त करते हैं । हम उनकी मांगों को पर्याप्त रूप से पूर्ण करते हैं ।

रेलवे कर्मचारी

***२०९१. श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वरिष्ठता के प्रयोजन के उत्तर रेलवे में ५५–१३० रुपये के वेतन-मापदण्ड में दिल्ली-रेवाड़ी-फाजिलका सेक्शन के कर्मचारियों की तुलना में भूतपूर्व बीकानेर रेलवे के कर्मचारियों को उनके द्वारा टिकट कलक्टरों, माल क्लर्कों और नम्बर टेकरों के रूप में की गई सेवा को ही जोड़ा है और उस ग्रेड के पूरे साल काल को नहीं जोड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) एक्स-बीकानेर स्टेट रेलवे में टिकट कलक्टर, नम्बर टेकर और माल-बाबुओं का चुनाव दूसरी श्रेणियों के कर्मचारियों में से किया जाता था, क्योंकि इनकी सीधी भर्ती नहीं होती थी । इस तरह किसी खास श्रेणी में बदल कर आने पर कर्मचारियों की सीनियारिटी भी उनके तबादले की तारीख से मानी जाने लगी । यूनियन की सलाह से उत्तर रेलवे इस मामले पर फिर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान समय में क्लर्कों और स्टेशन मास्टर्स को रेलवे विभाग के द्वारा अधिक तरक्की नहीं दी जाती है, और जो लोग सीनियर हैं उनको मौका न देकर दूसरे लोगों को सीधे ले लिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जो अभी माननीय सदस्य ने कहा, वही उन्होंने अपने सवाल में भी पूछा है, और उसका जवाब यह दिया गया है कि इस में कुछ ऐसी बात जरूर है कि जिस से कि स्टाफ को दिक्कत हुई । इस लिये जो रेलवे वर्कर्स की यूनियन्स हैं उनकी सलाह से हम इस पर फिर विचार कर रहे हैं और जो कुछ कमी रह गई है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे ।

कनकनी कोयले की खानें

†*२०९२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनकनी कोयले की खानों के निकट रेलवे की पटरी जमीन में धंस गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भोवरा कनकनी लिमिटेड के प्रबन्धकों से किसी हरजाने की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि मांगी गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे बोर्ड ने कोई कार्यवाही की है कि उन क्षेत्रों से कोयला न निकाला जाय जहां से रेलवे की पटरी गुजरती है ?

†**श्री अलगेशन :** यह सामान्य प्रकार की सावधानी है तथा मेरा विचार है इनका पालन भी किया जाता है ।

घरेलू नौकर

*२०९४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों तथा नगरों में घरेलू नौकरों की कठिनाइयों और असुविधाओं को दूर करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : घरेलू कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन कानून में लाने के प्रश्न पर १९५४-५५ में विचार किया गया था, और राज्य सरकारों की इस बारे में सलाह ली गई थी । अधिकतर राज्य सरकारें इसके पक्ष में नहीं थीं । इस कानून को घरेलू कर्मचारियों के लिये अमल मे लाना कठिन मालूम हुआ । इसके अलावा इसको लागू करने से इन कर्मचारियों की संख्या घट जायागी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि दूर न जा कर के यहीं दिल्ली में जहां कि केन्द्रीय सरकार की राजधानी है, आये दिन घरेलू कर्मचारियों को गाली-गलौज डांट-डपट या मार-पीट का सामना करना पड़ता है, और क्या गवर्नमेंट इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं करती कि उनकी स्थिति में सुधार किया जाय ?

श्री आबिद अली : इस बारे में यूनियन की तरफ से एक पत्र आया था जिस को कि दिल्ली सरकार के पास भेज दिया गया था कि वह जो मुनासिब समझें वह कार्यवाही करें ।

श्री भक्त दर्शन : इस समय श्रम सम्बन्धी जो कानून हैं क्या गवर्नमेंट ने उन सब की जांच कर ली है कि उनमें से कोई धारा घरेलू कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू की जा सकती है या नहीं, या उनके सिवा कोई नया कानून इस सम्बन्ध में बन सकता है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आबिद अली : मैंने जवाब में भी अर्ज किया है कि इन कानूनों को घरेलू कर्मचारियों के लिये अमल में लाना कठिन मालूम होता है, इसलिये उन को लागू नहीं किया गया है। यह भी डर है कि ऐसा करने से उन की संख्या भी कम हो जायेगी। अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी यही जवाब आया है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने इस विषय में कोई सर्वेक्षण किया है या करने का विचार कर रही है कि इस वक्त देश भर में कितने घरेलू कर्मचारी हैं और उन को कितना वेतन मिलता है? क्या इस प्रकार के आंकड़े जमा किये गये हैं या जमा करने का विचार किया जा रहा है।

श्री आबिद अली : यह मामला स्टेट गवर्नमेंट्स से सम्बन्ध रखता है और उनकी निगरानी में है। हमारे पास इस बारे में जो खत आया था, उसको हमने स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिया था और उसी पर छोड़ दिया था कि वह जो कार्यवाही मुनासिब समझें करें।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** राज्य सरकारों को छोड़कर केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में घरेलू कर्मचारियों के काम के घंटों को नियंत्रित करने के बारे में क्या भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव है?

†**श्री आबिद अली :** जी, नहीं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन लोगों का एक संगठन है और उस ने कुछ डिमांड्स पेश की हैं? उनकी डिमांड्स क्या हैं?

श्री आबिद अली : हमारे पास सिर्फ दिल्ली की घरेलू कर्मचारी यूनियन की तरफ से एक खत आया था, जिसमें काम के घंटे, वेतन और छुट्टियों वगैरह की बातें थीं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या गवर्नमेंट यह महसूस करती है कि ये डिमांड्ज इम्प्रैक्टिकेबल हैं और काम में नहीं लाई जा सकती हैं?

श्री आबिद अली : इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं।

भविष्य निधि

†*२०९५. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग, भविष्य निधि में अंशदान को कुल उपलब्धि के ६ १/४ प्रतिशत भाग से बढ़ा कर ८ १/३ प्रतिशत कर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बढ़ी हुई दरें कर्मचारियों तथा नियोजकों दोनों पर लागू होंगी; और

(ग) क्या उपलब्धि के अंशदान में मूल मजूरी, महंगाई भत्ता तथा खाना भत्ता भी सम्मिलित होगा?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग). योजना आयोग की राय है कि अंशदान की दरों को ६ १/४ प्रतिशत से बढ़ाकर ८ १/३ प्रतिशत कर देने के प्रस्ताव पर और विचार हाना चाहिये।

†**श्री शिवनंजप्पा :** इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**श्री आबिद अली :** मामले पर विचार किया जा रहा है। आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के पश्चात्, हम निर्णय करेंगे।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या इसके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित होने की आशा है?

†**श्री आबिद अली :** इसी पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** इस कर्मचारी भविष्य निधि को उन उद्योगों पर लागू करने का विचार था जिसमें दस हजार कर्मचारी हों। इस प्रस्ताव पर मई १९५५ में भारतीय श्रम सम्मेलन में

†मूल अंग्रेजी में

चर्चा हुई थी तथा राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इसको स्वीकार कर लिया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य कर्मचारियों पर इस योजना को लागू करने में विलम्ब क्यों हो रहा ?

†**श्री आबिद अली** : कोई विलम्ब नहीं है। मामले में आवश्यकतानुसार कार्य किया जा रहा है तथा हमें आशा है कि हम शीघ्र ही अधिनियम को कुछ अन्य उद्योगों पर लागू करेंगे ?

†**श्री पुन्नूस** : क्या इसको चाय बागानों के कर्मचारियों पर लागू करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो प्रस्ताव किस स्तर पर है ?

†**श्री आबिद अली** : आसाम में भविष्य निधि कर्मचारियों तथा नियोजक दोनों से एकत्रित की जाती है। यह उन पर लागू है। अन्य राज्यों के चाय बागान कर्मचारियों को भी हम अधिनियम में लाना चाहते हैं, परन्तु भविष्य निधि अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक है। जैसे संभव होगा वैसे ही यह किया जायेगा।

पर्यटक चलचित्र

†*२०९८. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी तथा भारतीय गैर-सरकारी संस्थाओं ने भारत के सम्बन्ध में पर्यटक चलचित्र बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों तथा संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्हों ने उनको बनाया है ;

(ग) क्या फिल्मस डिवीजन, अपने मंत्रालय के लिये कोई पर्यटक चलचित्र बना रहा है ;

(घ) १९५६-५७ में इस प्रकार के कितने चलचित्र बनेंगे ;

(ङ) इनके विषय क्या होंगे ; और

(च) क्या कुछ प्रतियां फ्रांसीसी तथा कुछ हिन्दी में होंगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क), (ग) और (च) जी, हां।

(ख), (घ) और (ङ) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३९]**

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या विदेशों की संस्थाओं द्वारा बनाये गये पर्यटक चलचित्रों के सम्बन्ध में हमारी सरकार से भी राय आदि पूछी जाती है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां।

†**श्री गडिलिंगन गौड़** : क्या इस संस्था को कुछ सहायता भी दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि यह संस्था धन क्यों व्यय करती है तथा ऐसे चलचित्र बनाती है जिसमें हमारे देश को दिलचस्पी है ?

†**श्री अलगेशन** : कोई सहायता नहीं दी जा रही है ; परन्तु एक शर्त है हम वितरण के लिये कितनी ही प्रतियां खरीदते हैं तथा एक निश्चित दर पर भुगतान किया जाता है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इन विभिन्न चलचित्रों, का वितरण, विदेशों में किस प्रकार किया जाता है ? वहां वह किस प्रकार दिखाई जाती हैं ? क्या विदेशों के गैर सरकारी वितरकों ने भी इन पर्यटक चलचित्रों की मांग की है ?

†**श्री अलगेशन** : सामान्यतः ये चलचित्र विदेशों में हमारे दूतावासों को, प्रदर्शन के लिये भेजी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या गैर सरकारी संस्थाओं तथा फिल्मस डिवीज़न द्वारा बनाये गये विभिन्न चलचित्रों के समन्वय करने का कोई अभिकरण है जिससे चलचित्र दोबारा न बनाये जा सकें ?

†**श्री अलगेशन** : सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर इसका भार है। जहां तक पर्यटक चल चित्रों का सम्बन्ध है, परिवहन मंत्रालय के पर्यटक डिवीजन का परामर्श लिया जाता है।

†**श्री कासली वाल** : क्या पर्यटक जहाजों पर इस प्रकार के चलचित्रों को दिखाने का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं यह नहीं बता सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या पर्यटक जहाजों पर इस प्रकार के चलचित्रों को दिखाने का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं कह नहीं सकता।

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया है या तैयार करने का विचार है कि अधिक से अधिक पांच वर्षों में देश का कोई भी रमणीक स्थान न रह जाय, जिसके बारे में वृत्त-चित्र तैयार न हो ?

†**श्री अलगेशन** : इस में सभी ऐसे मामले आ जायेंगे जिसमें कि पर्यटकों की दिलचस्पी हो तथा इसका सम्बन्ध सभी ऐसे स्थानों से होगा जो कि पर्यटक महत्व के हों।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या इन विदेशियों द्वारा बनाये गये चलचित्रों की जांच की जाती है कि इनमें पूर्ण रूप से कोई आपत्तिजनक बात नहीं है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : मैं समझा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या इन विदेशियों द्वारा बनाये गये चलचित्रों की जांच की जाती है कि इनमें कोई आपित्तजनक मामला नहीं है।

†**श्री अलगेशन** : सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन मामलों में विशेषज्ञ है तथा वह ही इस पहलू पर विचार करता है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : विवरण से यह जानकारी होती है कि १९५६-५७ में लगभग १६ चलचित्र बनेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन से चलचित्र दक्षिणी भाषाओं में बनाये जायेंगे।

†**श्री अलगेशन** : हमारा फ्रांसीसी तथा हिन्दी में कुछ चलचित्र बनाने का विचार है। इस समय इन दोनों भाषाओं तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में बनाने का विचार नहीं है।

कृषि शिक्षा

†*२०९९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि शिक्षा बढ़ाने के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के कालेजों के साथ जो व्यवस्था की गई है वह कब तक जारी रहेगी ;

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने कालिजों ने, इस कार्यक्रम में भारतीय सहायता करना स्वीकार किया है ;

(ग) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में कितना व्यय होगा ; और

(घ) इस व्यय का कितना भाग भारत सरकार वहन करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) इस समय समझौता ३० मार्च, १९५८ तक है ।

(ख) पांच

(ग) ३,६०७,९०० डालर उपकरण तथा संविदा सेवाओं के व्यय के रूप में तथा १,७००,००० रुपये स्थानीय व्यय जैसे विशेषज्ञों की अनुसचिवयि सेवाओं के व्यय स्थानीय परिवहन सीमा शुल्क के व्यय, उपकरण, पुस्तक आदि के परिवहन तथा ढोने के व्यय के रूप में ।

(घ) १७,००,००० रुपये का व्यय भारत सरकार करेगी परन्तु यह समस्त धनराशि अन्त में, सम्बन्धित लाभदायक संस्थाओं से वसूल कर ली जायेगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस योजना के अन्तर्गत किन कृषि कालिजों को सहायता दी जा रही है तथा इनको किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : देश के समस्त कालिजों को पांच खण्डों में बांटा गया है, तथा उनको अमेरिका की पांच संस्थाओं से सम्बद्ध कर दिया गया है । उन्होंने दो व्यक्ति सर्वेक्षण करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भेजे हैं । प्रतिवेदन के अनुसार हमने कार्यवाही की है । लगभग सात अमेरिकी विशेषज्ञ यहां आये हैं तथा हमने अपने कुछ व्यक्तियों को अमेरिकी संस्थाओं में भेजा है ।

श्री विभूति मिश्र : जो पढ़ाई यहां के एग्रिकल्चरल कालिजों में होती है, क्या उससे हिन्दुस्तान का काम पूरा नहीं होता है, जो हम इस बारे में अमेरिका से सहायता लेते हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : दूसरे देशों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : मुझे ज्ञात हुआ है कि कृषि गवेषणा के परिणाम कृषकों को बताये जाते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि यदि भारत सरकार इसी प्रकार की व्यवस्था करने का विचार कर रही है जिससे यहां के कृषि कालिज, अपनी गवेषणा को कृषि क्षेत्रों में फैलायें ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : भारत सरकार ने अमेरिका तथा भारत के विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है । उन्होंने भारत के कृषि शिक्षा तथा गवेषणा के समस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है । उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कालिजों तथा यूरोपीय देशों की कुछ शिक्षा सस्थाओं को भी देखा है और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । प्रतिवेदन की जांच हो रही है तथा प्रतिवेदन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कृषि कालिजों तथा गवेषणा संस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारे छात्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने पर बहुत सा धन खर्च होता है हम कुछ विशेषज्ञों को यहां क्यों न बुला लें जो हमारे कालिजों में भाषण दे सकें ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : दोनों ही कार्य किये जा रहे हैं । प्रथमतः हम व्यय नहीं कर रहे हैं, दूसरे उनके विषेषज्ञ यहां आते हैं तथा हम अपने व्यक्तियों को भी राज्यों में भेजते हैं । यह उभयपक्षीय है ।

†**श्री पन्नूस** : क्या यह सच है कि सरकार को अमेरिका गये हमारे विद्यार्थियों से यह सूचना मिली है कि वहां की पद्धति तथा दशा की विभिन्नता के कारण, उन्हें अधिक लाभ नहीं हो रहा है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : जहां तक गवेषणा का सम्बन्ध है वह एक ही प्रकार की है । हमारे विद्यार्थी जो अमेरिका जाते हैं, उनको बड़ा लाभ होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पर दावे

†*२१००. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान उत्तरी बंगाल के व्यापारियों के उस अभ्यावेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने अपने दावों के मामलों को पांडू से कलकत्ता में स्थानान्तरित करने के लिये कहा है क्योंकि वहां पर स्थान आदि की अनेकों कठिनाइयां हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : उत्तरी बंगाल के व्यापारियों ने कोई भी ऐसा अभ्यावेदन नहीं दिया है।

केन्द्रीय खाद्यान्न डिपो, फिरोजपुर

†*२१०१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कासू बेगू से फिरोजपुर के केन्द्रीय खाद्यान्न डिपो से सड़ा गेहूं तथा अनाज आदि बेचे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन कीमतों पर; कितनी मात्रा थी और किस तरीके से वे बेचे गये हैं ;

(ग) क्या इस विषय में कोई जाच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम हुआ ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) केन्द्रीय खाद्यान्न डिपो कासू बेगू से १९५५ को बाढ़ के दौरान में सड़ा हुआ गेहूं खाद आदि के उद्देश्य से बेचा गया है । वहां पर और कोई अनाज नहीं बेचा गया है ।

(ख) खाद के काम में लाई जा सकने वाली सड़ी हुई गेहूं को ४ आने से ६ आने तक प्रति मन की दर पर बेचा गया है । कुल कितनी गेहूं बेची गई यह माल बिकने के बाद पता लगेगी । लगभग ५८०२८ मन की बिकावली की घोषणा की गई है । यह बिक्री टेंडरों द्वारा की गयी है । टेंडर नोटिस पंजाब सरकार द्वारा वहां के दो स्थानीय दैनिक पत्रों तथा मद्रास, बम्बई, और दिल्ली से एक साथ निकलने वाले एक अन्य दैनिक पत्र में निकलवाई गई थी । इसके अतिरिक्त सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों, फूड सप्लाई अफसरों और सहायक खाद्यान्न नियंत्रकों ने भी इसकी सूचनायें प्रकाशित की थीं । सम्पूर्ण भारत वर्ष के सभी सूचीबद्ध आटा तथा मैदा व्यापारियों के पास भी ये टेंडर नोटिस भेजे गये थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सत्य है कि कोई अधिकारी फिरोजपुर गये थे और उन्हें लोगों ने जो गेहूं ५ आने प्रतिमन बेची गई है उसके लिये २ रुपये प्रतिमन तक देने की बात कही थी, यदि हां, तो इस सिलसिले में क्या किया गया है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : उस खबर के मिलने पर तत्काल ही वहां पर स्टोरेज डायरेक्टर गये थे तब यह पता चला कि यह भाव उन्होंने उस गेहुं के लिये नहीं कहा था जो हमने खाद के लिये बेची है । यह आंशिक रूप से सडे हुये गेहूं के लिये था जिसके लगभग २००० मन अभी भी हमारे पास पड़े हुये हैं । जो गेहूं हमने बेची हैं उसके लिये कोई ऐसा मूल्य नहीं बताया था ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सत्य है कि वास्तव में केवल २००० मन गेहूं की ही क्षति हुई है जबकि टेंडर में ६०,००० मन गेहूं बेचने का नोटिस दिया गया है ? इसका क्या कारण है कि नोटिस तो ६०,००० मन का दिया गया और वास्तव में केवल २००० मन गेहूं ही बेची गई है ? क्या यह किसी विरोध के कारण हुआ है कि इसे घटाकर २००० मन कर दिया गया है अथवा सारी की सारी ६०,००० मन गेहूं बिक गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : हमने पहले यह घोषणा की थी कि कुल ५८,०० मन गेहूं बेची जायगी। जिस ठेकेदार ने इसे लिया है वह २००० मन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त गेहूं भी साथ चाहता है । उसके विरोध करने पर ही यह मात्रा कम की गई है। वह उस आंशिक क्षतिग्रस्त २००० मन गेहूं को भी इस ५८००० मन में शामिल करना चाहता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सत्य है कि जो गेहूं ५ आने प्रति मन के हिसाब से बेची गई है पंजाब सरकार ने उसे बेचने से मना कर दिया था क्योंकि वह उसे अन्य गेहूं के साथ मिला कर उपभोक्ताओं के पास बेचना चाहती थी ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : वास्तविक बात इसके ठीक विपरीत है । पंजाब सरकार ही हमारी ओर से सारे डिपो का प्रबन्ध कर रही है । हमने उसको लिखा था कि वह ध्यान रखे कि यह गेहूं देश में अन्य प्रकार के गेहू के साथ न मिलने पावे । उसने हमें यह आश्वासन दिया है कि जिस ठेकेदार ने यह गेहूं खरीदी है उसने हमें स्पष्टतया लिख कर दिया है कि वह इसे अन्य गेहूं के साथ नहीं मिलायेगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या इस प्रकार भांडागारों में खाद्यान्नों को कुल कितनी हानि हुई है इस सम्बन्ध में कोई गणना की गई है, यदि हां, तो इसकी कुल राशि क्या है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : यह प्रश्न पंजाब में अनायास आ जाने वाली बाढ़ से सम्बन्धित है, देश के कुल भागों में बाढ़ों, कीड़ों आदि के कारण कुल खाद्यान्नों की कुल कितनी क्षति हुई इसका भी हमारे पास हिसाब है किन्तु उचित पूर्व सूचना मिलने पर ही उसके आंकड़े बताये जा सकते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं बाढ़ के कारण हुई क्षति के बारे में नहीं पूछ रही हूं । मैं यह पूछना चाहती हूं कि संग्रहण कार्य में अक्षमता तथा संग्रह सुविधाओं के अभाव के कारण देश में कितने खाद्यान्नों में क्षति हुई है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : हमारे पास आंकड़े हैं । किन्तु उचित पूर्व-सूचना मिलने पर ही मैं उन्हें बता सकता हूं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यह गेहूं जो ५ आने मन पर बेची गई है कितने वर्षों से संग्रहीत थी और उस प्रकार बुरे तरीके से संग्रह रखने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: यह १९५५ में संग्रहीत की गई थी । यह अचानक बाढ़ आ जाने के कारण खराब हो गई ।

पंडित डी० एन० तिवारी : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाढ़ के कारण डेमेज (नुकसान) हुआ था । क्या मैं जान सकता हूं कि डेमेज (नुकसान) होने के कितने दिनों में के बाद यह गेहूं बेचा गया और डेमेज (नुकसान) होने के (समय) वक्त ही क्यों नहीं उसे बाढ़ पीढ़ितों को बांट दिया गया था या बेच दिया गया जिससे ज्यादा दाम आ सकते ?

†**श्री ए० पी० जैन** : आनरेबल मेम्बर (माननीय सदस्य) को मालूम होगा कि यह जो बहिया (बाढ़) आयी थी यह सन् १९५५ के अगस्त या सितम्बर में आयी थी । उसके बाद जब गेहुं को नुकसान पहुंचा तो कुछ दिन टेंडर छपने और चिट्ठियां लिखने में लग गये और उस के फोरन बाद ही उस को बेच दिया गया ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार को किसी ऐसे ठेकेदार का पता है जो स्पष्टतया यह कहता हो कि मैं खराब और अच्छी गेहूं को मिलाकर बेचूंगा । यदि नहीं, तो फिर सरकार के पास क्या गारंटी है कि केवल लिख कर देने से ही वह इस गेहूं को अन्य प्रकार की गेहूं के साथ नहीं मिलायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ए० पी० जैन** : यह प्रश्न ऐसा ही प्रश्न है जैसा कि मंत्रालय के सामने इस सम्बन्ध नीति बनाते समय आया था कि मनुष्यों के खाने के अयोग्य गेहूं का क्या किया जाय। हमने यह नीति अपनाई है कि जो गेहूं खाने के योग्य नहीं होगी उसे नीलाम द्वारा अथवा खुले आम टेंडरों द्वारा नहीं बेचा जायेगा हम इसे केवल सरकारी फार्मों को ही दिया करेंगे जहां पर यह पशुओं के चारे के रूप में काम में लाई जाये। क्योंकि अन्यथा चाहे हम कितनी भी सावधानी क्यों न बर्तें हम इस खाने वाली गेहूं के साथ मिलाने से नहीं रोक सकते हैं। किन्तु इस मामले में गेहूं इतनी खराब हो गई थी कि यह बिल्कुल काली हो गई थी और इसकी गट्ठियां बंध गई थी। इसके दूसरी गेहूं में मिलाये जा सकने की कोई सम्भावना नहीं हो सकती थी।

बांस के भाड़े की दरें

†*२१०२. **श्री कामत** : क्य **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हर्दा, निनार और होशंगाबाद डिवीजन की वन ठेकेदार संस्था से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बांसों से भरे वेगन का भाड़ा कम से कम वजन पर लगाने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि बांसों के वेगन का वर्तमान भार जिस पर कि भाड़ा लगाया जा रहा था मध्य रेलवे की बड़ी लाइन पर ३०० मन से घटा कर २४० मन कर दिया जाय। यह विनिश्चय चार पहिये वाले खुले वेगनों के सम्बन्ध में किया गया है और १५ मई, १९५६ से लागू होगा।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि इस संस्था ने पिछले ९ महीने से यह अभ्यावेदन दिया हुआ है और मध्य रेलवे के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक तथा विभागीय वाणिज्य अधीक्षक ने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि औसतन एक वेगन में २२० मन तक के बांस आते हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो अप्रैल १९५५ तक के आंकड़े दिये हैं उनसे यह पता चलता है कि प्रति वेगन लगभग २०० से २२० मन तक ही ही बांस आते हैं यदि ऐसी बात है तो क्या माननीय उपमंत्री के ख्याल में २४० मन का भाड़ा लेना ठीक है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इस प्रश्न के गुण दोषों के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं मैं तो यह जानता हूं कि ३०० मन से घटा कर २४० मन तक का जो भाड़ा कर दिया गया है उससे न्यूनतम भाड़े पर अधिकतम वेगनों का प्रयोग हो सकता है। इससे अधिक कमी करना ठीक नहीं होगा।

†**श्री कामत** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब वास्तव में भरे जाने वाले बांसों के बोझ के बजाय व्यापारी से हर हालत में कम से कम २४० मन का भाड़ा लिया जाया करेगा ?

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय संदस्य द्वारा बताये गये आंकड़ों के सम्बन्ध में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं।

†**श्री कामत** : कम से कम कितने भार का भाड़ा लिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से उन्होंने यह बता दिया है।

†**श्री कामत** : मैं कम से कम भाड़ा जानना चाहता हूं।

†**श्री अलगेशन** : यह तो विदित ही है। यह २४० मन का भाड़ा होगा।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या रेलवे अधिकारियों ने यह जांच कर ली है कि वास्तव में एक वेगन में कितने बांस आ सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार में यह अवश्य ही देखा गया होगा ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री आज कल या किसी भी समय यह आंकड़े दिखा सकते हैं कि पिछले वर्ष में किसी भी खुले वेगन में २४० मन बांस ले जाये गये हैं ।

†**श्री अलगेशन** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

'अपना टेलीफोन' योजना

†*२१०५. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई शहर में 'अपना टेलीफोन' योजना को समाप्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों का जिन्हें अब टेलीफोन की आवश्यकता है अथवा जिन का नाम टेलीफोन दिये जाने वाले लोगों की सूची में था अब क्या इन्तजाम होगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं । केवल यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय (२६) एक्सचेंज के क्षेत्र में १ अक्तूबर, १९५६ को २००० लाइनें पूरी हो जाने पर 'अपना टेलीफोन' योजना कुछ ढीली कर दी जायेगी ।

(ख) ३८,४०० के लिये अतिरिक्त उपकरण लगवाने की एक योजना स्वीकृत की गई है ।

†**श्री गिडवानी** : 'अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत अभी कितने प्रार्थना पत्र बाकी पड़े हैं और सामान्य खुली सूची में कितने प्रार्थना पत्र शेष पड़े हैं ? वर्तमान लाइनों की कितनी संख्या है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ऐसी कितनी और लाइनें खुलने की सम्भावना है ?

†**श्री राज बहादुर** : 'अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत १ मार्च, १९५६ को ३९३ प्रार्थना पत्र शेष थे । इनमें से केवल ६ ऐसे व्यक्ति थे जिनको रुपया जमा करने के बाद ६ महीने के अन्दर टेलीफोन नहीं दिया जा सका है । दूसरी 'खुली सूची' में हमारे पास कोई प्रार्थना पत्र शेष नहीं है और न हम कोई ऐसी सूची ही रखते हैं ? किन्तु इस वर्ष अक्तूबर के अन्त तक जब सभी अतिरिक्त उपकरण लग चुकेंगे तब हम इस विशेष क्षेत्र में इस योजना को कुछ ढीला कर देंगे ।

बाकी माँग को पूरा करने के लिये पिछले महीने ही हमने १२ करोड़ रुपये की एक और योजना स्वीकृत की है । उसके अन्तर्गत ५१,००० और लाइनें लगाई जायेंगी । यह सब कार्य १९५९-६० तक पूरा हो जायेगा ।

†**श्री गिडवानी** : सरकार ने टेलीफोन व्यवस्था के नवीकरण के लिये कितनी राशि स्वीकृत की है तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितने एक्सचेंज और खोले जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : टेलीफोन की संख्या तो मैं ने पहले बतला दी है । एक्सचेंजों की संख्या मैं इस समय बताने में असमर्थ हूं । ये सारे उपकरण आई० टी० आई० में निर्मित आधुनिकतम किस्म के उपकरण होगे ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि 'अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत जिन लोगों ने रुपया जमा किया था उन्हें एक वर्ष तक टेलीफोन नहीं मिल सका ? क्या यह योजना इसलिये समाप्त की जा रही है कि यह असफल सिद्ध हुई है ?

†**श्री राज बहादुर** : नहीं, यह योजना कतई असफल नहीं हुई है । बल्कि इस समय इस योजना के अन्तर्गत देश में २०,००० से अधिक टेलीफोन लगे हैं । यह तो एक बड़ी सफल योजना सिद्ध हुई है ।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इसको इसलिये समाप्त किया जा रहा है यह सफल होकर पूर्ण हो चुकी है । हम इसे उन्हीं क्षेत्रों में ढीला कर रहे हैं जहाँ अब टेलीफूनों की कमी नही रही है ताकि अब सामान्य जनता को बिना किसी प्रतिबन्ध के टेलीफोन मिल सकें ।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या यह सत्य है कि लोगों को पैसा दे देने के बाद एक साल तक टेलीफोन नहीं मिल सके हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मेरे माननीय सहयोगी ने पहले ही बता दिया है कि शायद ६ के करीब ऐसे व्यक्ति थे जिनको छः महीने तक टेलीफोन नहीं दिया गया जा सका है ।

गन्ना

†*२१०६. **श्री अस्थाना** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** १९ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७९६ के उखर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों से अतिरिक्त गन्ने का अनुमान प्राप्त करने के लिये तब से क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : गुड़ क्षेत्रों से चीनी कारखानों को अतिरिक्त गन्ने का संभरण राज्य सरकारों द्वारा विनियमित नहीं होता । चीनी कारखाने ऐसा गन्ना प्रत्यक्ष उत्पादकों से ही खरीदते हैं । कारखाने अपने क्षेत्रों के बाहर से कितना गन्ना खरीदते हैं इसकी ठीक ठीक जानकारी केवल मौसम खतम हो जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकता है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या सरकार का ध्यान आज प्रातः काल के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर कि, बिहार में गन्ने का दाम तीन आने प्रति मन कम कर दिया गया, आकृष्ट किया गया है ;

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : बिहार सरकार से हमें यह सिफारिश प्राप्त हुई है कि किसी एक तारीख से गन्ने का दाम कम किया जाना चाहिये क्योंकि प्राप्ति कम हो गयी थी । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखाने के मामले में सरकार यह सामान्य नीति अपनाती रही कि एक निश्चित तारीख के बाद, जब कि प्राप्ति कम हो जाती है, गन्ने का मूल्य प्राप्ति से संबद्ध रहता है । अब कम करने या प्राप्ति से उसे सम्बद्ध करने की शक्ति हमने राज्य सरकार को दे दी है और हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों के हित में आवश्यक कार्यवाही पर विचार करेगी ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि आज से दो सप्ताह पहले बिहार की बहुत सी मिलें बंद हो गई थीं और केवल कुछ ही थोड़ी सी मिलें चल रही हैं तो जो मिलें बन्द हो गई, वह कहती थीं कि यदि हम को शूगर केन मिले, तो हम ऋश करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज जो किसानों को तीन आने का घाटा हो रहा है, इसमें किसका कसूर है ?

श्री ए० पी० जैन : इसमें किसी का कसूर नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि बिहार के चीनी कारखाने और खासकर शाहबाद और दक्षिण बिहार के जैसे रोहना चीनी उद्योग तथा वरसाली गंज चीनी कारखाने ने दिसम्बर के आखिर में और उनमें से एक ने तो १० जनवरी, १९५६ को गन्ना पेरना शुरू कर दिया था जिससे कि गन्ने की अधिकतर फसल अप्रैल के बाद तक खड़ी रहे ? जब इस विषय का यहां संकेत किया गया था, तब यह बताया गया था कि उचित कार्यवाही की जायगी । इसलिये जो गन्ने की फसल अब भी खेतों में खड़ी है, उसे चीनी कारखाने में ले जाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कोई कार्यवाही की नहीं गयी है, तो यह कहने के लिये कि गन्ने का भाव अभी तीन आने फी मन कम कर दिया जाये, कौन उत्तरदायी है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : माननीय सदस्य ने जिन तारीखों का उल्लेख किया है उनकी सचाई के बारे में मैं आश्वासन नहीं दे सकता । संभव है कि उन्होंने कुछ देर से शुरू किया हो किन्तु यह तथ्य है कि इस वर्ष वर्षा बहुत देर तक होती रही और इसलिये गन्ना देर में तैयार हुआ । बिहार सरकार ने हमें आश्वसन दिया है कि खेतों में खड़ा सभी गन्ना पेरा जायगा। अब गन्ने का संभरण और प्रबन्ध मुख्यतः राज्य सरकार

†मूल अंग्रेजी में

का उत्तरदायित्व है और हम राज्य सरकार की सिफारिशों से चलते हैं। राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि गन्ना खराब हो गया है, प्राप्ति कम हुई है, और इसलिये भाव अवश्य ही कम किया जाना चाहिये। हमने वह शक्ति राज्य सरकार को सौंप दी है।

†**श्री सी० डी० पांडे** : उत्तर प्रदेश के देहरादून और नैनीताल जिलों में मौसम के प्रारंभ में भी गन्ने का भाव दो आने फी मन कम कर दिया गया था। क्या मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि गर्मी के कारण प्राप्ति की कमी की वजह से इस विशिष्ट मामले में और अधिक कमी नहीं की जायेगी ?

†**श्री ए० पी० जैन** : उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है और देहरादून को छोड़कर जिसके लिये वह आगे के महीने से लागू होगी, सभी कारखानों पर समान रूप से लागू होगी।

†**श्री सी० डी० पांडे** : नैनीताल पर क्यों नहीं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह मिल मालिकों की सहायता के लिये है कि सरकार उस समय कोई कार्यवाही नहीं करती जब कि मिलें पेराई बहुत देर में शुरू करती हैं, और अप्रैल के बाद हमेशा वह गन्ने का भाव कम कर देती है और यह कहती हैं कि वह प्राप्ति से सम्बद्ध किया जाना चाहिये ?

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं नहीं समझ पाता कि देर से पेराई शुरू करना किस प्रकार मिल मालिकों के हित में हो सकता है क्योंकि वे अधिकतम लाभ और प्राप्ति करना चाहते हैं। अतः वे अवश्य ही पेराई करेंगे जब गन्ना पूरी तौर से तैयार हो जायगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मंत्री जाकर यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि गन्ना अभी खेतों में खड़ा है या नहीं ?

†**श्री ए० पी० जैन** : हां। हमें मालूम हुआ है कि गन्ना खेतों में खड़ा है और इसीलिये बिहार सरकार ने भाव कम करने की सिफारिश की है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मेरा यह कहना था कि दक्षिण बिहार के चीनी कारखानों ने पेराई बहुत देर से शुरू की और यही बात उत्तरी बिहार में हुई। वहां भी कुछ कारखानों ने दिसम्बर के आखिर में और कुछ ने जनवरी १९५६ में पेराई शुरू की। क्या मैं जान सकता हूं कि जब सरकार जानती थी कि उन्हें साधारणतया नवम्बर के बीच में पेराई शुरू करनी चाहिये थी तब सरकार ने उन कारखानों को जनवरी और सिदम्बर के आखिर में पेराई करने की क्यों अनुमति दी ? अब सरकार ने घोषित किया है कि गन्ने का भाव तीन आने कम कर दिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रकार की कमी करने की अनुमति क्यों दी ?

†**श्री ए० पी० जैन** : सरकार को कोई शक्ति नहीं है कि वह यह तय करे कि कारखाने कब पेराई शुरू करें वे उसी समय पेराई शुरू करते हैं जब कि गन्ना तैयार हो जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि सरकार को कारखानों की पेराई शुरू करने के लिये कहने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं तो वह भाव कम करने की शति को क्यों कार्यान्वित करती हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन** : चूंकि प्राप्ति कम हो गयी है, और यदि प्राप्ति कम हो जाती है, तो मिलें पेराई बन्द कर सकती हैं। परिणाम यह होगा कि खेतों में गन्ना खड़ा रहेगा और गन्ना उत्पादकों को हानि होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके लिये आध घंटा दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में रज्जूपथ

†*२१०७. **श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि खासी पहाड़ियों में चेरा पूंजी शेला प्रदेशों के कोयला-क्षेत्रों को ब्रह्मपुत्रा के तट पर स्थित पंडु और अमीनगांव के नगरों से जोड़ने के लिये आसाम में रज्जुपथ बनाने की योजना सरकार के पास तैयार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : कुछ महीने पहले, शेला बजार और अमीन गांव के बीच एक रज्जुपथ बनाने की योजना आसाम सरकार से प्राप्त हुई थी । परीक्षण के बाद यह मालूम हुआ कि योजना में कुछ परिवर्तन आवश्यक है । अतः वह राज्य सरकार को लौटा दी गयी । पुनरीक्षित योजना अभी उससे प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री राधा रमण** : आसाम सरकार द्वारा भेजी गयी प्रस्थापना में इस पुल की कितनी लंबाई दी गई है और वह किस प्रकार का है ?

†**श्री अलगेशन** : वह रज्जुपथ है, पुल नहीं ।

†**श्री राधा रमण** : वह किस प्रकार का है ?

†**श्री अलगेशन** : वह इन सीमान्त-प्रदेशों को अमीन गांव से मिलाता और इस तरह से कोयला, आलू आदि वस्तुयें भेजी जा सकती । वह योजना आयोग को प्राप्त हुआ था और परिवहन मंत्रालय यथा केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के परामर्श से उस पर विचार किया गया था । केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के मुख्य इंजीनियर ने कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया था । वह फिर आसाम सरकार को वापस भेज दी गयी है ।

†**श्री राधा रमण** : इस रज्जुपथ द्वारा किस प्रकार का माल लाया ले जाया जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर दिया जा चुका है ।

गौहाटी में भारवाही पोत

†*२१०९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाडे पर चलाने के लिये गौहाटी में एक भारवाही पोत रखने की कोई प्रस्थापना है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अभी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले गौहाटी में उस क्षेत्र की भीतरी विमान सेवाओं के लिये एक मरम्मत केन्द्र बनाने की प्रस्थापना थी ? यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे ऐसी किसी प्रस्थापना की जानकारी नहीं है । ऐसी प्रस्थापना से विमानों को अतिरिक्त निरर्थक खर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा संधरण कर्मचारी वर्ग, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स आदि रखने होंगे जो उस सेवा को चलाने के लिये लाभदायक नहीं होगा ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि डमडम और आसाम के बीच माल का लाना ले जाना भारत के अन्य किसी भाग से कहीं अधिक है ? यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है कि गौहाटी में माल ढोने की सेवा कायम करना लाभदायक और आवश्यक है ?

†**श्री राज बहादुर** : इसमें संदेह नहीं कि आसाम क्षेत्र में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान सेवायें सबसे अधिक हैं और उस हद तक मेरे विचार से विमान निगम उस क्षेत्र के यातायात के हितों की जांच कर रहा है । किन्तु मैं इसके विषय में अधिक कुछ नहीं कह सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय रेलों के सम्बन्ध में अमेरिकी विशेषज्ञ का प्रतिवेदन

†*२१११. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २८ अप्रैल, १९५६ के "स्टेट्समैन" में भारतीय रेलों के सम्बन्ध म हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक श्री जान केनेथ गलब्रैथ के प्रतिवेदन के बारे में जो समाचार निकला था क्या सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रोफेसर जे० के० गलब्रैथ के सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं ।

†**श्री संगण्णा** : अमेरिकी विशेषज्ञ ने क्या सुझाव दिये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : वह उसकी विचारों और सुझावों की एक प्रकार की रूपरेखा थी । उनका एक सुझाव यह था कि सवारियों के यातायात को प्रोत्साहन न दिया जाये । उन्होंने तो यहां तक सुझाव दिया कि हमें यथा संभव उसे असुविधाजनक बनाना चाहिये .....'

†**श्री कामत** : यथा संभव खर्चीली भी ।

†**श्री अलगेशन** : यथा संभव खर्चीली भी. दोनों ही ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : पहले ही वह असुविधाजनक है ।

†**श्री अलगेशन** : मैं केवल प्रोफेसर के विचार बता रहा हूं, न कि मेरे या मंत्रालय के ।

†**श्री कामत** : निस्संदेह ।

†**श्री अलगेशन** : आगे उन्होंने यह सुझाव दिया है कि थोड़ी दूरी के लिये सड़क परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिये और उन्होंने यह आशा प्रकट की है कि इससे विनियोजन लागत कम हो सकती है । उनका दूसरा सुझाव यह है कि आस्तियों का यथा संभव अधिक उपयोग किया जाना चाहिये । आगे उन्होंने यह सुझाव दिया है कि डबल लाईन यातायात के बजाय केन्द्रित यातायात नियंत्रण पद्धति को आजमाना चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि बिजली की अपेक्षा डीजेल से उनका चलाया जाना अधिक अच्छा होगा । उनके मुख्य सुझाव ये हैं ।

†**श्री कामत** : क्या समाचार पत्रों में यह ठीक कहा गया है कि मंत्री जी ने---उपमंत्री ने नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री ने---कहा है कि "इंजन हों या न हों, सवारी डिब्बे हों या न हों" हम इन गाड़ियों को चलाते ही जायेंगे ? यदि हां, तो क्या यह प्रोफेसर गलब्रैथ की सलाह के फलस्वरूप है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : जहां कहीं मैं जाता हूं, बहुत ज्यादा भीड़ का प्रश्न प्राय: उठाया जाता है । वह प्रोफेसर गलब्रैथ के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में नहीं था । फिर भी जो लोग मुझ से मिले उनसे मैंने स्वत: उसका उल्लेख किया भारतीय वाणिज्य मंडल ने भी मझे बुलाया था और उसने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने माल के परिवहन के लिये अधिक डिब्बों की मांग की थी । उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि उस सेक्शन में अधिक सवारी गाड़ियां चलायी जायें । अत: उस सम्बन्ध में मैंने कहा था कि प्रोफेसर गलब्रेथ ने सुझाव दिया था कि हमें यात्रा अधिक असुविधाजनक बनाकर या किराया बढ़ाकर यात्रा अधिक कठिन बनानी चाहिये । किन्तु सभा मुझ से सहमत होगी कि उस सिफारिश को कार्यान्वित करना न उतना आसान है और न वांछित है । मेरे विचार से मैंने कहा था कि हमें लोगों को कम यात्रा करने के लिये कहना चाहिये । किन्तु हमारे देश

†मूल अंग्रेजी में

में साधारणतया लोग तभी यात्रा करते है जब उनके लिये यात्रा करना अनिवार्य होता है। हमारे देश में बहुत ही थोड़े ऐसे लोग हो सकते हैं जो केवल आनन्द के लिये यात्रा करते हों किन्तु लोग तभी यात्रा करते हैं जब वह नितान्त आवश्यक होती है।

मैंने समाचारपत्रों में वह समाचार नहीं पढ़ा है जिसका निर्देश माननीय सदस्य ने किया है। जब मैं सूरत जा रहा था तब मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे में बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसलिये मैं ने कहा था कि दिल्ली और बम्बई के बीच जनता गाड़ी चलायी जानी चाहिये। कदाचित् मैं ने यह कहा हो कि "फिलहाल हमारे पास सवारी डिब्बे हों या न हों.....". किन्तु मैं ने यह अवश्य कहा था कि कुछ महीनों में, कदाचित २ अक्तूबर से, दिल्ली और बम्बई के बीच जनता गाड़ी चलाना सम्भव होगा।

†**श्री कामत** : क्या मंत्री ने यह कहा कि "हमें जनता को या जनता गाड़ी को चलाना चाहिये ?"

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : जनता जनतागाड़ी में यात्रा करेगी।

†**श्री गिडवानी** : क्या प्रोफेसर गलब्रैथ ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को अधिक बिजली लगाने का कार्यक्रम नहीं प्रारम्भ करना चाहिये, क्योंकि उसमें काफी पुंजी व्यय लगता है जिसमें काफी विदेशी विनिमय शामिल है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या रुख है ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसे मैं नहीं समझ पाया। मैंने यह कहा था कि उन्होंने यह कहा कि बिजली की अपेक्षा डीजेल से चलाना अधिक अच्छा होगा। इस पर बाद में रेलवे बोर्ड से उनकी बात चीत हुई थी। प्रतिवेदन लिखने अथवा सर्वेक्षण या अध्ययन करने के पूर्व हमें उनकी जानकारी नहीं थी। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने रेलवे बोर्ड के सदस्यों से चर्चा की जिसमें इस पर तथा प्रोफेसर के अन्य सुझावों पर चर्चा की गयी थी।

मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण

*२११२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९५६ और इसके अगले महीनों में पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तरी बिहार को कोयला और सीमेंट के लिये जितने माल गाड़ी के डिब्बे दिये हैं, उनकी संख्या गत वर्ष के मुकाबले में कम कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जब कि दिल्ली में सवा दो रुपये मन कोयला मिलता है, नार्थ (उत्तरी) बिहार में तीन रुपये मन पर भी नहीं मिलता है और सीमेंट यहां पर पांच छः रुपये मन मिलता है, परन्तु नार्थ बिहार में दस रुपये मन भी नहीं मिलता है ? क्या सरकार कोई प्रबन्ध करेगी कि नार्थ बिहार के लोगों का कष्ट दूर हो ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं ने यह मान लिया कि श्री विभूति मिश्र से ज्यादा अपने निर्वाचन-क्षेत्र का भला चाहने वाला कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं, उनसे यह मालूम होता, है कि हम ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल हर स्टेशन से--चाहे वह मुकामाघाट हो, ढारा मंडु वाड़ी या भागलपुर और मुंवेरघाट हों--ज्यादा वैगन्ज दिये हैं। हो सकता है कि वे बहुत ज्यादा न हों, लेकिन पहले से वे अवश्य ज्यादा दिये गये हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तरी बिहार की वेगनों की वर्तमान मांग का कितने प्रतिशत पूरा किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : वहां का कोटा ४४ से बढ़ा कर ४९.५ कर दिया गया है ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : कोटा में वृद्धि या कमी के अनपेक्ष में जानना चाहता हूं कि नदी घाटी परियोजना की कुछ वस्तुओं को भेजने की अनुमति क्यों नहीं दी गयी थी । जिसके परिणामस्वरूप कि उत्तर बिहार की बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं पर काम रुक गया है और अंततोगत्वा बाढ़ आयी है ?

†**श्री अलगेशन** : यह प्रश्न कोयले और सीनेंट से सम्बन्धित था और जहां तक सीमेंट.....

†**श्री एल० एन०मिश्र** : परियोजनाओं को कोयला, इस्पात और सीमेंट की कमी के कारण हानि पहुंची है और कोयला तथा सीमेंट वेगनों की कमी के कारण नहीं भेजा जा सका ।

†**श्री अलगेशन** : जहां तक सीमेंट का प्रश्न है, हमसे जितनी भी मांग की गयी थी वह हमने पूरी की थी । वातस्व में, इस वर्ष के प्रारम्भ से मांग बहुत कम हो गयी है ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या यह सही है कि कोसी नदी घाटी परियोजना के सम्बन्ध में की गयी सब मांगे रेलवे द्वारा पूरी की गयी हैं ?

†**श्री अलगेशन** : इस बात के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है । हाल में मुझे बिहार सरकार से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । सीमेंट के सम्बन्ध में, कम लदान वेगनों की कमी अथवा कोटे की कमी के कारण नहीं हुआ वरन् इसलिये हुआ कि उसकी मांग कम हुई । वास्तव में, जनवरी, १९५६ से बिहार सरकार से अधिक सीमेंट के कोटे के लिये वेगनों की कोई मांग ही नहीं आई है ।

†**श्री अलगेशन** : जो सेक्शन भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे में मिलाया गया था वह दिल्ली-रेवाड़ी सेक्शन था जो लगभग ३०० मील का था । यह इतना छोटा था कि इस का एक भिन्न डिवीज़न नहीं बनाया जा सकता था । केवल इसी चीज का ध्यान नहीं रखना है कि मीलों में फासला कितना है वरन् यह भी विचार रक्खा जाता है कि ट्रेन-मीलों तथा इंजन-मीलों में आवागमन कितना है ।

रेलवे कर्मचारी

***२११३. श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८१५ मील लम्बी भूतपूर्व बीकानेर राज्य की रेलवे के नियम और विनियम पुनर्गठन के समय देहली-रेवाड़ी-फाजिल्का सेक्शन के नियमों व वियनमों से भिन्न थे, और

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व बीकानेर रियासत की रेलवे को एक अलग डिवीजन क्यों नहीं बना दिया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) रेलों के पुनर्गठन की वजह से छोटी बड़ी बहुत सी रेलें उत्तर और दूसरी रेलों में मिला दी गयीं । पुनर्गठन के बाद जो रेलें बनीं उनके निचलें स्तर पर प्रशासन को फिर से संगठित करते समय परिचालन की जरूरतों के साथ-साथ कई और बातों का ध्यान रखा गया । लेकिन इस बात पर कोई ध्यान न दिया गया कि पुनर्गठन के समय वहां छोटी-छोटी कितनी रेलें थीं ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि जब रेलवे बोर्ड ने ८१५ मील से कम वाले क्षेत्र को एक अलग यूनिट माना है, तो फिर ८१५ मील लम्बी एक्स (भूतपूर्व) बीकानेर रेलवे को देहली-रेवाड़ी-फाजिल्का सेक्शन में मिलाने का क्या कारण है ?

†**श्री अलगेशन** : भूतपूर्व बीकानेर रेलवे में मिलाया गया सैक्शन दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन है और इसका फासला ३०० मील है । इतने छोटे से भाग को अलग रूप नहीं दिया जा सकता था और न दिल्ली डिवीजन में ही इसे मिलाया जा सकता है क्योंकि वह पहले ही बड़ा है । केवल मीलों क फासले पर ही

†मूल अंग्रेजी में

ध्यान नहीं दिया जाता है किन्तु गाड़ी के मीलों और एंजिन के मीलों से समझा जाने वाले काम परिमाण आदि पर भी विचार किया जाता है।

औषधीय जड़ी-बूटियों सम्बन्धी समिति

*२११४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २२ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि हिमालय की औषधीय जड़ी-बूटियों की उपयोगिता आदि के बारे में जो संयुक्त समिति जांच पड़ताल कर रही थी उसने उस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने की दशा में अब तक क्या प्रगति की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : एक विवरण जिसमें आवश्यक सूचना दी हुई है सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि एक सैंट्रल इंडियन प्लान्ट्स आरगनाइजेशन बनाई जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका निर्माण कब तक हो सकेगा और कौन से मंत्रालय पर इसका भार होगा-इसका संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जायगा या किसी दूसरे मंत्रालय के द्वारा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इस विवरण से मालूम होता है कि तीन मंत्रालयों का इससे सम्बन्ध है। अभी तक निश्चय नहीं किया गया है कि किस तरह इस को उत्तेजना देना बहतर होगा। इस विषय में विचार हो रहा है और मेरे ख्याल में अन्त में एक कमेटी बनाई जायेगी, जिसमें तीनों मंत्रालय शामिल होंगे।

श्री भक्त दर्शन : संयुक्त समिति ने देश के किन किन भागों का दौरा किया है ? जो नया संगठन बनाया जा रहा है, क्या उस का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह देश के विभिन्न भागों में--खास तौर पर हिमालय क्षेत्र में--जाकर जड़ी-बूटियों के बारे में अनुसन्धान करे ?

राजकुमारी अमृत कौर : देश भर में जो जड़ी-बूटियां हैं, उनके बारे में काफी रिसर्च की गई है और इस विषय में बहुत कुछ मालूम भी है। मेरे पास एक फेहरिस्त मौजूद है, जिसमें केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश की ३२ जड़ी-बूटियों का जिक्र है। इंडियन कौंसिल आफ मैडिकल रिसर्च ने इस बारे में एक किताब १९३९ में शाया की थी और एक किताब पिछले साल शाया की गई है। हमने एक फार्माकोपिया बनाया है और उस को भी अभी-अभी इस हाउस की लाइब्रेरी में रख दिया है।

सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण

†*२११५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बड़ौदा में सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर एक अखिल-भारतीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्य उसमें प्रतिनिधित थे ;

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितना रुपया व्यय हुआ ; और

(घ) गोष्ठी में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गयीं ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां

(ख) ९ राज्यों के अधिकारी व गैर-अधिकारी इस गोष्ठी में सम्मिलित हुये।

(ग) अब तक लगभग ११,००० रु० व्यय हुआ है।

(घ) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या मैं जाना सकता हूं कि विभिन्न राज्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार किया गया था ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : यह गोष्ठी पूर्णतया गैर-सरकारी थी जो अखिल भारतीय सहकारी संघ और बड़ौदा के एम-एस विश्वविद्यालय द्वारा मिल कर की गयी थी तथा उन्होंने लगभग सभी राज्यों को आमंत्रित किया था। केवल ९ राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

†**श्री शिवनंजप्पा** : गोष्ठी को सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : यह सिफारिशें स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। गोष्ठी में कुछ समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया और वे लोग कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे। अपनी योजना बनाते समय हम इन निष्कर्षों पर ध्यान रखेंगे ?

†**श्री राघवय्या** : आंध्र के प्रतिनिधि कौन व्यक्ति थे ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : आंध्र से कोई प्रतिनिधि नहीं आया था जिसका काम हम यहां बता दें।

आंध्र में बेरोजगारी

†*२११६. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों में आंध्र के युवकों में बेकारी बराबर बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय आंध्र के (१) शिक्षित और (२) अशिक्षित युवकों की बेकारी की स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या इस राज्य में बेकारी बढ़ने के कोई विशेष कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मंत्रालय से जो उत्तर प्राप्त हुआ था उसके बाद प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कुछ परिवर्तन हुआ है। मैं संशोधित उत्तर को पढ़ूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा।

†**श्री आबिद अली** : (क) और (ख). आय् वर्गों के हिसाब से कोई पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। किन्तु एक विवरण जिसमें दिखाया गया है कि गत चार वर्षों में कितने शिक्षित तथा अन्य अभ्यावेदक रजिस्टर किये गये तथा उन्हें रोजगारी दिलाई गई और प्रति वर्ष के अंत में कितनों को सहायता की आवश्यकता थी, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ग) जैसा कि काम दिलाऊ कार्यालय के आंकड़ों से प्रतीत होता है, आंध्र में बेकारी की स्थिति सामान्यत: अन्य राज्यों जैसी ही है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : विवरण से विदित होता है कि सन् १९५५ में लगभग ७७,६६० लोगों ने रोज़गारी के लिये अभ्यावेदन किया था और यह भी विदित होता है केवल ९,००० व्यक्तियों को काम दिलाया गया। वर्ष के अन्त में बेरोजगारों की संख्या केवल ३७,५७० दिखायी गयी है। शेष ३१,००० का क्या हुआ ?

†**श्री आबिअली** : या तो वे अन्यथा कहीं लग गये हैं अथवा उन्होंने फिर से अपने को रजिस्टर नहीं कराना चाहा।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस चीज के कोई आंकड़े रखे जाते हैं कि कितने प्रतिशत शिक्षित और अशिक्षित बेकार व्यक्ति रजिस्टर होते हैं।

†**श्री आबिद अली** : विवरण में यही दिया हुआ है। जो भी लोग सहायता चाहते हैं हम उनके आंकड़े शिक्षित तथा अशिक्षित श्रेणी के अनुसार रखते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : ये लोग रोजगार चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या समस्त राज्य के लिये प्राक्कलन तैयार किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : यदि वे अभ्यावेदन न करें तो भी ? काम दिलाऊ कार्यालयों का यह कार्य नहीं है ।

†**श्री कामत** : जहां तक शिक्षित बेरोजगारों का सम्बन्ध है किस राज्य में यह समस्या, वहां की जन संख्या के अनुपात में, सबसे विषम है ?

†**श्री आबिद अली** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे मार्ग की मरम्मत

†*२०८६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९५५ की बाढ़ के फलस्वरूप जो रेल-मार्ग टूट गये थे क्या उनकी मरम्मत की जा चुकी है और क्या साधारण यातायात चालू हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारी

†*२०८८. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे में भूतपूर्व देशी राज्यों की के कुछ कर्मचारियों की ज्येष्ठता और वेतन अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सभी भूतपूर्व देशी राज्यों के रेलवे-कर्मचारियों की ज्येष्ठता को निर्धारित की जा चुकी है । भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे और भूतपूर्व जी० बी० एस० रेलवे के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को छोड़कर, शेष सभी भूतपूर्व देशी राज्यों की रेलवेज के कर्मचारियों का वेतन भी निर्धारित किया जा चुका है ।

(ख) भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे-कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण भूतपूर्व काठियावाड़ और भूत-पूर्व सौराष्ट्र रेलवेज के तुलनात्मक पदों के लिये गुरुभार के प्रश्न का निर्णय होने तक के लिये, अन्त-र्कालीन आधार पर किया गया था । निर्णय की सूचना २६-४-५६ को दी जा चुकी है और कार्यवाही की जा रही है । जहां तक भूतपूर्व जी० बी० एस० रेलवे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मामला अब भी विचाराधीन है ।

तारघरों का यंत्रीकरण

†*२०८९. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार-विभाग के आसन्न-यंत्रीकरण के लिये तारघरों के वर्त्तमान कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष प्रबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और कहां पर ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) टेप-रिले कार्य के लिये एक अग्रिम योजना लागू की गयी थी, और यह गत दो वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। और इसने तारघरों के कर्मचारियों को उपकरणों और प्रक्रिया से परिचित होने का अवसर दिया है।

जलयानों पर दुर्घटनायें

†*२०९६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में जलयानों पर और तट पर कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ख) इन दुर्घटनाओं का, यदि कोई हुई हों तो, वर्गीकरण क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) भारतीय समुद्र में वाष्प तथा मीटर चालित जलयानों में कुल मिलाकर दो सौ नौवहन-दुर्घटनायें हुई हैं।

(ख) अधिकांश दुर्घटनायें साधारण प्रकार की थीं और रेती पर चढ़ जाने के तीन तथा डूब जाने के केवल एक मामले में औपचारिक जांच कराने की आवश्यकता समझी गई थी। यह सभी दुर्घटनायें अप्रत्याशित कारणों से हुई थीं और जलयानों की दशा में किसी दोष का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं था।

समुद्रपार संचार सेवा

†*२०९७. **श्री नम्बियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रपार संचार सेवा, नयी दिल्ली में सेवायुक्त कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत संख्या के बराबर है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वास्तव में सेवायुक्त कर्मचारियों और स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं, कुछ पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) कुछ स्वीकृत पद क्यों रिक्त पड़े हैं, इसके कारण बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ग) क्रमशः १६३ और १८५।

रेलवे वर्कशाप

†*२१०३. **श्री अमजद अली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस से लगभग चार मील दूर मडुंआडीह में एक रेलवे वर्कशाप स्थापित करने की प्रस्थापना है;

(ख) रेलवे ट्रेन के ७०० भिन्न-भिन्न पुर्जों का निर्माण करने के लिये देश में वर्कशापों की जिस श्रंखला की स्थापना की जा रही है क्या यह वर्कशाप भी उनमें से ही एक होगा ; और

(ग) इस वर्कशाप की स्थापना करने के लिये जिन लोगों की भूमि अर्जित करने की प्रस्थापना की गई है, क्या उनको उपयुक्त प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां, बनारस के निकट मडुंआडीह में।

(ख) इस समय केवल इंजनों के पुर्जे बनाने के लिये इस वर्कशाप को स्थापित करने की प्रस्थापना है।

(ग) इसी प्रकार के अन्य मामलों की तरह भूमि अर्जन को शासित करने वाले संविहित उपबंधों का ही पालन किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र में धान का मूल्य

†*२१०४. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या धान के मूल्य में गिरावट होने की दृष्टि से आंध्र राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी वित्तीय सहायता की मांग की है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी, नहीं ।

नौवहन

†*२१०८. **श्री इब्राहीम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में भारतीय भांडार विभाग द्वारा खरीदे गये कुल सामान का कितना प्रतिशत भाग भारतीय वणिक पोतों द्वारा ढोया गया; और

(ख) भारतीय वणिक नौवहन में १९५५-५६ में कितने पोतों की और वृद्धि हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लगभग ३१.२ प्रतिशत ।

(ख) १८,९२५ कुल पंजीबद्ध टन भार के आठ जलयान ।

गेहूँ की फसल

†*२११०. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की गेहूं की फसल चालू वर्ष में पूरी उतरेगी अथवा उपज पिछले वर्ष से कम होगी ;

(ख) क्या चालू वर्ष में गेहूं की कुछ कमी महसूस होने की संभावना है ; और

(ग) यदि हाँ, तो गेहूं का उपयुक्त मात्रा में संभरण करने और उसके मूल्य पर नियंत्रण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) १९५५-५६ की गेहूं की फसल के अंतिम प्राक्कलन के मई १९५६ के अंत तक ही प्राप्त होने की आशा है। परन्तु इस समय प्राप्त हुये संकेतों के अनुसार इस वर्ष गेहूं की फसल के तीन गत वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक होने की आशा है ।

(ख) चालू उपभोग के लिये और सुरक्षित स्टाक एकत्र करने के लिये विदेशों से कुछ गेहूं का आयात करने की आवश्यकता पड़ सकती है ।

(ग) सरकार बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि महत्वपूर्ण उपभोक्ता-केन्द्र में केन्द्रीय विक्रय डिपो से १४ रुपये प्रतिमन की दर पर गेहूं की बिक्री को खुले तौर पर जारी रखने की प्रस्थापना करती है । इससे इन उपभोक्ता-केन्द्रों द्वारा भीतरी बाजारों से की जा रही मांग कम हो जायेगी और इन बाजारों में भी मूल्य को उचित स्तर पर स्थिर करने में सहायता प्राप्त होगी ।

दिल्ली परिवहन सेवा

†*२११७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन सेवा द्वारा १९५४-५५ और १९५५-५६ में किया गया समस्त क्रय सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय के जरिये से किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो इस अवधि में सीधे किये गये क्रय का कुल मूल्य कितना है ;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन सेवा द्वारा सीधे क्रय के लिये टेंडर मांगे गये थे और उनको टेंडर देने वालों की उपस्थिति में ही खोला गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार द्वारा किया गया क्रय आंशिक रूप से तो संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय के जरिये से किया जाता है और आंशिक रूप से सीधे ही किया जाता है।

(ख) १९५४-५५ और १९५५-५६ में किये गये सीधे क्रय का मूल्य लगभग १०४ लाख है।

(ग) और (घ) केवल छोटी मदों और औचित्यपूर्ण ढंग की मदों को छोड़कर शेष सभी मामलों में टेंडर मांगे जाते हैं और उनको टेंडर भेजने वालों की उपस्थिति में ही खोला जाता है।

रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

†*२११८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में क्या दक्षिण पूर्व रेलवे पर हबड़ा और खड़गपुर के बीच के किसी स्टेशन का विद्युतीकरण किया जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार एक विद्युत-जाल को कोलाघाट और मछदा स्टेशनों से होकर तामलुक ले जाने का प्रबन्ध कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन द्वारा इसका उपयोग कोलाघाट और मछदा रेलवे स्टेशनों के लिये भी किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) एक वक्तव्य लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ख) और (ग). जी हां, श्रीमान्।

चीनी मिलें

†*२११९. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री भारत की उन चीनी फैक्टिरियों की कुल संख्या बतान की कृपा करेंगे, जो १९५५-५६ के गन्ना पेरने की ऋतु में बन्द पड़ी रही थीं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी०जैन) : उद्योग विकास और विनियम अधिनियम, १९५१, के अन्तर्गत पंजीबद्ध १४७ चीनी मिलों से केवल चार मिलों ने १९५५-५६ के सीजन में, मुख्यतया उनके संयंत्रों को अनार्थिक आकार के होने या घिसे-पुराने होने अथवा उपयुक्त मात्रा में ईख न मिलने के कारण कार्य नहीं किया था। तेरह अपंजीबद्ध मिलें और भी हैं जो इन्हीं कारणों से बन्द पड़ी हुई हैं।

भारत-पोलैण्ड नौवहन करार

†*२१२०. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैण्ड के बीच एक सीधी नौवहन सेवा आरम्भ करने के सम्बन्ध में पोलैण्ड के साथ कोई करार करने की प्रस्थापना की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के कब तक किये जाने की आशा है ?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) एक करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जाने की आशा है।

आसाम में दोहरी लाइन बिछाना

†*२१२१. **श्री के० पी० त्रिपाटी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम सरकार द्वारा या तो दोहरी लाइन बिछाकर अथवा मौजूदा लाइन के स्थान पर मनिहारी घाट से अमीनगांव तक बड़ी लाइन बिछा कर रेलगाड़ी की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : आसासाम सरकार से ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

पर्यटन

†*२१२२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या परिवहन मंत्री पश्चिम बंगाल में पर्यटकों की अभिरुचि के स्थानों को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि क्या उस राज्य में पर्यटन को विकसित करने की कोई योजना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : पश्चिम बंगाल राज्य में पर्यटकों की अभिरुचि के कुछ स्थानों के नाम देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४५**] । पश्चिम बंगाल में पर्यटन को विकसित करने की योजनाओं पर अन्य राज्यों की योजनाओं के साथ ही पर्यटन के विकास को द्वितीय पंच वर्षीय योजना के जिसके ब्यौरे को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है, एक अंग के रूप में विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

†*२१२३. **श्री कामत** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री २० अप्रल १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या स२६३ के भाग (ङ) और (च) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तब से उक्त सूचना एकत्र कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या, और कब, इसको लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) और (ख). यप सूचना संसद कार्य-मंत्री द्वारा कल ही लोक-सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

बागता पुल

*२१२४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागता पुल बनाने के लिये सरकार सर्वेक्षण करा रही है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के कब तक पूरे हो जाने की आशा है;

(ग) क्या सर्वेक्षण के बाद आवश्यक समझे जाने पर इसका निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा; और

(घ) क्या सरकार, यदि यह पुल बनाना सम्भव न हो सका, डुमरिया घाट पर एक पुल बना कर चकिया-सिघबासिया लाईन बनाने का काम शुरू करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). सवाल नहीं उठता ।

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना में चकिया-सिघवालिया लाइन बनाने का विचार नहीं है । लेकिन परिवहन मंत्रालय की एक योजना में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । यह योजना डुमरिया घाट पर एक सड़क-पुल बनाने के सम्बन्ध में है । आगे चल कर इस पुल पर से एक रेलवे लाइन निकालने का भी विचार है ।

आसाम में रेलवे के इंजन-डिब्बे

†*२१२५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के आसाम वाले भाग में इंजन माल डिब्बों और यात्री डिब्बों की मौजूदा आवश्यकतायें क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसमें से कितने का उपबन्ध किया गया है;

(ग) द्वितीय योजना में उक्त आवश्यकताओं की अनुमानित वृद्धि कितनी है;

(घ) उस वृद्धि के कितन भाग के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपबन्ध किया गया है ; और

(ङ) १९५५ से लेकर १९६० तक आसाम वाले भाग के लिये आवंटित किये गये इंजनों की संख्या कितनी है और कितने इंजनों को निकम्मा घोषित किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ङ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४६**]

रेल के इंजन-डिब्बे आदि

†**१९३९. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक सरकार द्वारा आयातित इंजन-डिब्बों के लिये अब तक कुल कितनी धन राशि का भुगतान किया गया है ;

(ख) अभी कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना है ; और

(ग) उक्त अवधि में सरकार द्वारा कितने इंजन-डिब्बे निर्यात किये गये और उनका मूल्य कितना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९.४ करोड़ रुपये* ।

(ख) ४.६ करोड़ रुपये* ।

(ग) निर्यात—कुछ भी नहीं । किन्तु जून १९५५ में पाकिस्तान की उत्तर-पश्चिमी रेलवे को, विभाजन पूर्व के २२ लाख रुपये के अनुमानित व्यय के आर्डर में उसके हिस्से के रूप में, रेलवे डिब्बों के २८ अनुपस्कृत खोल और बेल्जियम में बने डिब्बों के २२ निचले ढांचों का संभरण किया गया था ।

रेलवे कर्मचारी

†**१९४०. श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५२ में रेलों के पुनर्गठन के समय न्यायनिर्णेता के पंचाट को भूतपूर्व बीकानेर डिवीजन में क्रियान्वित नहीं किया गया था किन्तु दिल्ली-फाज़लिका-रेवाड़ी भाग पर उसे क्रियान्वित किया गया था ;

(ख) क्या उक्त क्रियान्विति के परिणामस्वरूप उक्त भागों में विशषकर परिवहन और वाणिज्यिक वर्गों के विभिन्न रेलवे कर्मचारियों की संख्या क सम्बन्ध में लगाया गया अनुमान गलत हो गया ;

(ग) क्या वरिष्ठता तैयार करने के प्रयोजनों के लिये अब भी दिल्ली-फाज़लिका-रेवाड़ी भाग को भूतपूर्व बीकानेर डिवीजन से बड़ी इकाई माना जाता है जिसके परिणामस्वरूप भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे के कर्मचारियों का दमन हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*(१) इसमें कोलम्बो योजना और टी० सी० ए० के अन्तर्गत प्राप्त इंजन डिब्बों के लिये किया गया भुगतान सम्मिलित नहीं है ।

(२) यह आंकड़े २९–२–५६ तक के हैं क्योंकि मार्च १९५६ क लेखे अभी बन्द किये जाने हैं ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १४-४-१९५२ को रेलों का पुनर्गठन करने से पूर्व कोई बीकानेर डिवीजन अस्तित्व में नहीं था। न्याय निर्णेता के पंजाट को भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे पर लागू नहीं किया गया था।

(ख) जी नहीं, अनुमानों की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई थी।

(ग) भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के दिल्ली-फाज़लिका-रेवाड़ी भाग और भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे के कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता को कुछ स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित किया गया है।

(घ) कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

रेलवे के ठेके

†**१९४१. श्री एन० राचय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालूर कोलार ज़िले के पास दक्षिण रेलवे के तिकौल स्टेशन पर रेलवे के काम के लिये जेली के संग्रह के लिये जिस प्रकार ठेके दिये गये थे उसके कारण भारी हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कोई जांच की गई है ;

(ग) इस अत्यधिक हानि के लिये कौन से अफसर उत्तरदायी हैं ;

(घ) हानि कितनी हुई थी तथा क्या उसे पूरा किया गया है ;

(ङ) यह हानि किस प्रकार हुई ; और

(च) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). नहीं, कोई हानि नहीं हुई। एक ठकेदार की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि ठेके प्रदान करने में अनियमिततायें और धोखाधड़ी होती है किन्तु पूर्ण जांच के उपरांत यह प्रमाणित हुआ कि ठेक प्रदान करने में कोई असद्भाव नहीं था और न सरकार को कोई हानि ही हुई थी। इसलिये किसी अफसर को जिम्मेवार ठहराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) से (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हिमाचल प्रदेश में डाक-घर

†**१९४२. श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता क समय (अर्थात् १५ अगस्त, १९४७) हिमाचल प्रदेश के समस्त जिलों में कुल कितने डाक-घर, तार-घर, टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक कॉल आफिस थे;

(ख) तब से ३१ मार्च, १९५६ तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इनकी संख्या में पृथक्-पृथक् कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इन जिलों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना क अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). दो विवरण-पत्र जिनमें मांगी हुई सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४७**]

अर्द्ध कुम्भ मेला

†**१९४३. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिद्वार में हुये कुम्भ मेले क अवसर पर रेल से जो तीर्थ यात्री हरिद्वार गये थे उनकी संख्या क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने कोई विशेष रेलगाड़ियां चलाने का प्रबन्ध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं और कब ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १२–३–५६ से २०–४–५६ तक १,५२,६७८ ।

(ख) जी, हां ।

(ग)

हरिद्वार जाने वाली		**हरिद्वार से आने वाली**	
९–४–५६ को	२	१३–४–५६ को	१५
१०–४–५६ को	५	१४–४–५६ को	९
११–४–५६ को	६	१५–४–५६ को	४
१२–४–५६ को	९	१६–४–५६ को	४
१३–४–५६ को	१२		
कुल	३४*		३२*

जगाधरी-लुधियाना रेल-मार्ग

†१९४४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ होते हुये जगाधरी-लुधियाना रेलमार्ग के निर्माण की सिफारिश पंजाब सरकार ने की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) बड़ी लाइन के एक यातायात सर्वेक्षण को स्वीकृत किया गया है और उसे १९५६-५७ के सर्वेक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ।

लोह अयस्क का लाया तथा ले जाया जाना

†१९४५. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता (के० पी० डॉक) से निर्यात के लिये दक्षिण पूर्वी रेलवे के निम्न क्षेत्रों से पत्री वर्षों १९५२, १९५३, १९५४, १९५५ और जनवरी, १९५६ से मार्च, १९५६ में लौह प्रस्तर की कितनी मात्रा का परिवहन किया गया :—

(क) वरजम्दा/नोआमन्डी क्षेत्र

(ख) बदाम पहाड़/कुलडीह क्षेत्र

(ग) क्योंझर-जाजपुर मार्ग क्षेत्र ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

(बड़ी लाइन के मालडिब्बों के पदों में)

	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६ (३१ मार्च तक)
(क) बरजम्दा/नोआमन्डी क्षेत्र	२०३२५	२५२३७	१७८५१	१३१४९	७८२
(ख) बदाम पहाड़/कुलडीह क्षेत्र	४१५५	५२९७	२१४५	२३६१	२८७
(ग) क्योंझर/जाजपुर मार्ग क्षेत्र		१५४०	४३६	११८४	१३०५

†मूल अंग्रेजी में

*यह हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच चलाई गई ५२ विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त थीं ।

भारतीय दन्त-सम्बन्धी परिषद्

†१९४६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दन्तसम्बन्धी परिषद् के मुख्य कृत्य क्या हैं ; और

(ख) १९५५ में उक्त परिषद् की गतिविधियों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) भारतीय दन्तसम्बन्धी परिषद् के मुख्य कृत्य इस प्रकार हैं :—

(१) अधिनियम की अनुसूची में दन्त शास्त्र की जिन अर्हताओं को सम्मिलित नही किया गया है उन्हें मान्यता प्रदान करना ।

(२) विदेशी अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना ।

(३) पारस्पर्य और एक दूसरे की दन्त शास्त्र सम्बन्धी अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने की एकयोजना बनाने के हेतु किसी अन्य देश के किसी ऐसे प्राधिकार से वार्ता करना जिसे दन्त-चिकित्सकों के रजिस्टर की देखरेख का कार्य सौंपा गया है ।

(४) दन्त स्वास्थ्य-रक्षकों की अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना और दन्त यंत्रज्ञों के प्रशिक्षण के लिये अथवा-शिक्षा का स्वरूप और प्रशिक्षण की अवधि विहित करना ।

(५) शिक्षा के पाठ्यक्रमों की पर्याप्तता और दन्त शल्य चिकित्सा की स्नातक उपाधि के लिये शिक्षा और परीक्षा के स्तर और दन्त स्वास्थ्य-रक्षकों और दन्त यंत्रज्ञों की अर्हताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये मौजूदा दन्त संस्थाओं की जांच के लिये प्रबन्ध करना; और

(६) दन्त-चिकित्सकों का एक रजिस्टर बनाना जिसे भारतीय दन्त-चिकित्सक रजिस्टर के नाम से जाना जायेगा ।

(ख) ४५,००० रुपये ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

†१९४७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डाक घरों और टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये नये भवनों के निर्माण पर अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

†**संचार मंत्रालय मे मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

झूजा कलाँ में उप-डाकघर

†१९४८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू राज्य के मोहिन्द्रगढ़ जिले में झूजा कलां ग्राम के लिये कोई उप-डाकघर मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या उक्त डाकघर के लिये किन्हीं कर्मचारियों की नियुक्ति की भी मंजूरी दी गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां ।

(ख) झूजा कलां स्थित अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय को १८–४–५६ से एक उप-डाकघर में परिणित कर दिया गया है ।

(ग) हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल सेवा

†१९४९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के जींद-पानीपत मार्ग पर इस समय जो दो यात्री रेलगाड़ियां चलती हैं वह यात्री यातायात के लिये पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अदालती मामले

†१९५०. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के विरुद्ध १९५६ में अब तक पंजीबद्ध किये गये अदालती मामलों की संख्या क्या है ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें रेलवे के विरुद्ध निर्णय दिया गया है; और

(ग) इस समय कितने मामलों का निर्णय विचाराधीन है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

(क) ४८१९ (३१-३-१९५६ तक)

*(ख) १६०९ (३१-३-५६ तक)

*(ग) १८,३१६ (१-४-५६ तक)

विक्टोरिया मेमोरियल अस्पताल, त्रिपुरा

†१९५१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) त्रिपुरा स्थित विक्टोरिया मेमोरियल अस्पताल के विस्तार के लिये कितनी भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) उसके लिये क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धन राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) उक्त भूमि-खंड किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिये अर्जित किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) एक भूमि-खंड, जिसका क्षेत्रफल लगभग ३.६ एकड़ है, अर्जित किया गया है ।

(ख) अब तक क्षतिपूर्ति के बतौर दी गई राशि रुपये २,१०,७७७-६-३ है जब कि पंचाट के अनुसार क्षतिपूर्ति की कुल राशि रुपये २,८१,५८५-१२-० है ।

(ग) उक्त भूमि इन निर्माण कार्यों के लिये अर्जित की गई है :—

(१) क्षय दवाखाना ।

(२) रतिज रोग और कुष्ठ दवाखाना ।

(३) प्रसूतिका और शिशु कल्याण केंद्र ।

(४) नेत्र और दन्त दवाखाने ।

(५) गोदाम और संग्रहागार ।

(६) धुलाई और जीवाणुनाशक संयंत्र ।

(७) अस्पताल के घरेलू कर्मचारियों के क्वार्टर ।

†मूल अंग्रेजी में

*इनमें वह मामले भी सम्मिलित हैं जो १-१-५६ से पूर्व पंजीबद्ध किये गये थे ।

(८) अधीक्षक के क्वार्टर ।

(९) मेट्रन के क्वार्टर ।

(१०) शवघर ।

रेलवे कर्मचारी

१९५२. श्री के० सी० सोधिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में इस समय एक हजार रुपया मासिक व उससे अधिक वेतन पाने वाले पुनर्नियुक्त रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) ये रिटायर्ड कर्मचारी कितनी अधिकतम आयु तक दोबारा नियुक्त किये जा सकते हैं ; और

(ग) मध्य-रेलवे में ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी कितने हैं और वे इस समय किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) छः ।

(ख) आमतौर पर ६० साल तक, लेकिन कुछ खास हालतों में ६० साल से आगे भी कुछ कर्मचारियों से काम लिया जा सकता है । ऊपर जिन छः कर्मचारियों का हवाला दिया गया है, उनमें से दो साठ साल से ऊपर हैं ।

(ग) कोई नहीं ।

प्रयोगात्मक नलकूप

१९५३. श्री के० सी० सोधिया : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २५ नवम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६ के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर जिले में किसी उत्पादन नलकूप के बनाने के कार्य को मध्य-प्रदेश में १०० प्रयोगात्मक नलकूप बनाने की योजना में शामिल कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में वास्तविक कार्य कब से आरम्भ होगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). अतारांकित प्रश्न नं० ११६ के (ख) भाग के उत्तर में यह बताया गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में १०० उत्पादन नलकूप बनाये जाने का प्रस्ताव है न कि १०० प्रयोगात्मक नलकूपों का, जैसा कि प्रश्न के (क) भाग में लिखा है ।

राज्य सरकार का उत्पादन नलकूपों का कार्य-क्रम भारत सरकार के भूगर्भस्थ-जल गवेषणा योजना के आधीन मध्य प्रदेश में जो ३० प्रयोगात्मक छेद किये गये हैं उनसे मिले हुये तथ्यों पर निर्भर होगा । ये प्रयोगात्मक छेद उन समस्त क्षेत्रों में किये गये हैं जो कि उत्पादन नलकूपों के निर्माण के लिये उपयुक्त समझे जाते हैं और क्योंकि ३० छेदनों में से कोई भी छेदन सागर जिले में नहीं हुआ है, इसलिये उस जिले में कोई नलकूप बनाने की सम्भावना मालूम नहीं होती ।

रेलवे कर्मशाला, जगाधरी

†**१९५४. डा० सत्यवादी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जगाधरी स्थित रेलवे कर्मशाला में इस समय सेवायुक्त कर्मचारियों की वर्गवार कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४८]**

रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली

† **१९५५. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर कुल कितनी धन राशि खर्च हुई है ; और

(ख) इस पुनर्निर्माण की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) स्टेशन की नई इमारत के निर्माण पर अनुमानतः १९,९४,६९६ रुपये खर्च हुये हैं।

(ख) (१) अन्दर और बाहर जाने के लिये सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिये एक ही रास्ता है और एक ही परिचालन क्षेत्र ।

(२) पहली मंजिल पर सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिये अल्पाहार के लिये एक लाऊंज की व्यवस्था ।

(३) सभी श्रेणी के यात्रियों के लिये विभिन्न भाड़ों पर विश्राम के कमरों और शयनागारों की व्यवस्था जिसके साथ एक खुला हुआ विशाल बरामदा भी है।

(४) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सुसज्जित विश्रामालय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये एक आधुनिक प्रकार का प्रतीक्षालय।

(५) भोजनालय और अल्पाहार गृह (जहां निरामिष और मांसाहारी रसोई घर अलग अलग हैं)।

नसवार और बीड़ी तम्बाकू

†**१९५६. श्री बी० एस० मुर्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नसवार और बीड़ी तम्बाकू के उत्पादन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इसके लिये चुना गया क्षेत्र ; और

(ग) इस प्रकार के तम्बाकू की उपज करने वालों को किस प्रकार की सहायता दी जाने को है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) तम्बाकू की उपज भारत सरकार द्वारा नहीं कराई जाती है। आई०सी०टी०सी० ने गवेषणा केन्द्र स्थापित करके नसवार और बीड़ी के तम्बाकू की किसम को सुधारने के लिये कार्यवाही की है। नसवार तम्बाकू के लिये पंजाब में फिरोजपुर में एक गवेषणा केन्द्र खोला गया है जहां वानस्पतिक और रासायनिक पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है। बीड़ी तम्बाकू के लिये बम्बई राज्य में दो गवेषणा केन्द्र खोले गये हैं, एक निपानी में और दूसरा आनन्द में, जहां कृषि सम्बन्धी रासायनिक और कीड़ों मकोड़ों सम्बन्धी गवेषणा कार्य किया जा रहा है।

(ख) गवेषणा केन्द्र उन स्थानों में खोले गये हैं जहां इस प्रकार के तम्बाकू की उपज काफ़ी होती है जैसे कि पूर्वी पंजाब के फिरोज़पुर क्षेत्र में नसवार का तम्बाकू और गुजरात में चारोतर और बम्बई राज्य के बेलगाम जिले के नेपानी स्थान में बीड़ी का तम्बाकू अधिक उत्पन्न किया जाता है।

(ग) उत्पादकों को इन तरीकों से सहायता दी जा रही है;

(१) शुद्ध तम्बाकू के बीज। अथवा। तथा बीजड़ियां वितरित की जाती हैं।

(२) प्रत्येक वर्ष कृषि सप्ताह मनाये जाते हैं। उपस्थित होने वाले कृषकों को तम्बाकू के खेतों में ले जाया जाता है और तम्बाकू की उपज से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को उनको समझाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) कृषकों के खेतों में व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाता है। तम्बाकू उत्पादन ने विभिन्न क्रमों में ग्रामों का दौरा करने वाले गवेषणा कर्मचारी कृषकों को तम्बाकू की काश्त के सुधारे हुये तरीकों के बारे में मंत्रणा देते हैं।

(४) तम्बाकू के उत्पादन के दौरान में विभिन्न अवसरों पर उत्पन्न होने वाली प्रविधिक समस्याओं के बारे में जिन काश्तकारों को आवश्यकता होती है उन्हें पत्र व्यवहार द्वारा और जहां सम्भव हो विशेषज्ञों को भेज कर प्रविधिक मंत्रणा दी जाती है।

(५) काश्तकारों में बिना मूल्य ऐसी पत्रिकायें बांटी जाती हैं जिनमें गवेषणा केन्द्रों में किये गये गवेषणा कार्यों के परिणामों के आधार पर तम्बाकू उत्पादन के तरीकों में किये गये सुधार की व्याख्या की होती है।

(६) सामुदायक परियोजनाओं और विकास खंडों के उन क्षेत्रों में जहां तम्बाकू एक प्रमुख फसल है तम्बाकू उत्पादन के तरीकों में किये गये सुधारों के बारे में आई० सी० टी० कमेटी द्वारा प्रकाशित साहित्य बिना मूल्य बांटा जाता है।

(७) तम्बाकू उत्पादक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

पर्यटन

†१९५७. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस राज्य में पर्यटन विकास सम्बन्धी किन्हीं योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४९]**

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

†१९५८. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के राज्यवार नाम जिन पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू नहीं किया गया है ;

(ख) उन श्रमिकों की राज्यवार संख्या जो न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन है और इसके अधीन नहीं है; और

(ग) उन कृषि श्रमिकों की राज्यवार संख्या जिनको अब तक न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन लाया जा चुका है और जिन्हें छोड़ा गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसमें जितना परिश्रम करना पड़ेगा वह प्राप्त परिणामों के उसके अनुकूल सममात्रिक नहीं होगा।

जयनगर में बिजली घर

१९५९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन जयनगर में, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे की सकरी-जयनगर शाखा पर आखिरी सीमावर्ती स्टेशन है, बिजली पैदा करने के लिये एक बिजली घर बनाने का विचार कर रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जयनगर स्टेशन पर रेलवे का एक बिजली घर बनाया जा रहा है। इसकी बिजली स्टेशन की इमारत में बिजली लगानें और मौजूदा डीजल पंपिंग सेट की जगह बिजली के पंपिंग सेट लगाने के काम में लायी जायेगी। बिजली लगाने का काम जारी है।

दूध सुखा कर दुग्धचूर्ण बनाने के संयंत्र

†१९६०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दूध सुखाने के कितने संयंत्र दान में दिये गये हैं, और

(ख) यह संयंत्र किन स्थानों पर चालू किये गये हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) दो।

(ख) एक आनन्द (बम्बई राज्य) में चालू किया गया है और दूसरा सौराष्ट्र में लगाने का विचार है।

स्टीमर घाट

†१९६१. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कुछ स्टीमर घाटों को पत्तन और गोदाम सुविधाओं का विकास करने के लिये चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से हैं ; और

(ग) क्या प्रस्तावित विकास योजना में तेजपुर और विश्वनाथ को सम्मिलित किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) पांडु, गौहाटी, धुबरी, न्यामती और करीमगंज।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

आसाम के लिये नमक

†१९६२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार नमक सौराष्ट्र से आसाम लम्बे रास्ते से ले जाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आसाम सरकार ने सब से छोटे रास्ते का वस्तु भाड़ा लिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो यदि कोई निर्णय किया गया तो वह क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं। क्योंकि नमक के वितरण पर नमक आयुक्त का नियन्त्रण है, अतः इसके लाने ले जाने का प्रबन्ध रेलवे विभाग द्वारा उन्हीं के द्वारा जारी की गई वितरण को ज़ोनल योजना द्वारा किया जाता है। इस समय प्रवर्तित ज़ोनल योजना के अनुसार आसाम को कलकत्ता ज़ोन से नमक आवंटित किया गया है और सौराष्ट्र से आसाम लाये जाने के लिये कोई नमक आवंटित नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोंड्डा में सार्वजनिक टेलीफोन

†१९६३. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन्थाल परगना जिला में सब-डिवीजबल मुख्यालय, गोंड्डा में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कब खोला जायेगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). गोंड्डा में ३०-३-५६ को पहले ही एक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोला जा चुका है ।

ग्वालपाड़ा-जोगीघोपा नौ-सेवा

†१९६४. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर स्थित ग्वालपाडा-जोगीघोपा नौ-सेवा को इस आधार पर कि वह राष्ट्रीय राजपथ पर स्थित है पथ कर से मुक्त किये जाने की मांग की है ; और

(ख) क्या उस प्रार्थना पर कोई निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** (क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं । इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १० मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२२८४–२३०४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०८४	तटीय नौवहन	२२८४
२०८५	चावल और धान	२२८४–८५
२०८७	स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षण	२२८५–८६
२०९०	खनिज उद्योग के लिये वैगन	२२८६
२०९१	रेलवे कर्मचारी	२२८६–८७
२०९२	कनकनी कोयले की खानें	२२८७
२०९४	घरेलू नौकर	२२८७–८८
२०९५	भविष्य निधि	२२८८–८९
२०९८	पर्यटन चलचित्र	२२८९–९०
२०९९	कृषि शिक्षा	२२९०–९१
२१००	रेलवे पर दावे	२२९२
२१०१	केन्द्रीय खाद्यान्न डिपो, फिरोजपुर	२२९२–९४
२१०२	बांस के भाड़े की दरें	२२९४–९५
२१०५	अपना टेलीफोन योजना	२२९५–९६
२१०६	गन्ना	२२९६–९७
२१०७	आसाम में रज्जु पथ	२२९८
२१०९	गौहाटी में भारवाही पोत	२२९८
२१११	भारतीय रेलों के सम्बन्ध में अमेरिकी विशेषज्ञ का प्रतिवेदन	२२९९–२३००
२११२	मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण	२३००–०१
२११३	रेलवे कर्मचारी	२२०१–०२
२११४	औषधीय जड़ी-बूटियों सम्बन्धी समिति	२३०२
२११५	सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण	२३०२–०३
२११६	आंध्र में बेरोजगारी	२३०३–०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२३०४–१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०८६	रेलवे मार्ग की मरम्मत	२३०४
२०८८	रेलवे कर्मचारी	२३०४
२०८९	तार-घरों का यंत्रीकरण	२३०४–०५
२०९६	जलयानों पर दुर्घटनायें	२३०५
२०९७	समुद्र पार संचार सेवा	२३०५
२१०३	रेलवे वर्कशाप	२३०५
२१०४	आंध्र में धान का मूल्य	२३०६
२१०८	नौवहन	२२०६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२११०	गेहूं की फसल ...	२३०६
२११७	दिल्ली परिवहन सेवा ...	२३०६–०७
२११८	रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण	२३०७
२११९	चीनी मिलें	२३०७
२१२०	भारत-पोलैंड नौवहन करार ...	२३०७
२१२१	आसाम में दोहरी लाइन बिछाना	२३०७–०८
२१२२	पर्यटन	२३०८
२१२३	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ...	२३०८
२१२४	बागता पुल	२३०८
२१२५	आसाम में रेलवे के इंजन-डिब्बे	२३०८–०९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९३९	रेल के इंजन डिब्बे, आदि	२३०९
१९४०	रेलवे कर्मचारी ...	२३०९–१०
१९४१	रेलवे के ठेके ...	२३१०
१९४२	हिमाचल प्रदेश में डाक-घर ...	२३१०
१९४३	अर्द्ध कुम्भ मेला	२३१०–११
१९४४	जगाधरी-लुधियाना रेल मार्ग ...	२३११
१९४५	लौह अयस्क का लाया तथा ले जाया जाना	२३११
१९४६	भारतीय दन्त-सम्बन्धी परिषद्	२३१२
१९४७	प्रथम पंचवर्षीय योजना ...	२३१२
१९४८	झूजा कलां में उप-डाकघर ...	२३१२
१९४९	रेल सेवा ...	२३१३
१९५०	अदालती मामले	२३१३
१९५१	विक्टोरिया मेमोरियल अस्पताल, त्रिपुरा ...	२३१३–१४
१९५२	रेलवे कर्मचारी ...	२३१४
१९५३	प्रयोगात्मक नलकूप	२३१४
१९५४	रेलवे कर्मशाला, जगाधरी	२३१४–१५
१९५५	रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली	२३१५
१९५६	नसवार और बीड़ी तम्बाकू	२३१५–१६
१९५७	पर्यटन ...	२३१६
१९५८	न्यूनतम मजूरी अधिनियम	२३१६
१९५९	जयनगर में बिजली घर ...	२३१६–१७
१९६०	दूध सुखाकर दुग्धचूर्ण बनाने के संयंत्र	२३१७
१९६१	स्टीमर घाट	२३१७
१९६२	आसाम के लिये नमक ...	२३१७
१९६३	गोंडा में सार्वजनिक टेलीफोन	२३१८
१९६४	ग्वालपाड़ा-जोगीघोपा नौ-सेवा	२३१८

M58LSD—21-8-57—190—GIPF

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग--२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ५, १९५६

(९ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha (XII Session)

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ५ में अंक ६१ से ६७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[वाद-विवाद; भाग २—खण्ड ५; ९ मई से ३० मई, १९५६]

	पृष्ठ
अंक ६१—बुधवार, ९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२७९
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन	३२८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बावनवां प्रतिवेदन	३२८०
अनुपस्थिति की अनुमति ...	३२८०–८१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	३२८१
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	३२८१–८२
सभा का कार्य	३२८२–८४
भारतीय टंक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई	
प्रारूप अधिसूचनाओं के बारे में प्रस्ताव	३२८४–९०
संविधान (दसवां संशोधन)—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३२८४–९०
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३१७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३२६
अंक ६२—गुरुवार, १० मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	३३२७
सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध ...	३३२७–२८
भारतीय रड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ...	३३२८–२९
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३२९–८५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३८६
अंक ६३—शुक्रवार, ११ मई, १९५६	
राज्य-सभा से सन्देश	३३८७
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक	३३८७
समितियों के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	३३८८
लोक लेखा समिति	३३८८
राज्य-सभा के सदस्यों का लोक लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के	
बारे में प्रस्ताव	३३८८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन ...	३३८९–९१

पृष्ठ

सभा का कार्य ३३९१–९२

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९२–३४२७

खण्ड २ से ५५ और १ तथा अनुसूची ३३९९–३४२५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ३४२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

बावनवां प्रतिवेदन ३४२७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प ३४२७–५०

दैनिक संक्षेपिका ३४५१

अंक ६४––सोमवार १४ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४५३–५४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३४५४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन ३४५४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... ३४४४–५६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ३४५६

जीवन बीमा निगम विधेयक ३४५६

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक––

सामान्य चर्चा ३४५७–३५००

अनुदानों की मांगें ... ३५००–३२

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ३५४७–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३५४९

अंक ६५––मंगलवार, १५ मई, १९५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वक्तव्य ३५५१–५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५५४

राज्य-सभा से सन्देश ३५५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३५५४–३६०२

दैनिक संक्षेपिका ... ३६०३

अंक ६६––बुधवार, १६ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

त्रेपनवां प्रतिवेदन ३६०५

सभा का कार्य––

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा ३६०६–१०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ३६१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा

प्रतिवेदित रूप में ३६११–६१

पृष्ठ

खण्डों पर विचार--

खण्ड ४, ५ और ७ ... ३६१४–२९

खण्ड २, ३, ६ और ८ से ४० ३६२९–५४

खण्ड ४१, ४२ और ४७ ३६५४–६१

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

दैनिक संक्षेपिका ३६६३

अंक ६७--गुरुवार, १७ मई, १९५६

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३६६५–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३६६६–३७१६

खण्ड ४१ से ८३ तक ... ३६६६–३७१५

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में ३७१६

दैनिक संक्षेपिका ... ३७१७

अंक ६८--शुक्रवार, १८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७१९

राज्य-सभा से संदेश ... ३७१९–२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ... ३७२०

प्राक्कलन समिति--

सत्ताईसवां प्रतिवेदन ३७२०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर) विधेयक ३७२०

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ३७२१–२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ३७२२–३५

पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में ३७२२

जीवन बीमा निगम विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७३५–५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--तिरपनवां प्रतिवेदन ३७५४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) ... ३७५४

खान संशोधन, विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) ३७५४–६२

विचार करने का प्रस्ताव ३७५४

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहणन विधेयक ३७६३–६४, ३७६५–७३

विचार करने का प्रस्ताव ३७६३

सभा का कार्य ३७६४–६५

नियम समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३७६५

दैनिक संक्षेपिका ३७७४–७५

अंक ६९--सोमवार, २१ मई, १९५६ **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव ३७७७–७८
सभा का कार्य ... ३७७८–७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७९–८०
राज्य-सभा से सन्देश ३७८०–८६
प्राक्कलन समिति--
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ... ३७८६
जीवन बीमा निगम विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७८६–३८३५
खण्डों पर विचार--
खण्ड २ ३८३१--३५
दैनिक संक्षेपिका ३८३६

अंक ७०--मंगलवार, २२ मई, १९५६

स्थगन-प्रस्ताव--
भुखमरी के कारण कुछ नागाओं की कथित मृत्यु ३८३७–३९
सदस्यों की रिहाई ३८३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
अल्जीरिया के सम्बन्ध में सरकार की नीति ... ३८३९–४२
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--
खण्ड ४, १९ और २२ ३८४३–५८
खण्ड ११ और १२ ३८५८–६८
खण्ड १४ ३८६८–७०
खण्ड २५ और २९क ... ३८७०–८५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८८५
दैनिक संक्षेपिका ३८८६

अंक ७१--बुधवार, २३ मई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
खडगपुर और काजीपेट जंकशनों पर रेलवे श्रमिकों की हड़ताल ... ३८८७–९३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३–९४
राज्य-सभा से सन्देश ३८९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौवनवां प्रतिवेदन ३८९४
भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ३८९४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३८९४
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में वक्तव्य ३८९४–९८
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३८९८–३९४१
खण्ड ४३ ३८९८–३९०५

पृष्ठ

खण्ड १६, ३५, ३६ और अनुसूचियां ३९०६–३०

खण्ड ५ से १०, १३, १५, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४९ और १ ... ३९३०–४१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३९४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ३९४१–६०

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३९६०

दैनिक संक्षेपिका ३९६१–६२

अंक ७२––शुक्रवार, २५ मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

काजू के कारखानों में तालाबन्दी ३९६३–६४

द्वितीय पंचवषीय योजना के बारे में संकल्प ३९६४–७०, ३९७१–९४

सभा का कार्य ३९७०–७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौवनवां प्रतिवेदन ... ३९९४

व्यक्ति की आय पर उच्चतम सीमा सम्बन्धी संकल्प ३९९४–४००७

आयकर विभाग के कार्य की जांच के बारे में संकल्प ४००८–१३

गन्ने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ४०१३–२०

दैनिक संक्षेपिका ४०२१

अंक ७३––शनिवार, २६ मई १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०२३, ४०२५–२६

प्राक्कलन समिति––

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन ... ४०२३

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ४०२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना––

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि ... ४०२४

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगातार गोलीबारी ... ४०२४–२५

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ४०२६–२७

मालिक-मजदूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय ४०२७–२८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ४०२८–७२

राज्य-सभा से संदेश ... ४०७२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ४०७४

दैनिक संक्षेपिका ४०७५–७६

	पृष्ठ
अंक ७४——सोमवार, २८ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०७७–७९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४०७९
प्राक्कलन समिति——	
इक्तीसवां प्रतिवेदन ...	४०७९
सभा का कार्य	४०८०–८१
त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)	
विधेयक	४०७९, ४०८१–४१०१
विचार करने का प्रस्ताव	४०७९
खण्ड २, ३ और १	४०९३–४१०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	. ४१०१
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ...	४१०२–०७
विचार करने का प्रस्ताव	४१०२
खण्ड १ और २ ...	४१०७
पारित करने का प्रस्ताव ...	४१०७
खड्गपुर में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा	४१०८–३३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में आध घंटे की चर्चा ...	४१३४–३९
दैनिक संक्षेपिका ...	४१४०–४१
अंक ७५——मंगलवार, २९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१४३–४४
प्राक्कलन समिति——	
बत्तीसवां प्रतिवेदन ...	४१४४
लोक लेखा समिति——	
सोलहवां प्रतिवेदन	४१४४
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति——	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	४१४४
काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य	४१४४–४५
सदस्यों का बन्दीकरण और रिहाई	४१४५
सभा का कार्य	४१४५–४६
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४१४६–८६
खण्ड २ से ४ और १	४१८०–८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	४१८६
निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ...	४१८७–९३
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आधे घंटे की चर्चा ...	४१९३–९८
राज्य-सभा से संदेश	४१९८
दैनिक संक्षेपिका	४१९९–४२००

पृष्ठ

अंक ७६—बुधवार, ३० मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा स्थगन प्रस्ताव—

कालका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव ४२०१–०८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२०८–०९

प्राक्कलन समिति—

तैंतीसवां प्रतिवेदन ४२०९

याचिका समिति—

नवां प्रतिवेदन ४२१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ४२१०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ४२१०

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक ... ४२१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति ४२११–१६

सभा का कार्य ४२१६–१७

निवारक निरोध अधिनियम का कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४२१७–४५

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत की ओर सामुहिक निष्क्रमण के बारे में चर्चा ४२४५–६३

राज्य-सभा से संदेश ४२६३

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती के बारे में नियमों पर चर्चा ४२६३–७३

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४२७३–७६

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक ४२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ४२७७–७९

बारहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश ४२८०–८१

M148LSD—190—8-4-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, १० मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.३० म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सम्बन्ध में १९५५–५६ के पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५६–५७ के लिये आय-व्ययक प्राक्कलन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी-राज्य बीमा अधिनियम की धारा ३६ के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सम्बन्ध में १९५६–५७ के आय-व्ययक प्राक्कलनों और १९५५–५६ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या ४ एस– १७३।५६**]

सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे चीफ प्रेज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता से, ८ मई, १९५६ का यह पत्र प्राप्त हुआ है :

"मुझे आपको सूचना देनी है कि लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री भाजहरि महाता (पुरुलिया सामान्य निर्वाचन क्षेत्र) और चेतन माझी (पुरुलिया आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र) को दूसरे लोगों के साथ **भारतीय दंड संहिता की धारा १४३, १४५, १८६** पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९०० की धारा ११ के अधीन अवैध सभा के सदस्य होने और दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ (१८९८ का अधिनियम ५) की धारा १४४ के आदेशों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों को उनके काम करने में विघ्न डालने के अपराधों के लिये ७ मई, १९५६ को गिरफ्तार किया गया है और उनको उसी तिथि

†मूल अंग्रेजी में।

M134LSD—1

[अध्यक्ष महोदय]

(७–५–५६ को) उपरोक्त अपराधों के लिये प्रेज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता, के न्यायालय के सामने पेश किया गया। उन सब को न्यायालय द्वारा प्रति १०० रुपये का निजी दायित्व-बंधन बन्धपत्र देने को कहा गया। परन्तु क्योंकि वे निजी दायित्व-बन्धन बंधपत्र देने के लिये तैयार नहीं थे, मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६७ और ४९६ के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दिया है कि उनको २१ मई, १९५६, तक जेल की हिरासत में रखा जाय। तदनुसांर उनको हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें प्रेज़ीडेंसी जेल, अलीपुर, कलकत्ता में निरुद्ध किया गया है"।

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, १९२० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये इन संशोधनों पर विचार किया जाय"।

खण्ड ८

(१) कि पृष्ठ २, पंक्ति २९–३० में "constituted under the Indian Red Cross Society Act, 1920" ["भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, १९२०, के अन्तर्गत स्थापित"] शब्दों को हटा दिया जाये।

खण्ड ९

(२) कि पृष्ठ ३, पंक्ति ८ में "convention" ["प्रथा"] शब्द के स्थान पर शब्द "conventions" ["प्रथाएं"] रखा जाए।

मुझे खेद है कि इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक के संबन्ध में, जिसे सभा ने हाल ही में पारित किया है, इन छोटे संशोधनों के लिये इस सभा के दो या तीन मिनट लेने हैं। इस विधेयक को वापिस लाने का यह कारण है। मूल खण्ड १३ में, पृष्ठ २ पर हमने यह रखा था :

"इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए, प्रबन्ध निकाय तीसरी अनुसूची क स्तम्भ १ में निर्दिष्ट निधियों में से, इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम के अधीन स्थापित पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी को, स्थानांतरित कर सकती हैं....." हमने इसे इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम में बदल दिया है। किन्तु चूंकि इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम पाकिस्तान पर लागू नहीं होता, विधि मंत्रालय ने मंत्रणा दी है कि वे कुछ शब्द हटा दिये जायें।

खण्ड ९ में "convention" ["प्रथा"] शब्द के स्थान पर "conventions" ["प्रथाएं"] शब्द का प्रयोग करना उत्तम होगा, क्योंकि यह सामान्य रूप से स्वीकृत शब्द है।

इन छोटे संशोधनों के लिये मुझे इस विधेयक को पुनः लाना पड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, १९२० में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये इन संशोधनों पर विचार किया जाये"।

खण्ड ८

(१) कि पृष्ठ २, पंक्ति २९–३० में से "constituted under the Indian Red Cross Society Act, 1920"["भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, १९२० के अन्तर्गत स्थापित"] शब्दों को हटा दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड ९

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ८ में, "convention" ["प्रथा"] शब्द के स्थान पर "conventions" ["प्रथाएं"] शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**राजकुमारी अमृतकौर** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हुआ जाये" ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हुआ जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री अजित प्रसाद जैन द्वारा ९ मई, १९५६, को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि सहकारिता के सिद्धान्तों पर कृषि उत्पाद की भाण्डागार-व्यवस्था और विकास के लिये तथा तत्सम्बन्धी मामलों के लिये निगमों के विनियमन तथा निगमन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री पुन्नूस (आल्लप्पि)** : संविधान (संशोधन) विधेयक के लिये निर्धारित किये गये समय से जो समय बचा है, वह इस महत्वपूर्ण विधेयक को दे दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आवश्यक हुआ तो हम उसका उपयोग कर लेंगे ।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: कल मैं सहकारी कृषि उत्पादन संस्थाओं के बारे में कह रहा था । हमारे देश के लिये ये सहकारी संस्थायें बड़ी महत्वपूर्ण हैं । जहां तक मैं समझता हूं, सोवियत रूस जैसे बड़े-बड़े सामूहिक फार्म या सरकारी फार्म हमारे देश के लिये ठीक नहीं हैं । मैं समझता हूं कि साधारणतया इन संस्थाओं में ५० से १०० तक किसान होने चाहियें, जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हों तथा सहकारिता की भावना से काम कर सकें । उन खेतों का क्षेत्रफल कुछ सौ एकड़ होना चाहिये, कई हजार एकड़ नहीं । दूसरे उनमें अधिकतर काम सामान्यतः पशुओं द्वारा किये जाने चाहियें, क्योंकि भारत जैसे देश में खेती के लिये मशीनों का अधिक उपयोग करना कोई लाभदायक बात नहीं है । वास्तव में भारतीय कृषि की कुशलता उत्पादन क्षमता से और इस बात से जानी जाती है कि इसने कितने लोगों को काम दिया है । दूसरी ओर अमरीका और रूस में, फार्म की कुशलता इस बात में मानी जाती है कि प्रति एकड़ उत्पादन के लिये कितने कम समय काम करने की आवश्यकता होती है ।

मैं समझता हूं कि भारतीय कृषि का भविष्य यह होगा कि बड़े किसान अपने फार्मों में काम करेंगे और छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसान सहकारी संस्थाओं के रूप में काम करेंगे । अब तक इन सहकारी संस्थाओं को अधिक सफलता नहीं मिली है, किन्तु हम उचित वातावरण पैदा करना चाहते हैं ।

कल मैंने सहकारी व्यवस्थातंत्र का कुछ व्यौरा बतलाया था जिससे किसानों को ऋण मिलेगा तथा अन्य सामान मिलेगा तथा उनकी वस्तुओं के बेचने की व्यवस्था होगी । सहकारी संस्थाओं को

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ए० पी० जैन]

ऋण प्राप्त करने में सब से अधिक प्राथमिकता या अधिमान दिया जाएगा। सभा को यह भी विदित है कि पहली पंचवर्षीय योजना में अधिकतम सीमा का सिद्धान्त स्वीकार किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उस सिद्धान्त को अधिक जोश के साथ कार्यान्वित किया जाएगा, और इन सहकारी संस्थाओं को एक यह प्रेरक सुविधा दी जायेगी कि अधिकतम सीमा का सिद्धान्त लागू करने के परिणामस्वरूप, अथवा अन्य किसी प्रकार स, जो भूमि समूचे ग्राम समाज को उपलब्ध होगी, वह सब से पहले इन सहकारी उत्पादन संस्थाओं को दी जाएगी। मुझे आशा है कि वृहत्तर प्रयत्नों द्वारा ये सहकारी संस्थायें सफल हो सकेंगी। वास्तव में, हमारी योजना की सफलता कृषि उत्पादन की वृद्धि पर निर्भर है। जब तक छोटे और मध्यम वर्ग के किसान सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित नहीं होते, वे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक गवेषणाओं का लाभ नहीं उठा सकते। उत्पादन अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंचेगा। मैं इसे बहुत महत्व देता हूं। चीन में सहकारी समितियों के संगठन करने में उन्होंने जो कार्य किया है उससे हम लाभ उठाना चाहते हैं। वहां सहकारी समितियों का संगठन किस प्रकार किया गया है इसका अध्ययन करने के लिये भारत सरकार शीघ्र ही एक दल भेजने वाली है। हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ किया है हम संभवतः उस सब को न अपना सकें। किन्तु मुझे आशा है कि चीन में जो कुछ किया गया है उसका अध्ययन करने के पश्चात् हम इस स्थिति में होंगे कि इन संस्थाओं के संगठन करने में सहायता पहुंचा सकें।

इन सहकारी कार्यवाहियों का एक दूसरा भी पहलू है---कृषि-उत्पादों को अनुशोधित करने में सहकारी प्रथा का जारी करना। पिछले अनुभव से प्रकट होता है कि उन कारखानों ने जो कि बड़ी मात्रा में कृषि-उत्पादों को अनुशोधित करने में संलग्न थे, फसलें बोने के समय रुपया उधार दिया और इस प्रकार उन्होंने उत्पाद में एक तरह से ग्रहणाधिकार रखा। कई बार फसलें रियायती दर पर खरीद ली जाती हैं। जब ये किसान सहकारी रूप में संगठित हो जायेंगे तो उस समय सहकारी रूप से अनुशोधन करना होगा। सहकारी अनुशोधन समितियों के संगठन करने के बारे में हमने कुछ कार्यवाही की है और हमें कुछ सफलता मिली है। मेरा विचार है कि देश में उचित वातावरण उत्पन्न करने पर ही यह संभव होगा। ये सहकारी इकाइयां ग्रामों का विकास करेंगी ताकि उद्योगों के विकास के द्वारा ग्रामों की कृषि सम्बन्धी बचत में परिवर्तन हो सके। इन सहकारी समितियों का उद्देश्य किसान है और विशेषतः वे मध्यम और छोटे-छोटे किसान हैं जो अब तक उपेक्षित थे। उधार देने वाली प्राथमिक समितियां इसकी रीढ़ होंगी। एक ओर तो यह उधार देने वाली समितियों, शीर्ष बैंक, और सेंट्रल बैंक से व्यवहार करेगा। यह सहकारी विपणन समितियों तथा शीर्ष सहकारी समितियों के कार्य-संचालन में सहयोग स्थापित करेगी। गांवों में गोदाम में माल रखने की प्रथा को भी सम्पर्क प्रदान करेगी। हालांकि अनुशोधन और उत्पादन कृषि समितियां उधार देने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं होंगी, फिर भी जहां तक कार्य संचालन का मामला है अनुशोधन और कृषि उत्पादन समिति और ग्रामों में उधार देने वाली समितियों के कार्य संचालन में मेल होगा। विचार यह है कि लोगों में सहकारिता की मिली-जुली भावना की उत्पत्ति हो जिससे गांवों में विपणन सम्बन्धी कार्यवाहियों की वृद्धि हो। सहकरिता की इस व्यवस्था को एकांगी बनाने का विचार नहीं है। इसका अभिप्राय सुयोजित और भली प्रकार से संतुलित ढांचा तैयार करना है। ऊपर चल कर उधार देने सम्बन्धी कार्यवाहियां रिज़र्व बैंक और आर्थिक कार्यवाहियां खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा संगठित की जायेंगी। इन दोनों प्रकार की कार्यवाहियों की नीति और आवश्यक सहयोग लाने के लिये रिज़र्व बैंक और खाद्य और कृषि मंत्रालय में काफी सहयोग होगा। राज्य सरकारों का इन कार्यवाहियों में काफी हाथ होगा। माननीय सदस्य यह अच्छी तरह जानते हैं कि सहकारिता मुख्यतः राज्य सरकार का विषय है। यह राज्य सूची में आता है। जब भारत सरकार उनके बारे में सम्पूर्ण देश के लिये नीति निर्धारित करती है और वित्त के लिये व्यवस्था करती है तो उनको क्रियान्वित करने का दायित्व

राज्य सरकारों का होगा। रिज़र्व बैंक और भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ सहयोग देंगी और इन योजनाओं के क्रियान्वित करने में उन पर निर्भर रहेंगी।

आधार पर एक बहुत बड़ी सहकारी संस्था होगी जो सभी विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों का —गांवों में उधार देने सम्बन्धी कार्यवाहियां, विपणन सम्बन्धी कार्यवाहियां, गोदामों में माल रखने सम्बन्धी कार्यवाहियां आदि का सम्पर्क बनाये रखेगी। अनुशोधन और उत्पादन समितियों में भी सहयोग होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इन संगठनों में पूर्ण सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। जनता में उत्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियों की भावना जागृत कराये बिना किसी प्रकार की भी सहकारिता सफल न होगी। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय सहकारी संघ पर्यालोचन के दौरान में ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति के विचारों और उसकी सिफारिशों से बराबर सहयोग करता रहा है। संघ ने कुछ बहुत ही लाभदायक सुझाव दिये हैं जो स्वीकार कर लिये गये हैं। मैं आशा करता हूं कि आर्थिक कार्यवाहियों के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में जिससे कि गांवों की दशा सुधर जायेगी इसका सहयोग हमें मिल सकेगा एवं अधिक उत्पादन होगा और समान वितरण होगा तथा ग्रामीणजन अधिक मात्रा में आत्मनिर्भर होंगे।

यह प्रश्न उठ सकता है कि हम इस निगम और बोर्ड को जो स्वायत्त होंगे, क्यों बना रहे हैं? सभा को यह विदित है कि एक व्यवस्था जो बहुत से व्यक्तियों की स्वेच्छ सहकारिता पर निर्भर है और जिसमें कुछ व्यवसायिक कार्य भी आते हैं, तभी अच्छा कार्य कर सकती है जबकि उसमें कुछ लचीलापन हो। यदि यह योजना विभागीय आधार पर चली तो सम्भवतः इसमें देरी होगी और लचीलापन का अभाव हो सकता है। इसीलिये ग्रामीण-उधार सर्वेक्षण-समिति ने बोर्ड और निगम बनाने की सिफारिश की थी। फिर भी भारत सरकार को, रिज़र्व बैंक तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय के जरिए, मोटे सिद्धान्तों पर निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। भारत सरकार राज्य सरकारों के जरिये शेयरपूंजी में भाग लेगी। हालांकि शेयर पूंजी ५० प्रतिशत होगी किन्तु बोर्ड में नाम निर्देशित निदेशकों की संख्या ३३ प्रतिशत होगी। यह मंशा नहीं है कि सरकार द्वारा नाम निर्देशित निदेशक इन संस्थाओं के रोजाना के शासन में हस्तक्षेप करेंगे। उनका सम्बन्ध तो साधारण तौर पर वित्तीय मामलों और नीति सम्बन्धी प्रश्नों से रहेगा। विचार यह है कि जब राज्य को देश में सहकारिता व्यवस्था के विकास करने में अधिकतम सहयोग देना चाहिये वहां स्वेच्छापूर्वक की जाने वाली सहकारिता व्यवस्था के विकास में रुकावट डालने वाला कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिये।

हम बराबर समाजवादी समाज की चर्चा करते आये हैं। दरअसल अब हमारा लक्ष्य और आदर्श यही है। हमारी आर्थिक कार्यवाहियों के तीन क्षेत्र हैं: सहकारी क्षेत्र, संगठित उद्योग तथा किसान, और छोटे उद्योगों के कर्मचारी। किसान और छोटे उद्योगों के कर्मचारी हमारी जनसंख्या के ७० प्रतिशत हैं। मेरा विचार है कि यह क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग उपार्जित करता है।

समाजवादी समाज की दो महत्वपूर्ण बातें हैं, अधिक उत्पादन और उस उत्पादन का समान वितरण ताकि अधिक और कम आय के बीच की असमानता कम हो सके। जबकि सरकारी क्षेत्र के कार्य से उपक्रम के लाभों को संकलित किया जाएगा और धनवान तथा निर्धन व्यक्तियों को इससे समान लाभ होगा, आधार पर छोटे निजी क्षेत्र का कार्यकरण सहकारिता के आधार पर वैज्ञानिक और प्रविधिक परिणामों को छोटे व्यक्ति के दायरे तक पहुंचाएगा। यह आर्थिक दृष्टि से भी उनका संगठन करेगा। यह एक उचित कार्य संचालन इकाई की भी व्यवस्था करेगा जिससे अधिक आय होगी। अतः इन छोटे कर्मचारियों का क्षेत्र और कारखानों में सहयोग के आधार पर संघटन करना, समाज का समाजवादी ढांचे को प्राप्त करने और अधिक आय तथा कम आय वाले व्यक्तियों में असमानता को कम करने के लिये संघटन करना आवश्यक है।

[श्री ए० पी० जैन]

मैं आशा करता हूं कि सभा इस लाभदायक उपबन्ध का पूरा समर्थन करेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये श्री के० सी० सोधिया और सरदार इकबाल सिंह द्वारा दो संशोधन पेश किये गये हैं ।

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : मेरा एक नहीं दो संशोधन हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पहले अपना संशोधन पेश करें ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : इस विधेयक के लिये कुल कितना समय नियत किया गया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : छः घण्टे ।

†**श्री अशोक मेहता** (भण्डारा) : मेरा निवेदन है कि इसके लिये अधिक समय की आवश्यकता होगी क्योंकि यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विधेयक है और ३२ खण्डों के बारे में संशोधन आये हैं जिनकी संख्या १२६ है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मेरा निवेदन यह है कि चर्चा के समय विभिन्न वर्गों की ओर से बोलने वालों को उचित समय देना चाहिये क्योंकि यह एक ऐसा उपबन्ध है जिसका हमारी अधिकांश जनता पर प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : छः घण्टे पर्याप्त नहीं हैं । इस उपबन्ध का हमारी ७० प्रतिशत जनसंख्या पर असर पड़ेगा अतः इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब कुछ और समय बढ़ा दिया जाए ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : कार्य मन्त्रणा समिति ने किस आधार पर यह समय नियत किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : समिति के सदस्यों ने विधेयक को पढ़ा और छः घण्टे का निर्णय दिया । अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है तो हम अधिक समय निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे । समिति के सदस्य अपनी राय देने से पहले अपने अन्य मित्रों से परामर्श ले लेते हैं ।

कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकार करते समय ऐसी चीजों पर विचार करना अच्छा है । लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक के लिये १८ घण्टे नियुक्त किये गये हैं, अतः ऐसी स्थिति में अब से आगे माननीय सदस्य अपने संशोधन सभा में प्रतिवेदन के स्वीकार करते समय प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया करेंगे । मुझे आशा है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों की सूचना सूचना-पटल पर लगा दी जाती है । इन सब बातों के होते हुए भी यदि अब भी समय बढ़ाना है तो हम निश्चय ही ऐसा करेंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में न तो मैं ही और न ही अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक मेहता वहां थे । यदि हम वहां होते तो निश्चय ही अधिक समय की मांग करते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दो घण्टे और बैठने के लिये तैयार हूं । अगर हमें दो घण्टे से अधिक चाहिये तो औपचारिक प्रस्ताव पेश होना चाहिये । यदि हम आज छः बजे तक बैठें तो माननीय मन्त्री ने जो एक घण्टा अधिक समय लिया है, उसके अतिरिक्त भी छः घण्टे मिल जायेंगे । अभिप्राय यह है कि हमें कल तीन घण्टों की जरूरत पड़ेगी । आज सारे दिन विधेयक पर सामान्य चर्चा होगी और हम खण्ड वार चर्चा करेंगे । इस पर बहुत से संशोधन आये हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है तथा

†मूल अंग्रेजी में ।

बहुत से सदस्य इसमें रुचि रखते हैं। अतः माननीय संसद-कार्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक के लिये निर्धारित समय को तीन घण्टा और बढ़ा दिया जाये।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : सत्र के शेष कार्य-क्रम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। यदि हम आज से ही प्रतिदिन छः बजे तक नहीं बैठेंगे तो सम्पूर्ण कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जायेगा। यदि सभा ३१ मई तक प्रतिदिन छः बजे तक बैठने को तैयार है तो कार्यक्रम को पूरा करने में कठिनाई नहीं होगी।। हम सब काम ३१ मई तक पूरा कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर ३१ मई तक प्रतिदिन छः बजे तक बैठेंगे। इस विधेयक के लिये तीन घण्टे और बढ़ाये जायेंगे ताकि आज सारे दिन सामान्य चर्चा हो सके, और कल खण्ड-वार चर्चा की जायेगी और इस प्रकार विधेयक पूरा हो जायेगा।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : हम सभी इससे सहमत होंगे।

†**श्री के० सी० सोधिया** : यह विधेयक भारत की जनता की दशा सुधारने के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं कृषि मन्त्री को इसके लिये बधाई देता हूं।

पहले तो मैं इस विधेयक के अनुसार होने वाले प्रबन्ध के सम्बन्ध में कहूंगा। इस विधेयक का खण्ड ५५ रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में रूपभेद करता है। इस पर मेरी आपत्ति यह है कि इस सभा द्वारा पारित अन्य अधिनियमों का संशोधन इस प्रकार विधेयकों द्वारा नहीं किया जाना चाहिये। उसे अलग से ही करना चाहिये। इसलिये, इस विधेयक के खण्ड ५५ को हटा देना चाहिये।

इस विधेयक के अन्तर्गत एक बोर्ड भी गठित किया जायेगा। हमारे देश में पिछले ६० वर्षों से सहकारिता आन्दोलन चल रहा है। सभी राज्य सरकारों ने इन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन और सहायता दी है। वास्तव में, देश के कृषकों द्वारा इसके अपनाये जाने के बिना, हम वर्तमान दशा में सुधार नहीं कर सकते। पर, हम इतने प्रयासों के बाद भी, ६० वर्षों में सहकारिता को अपने इच्छित स्तर तक नहीं पहुंचा सके हैं। इस आन्दोलन की सब से बड़ी बाधा यही रही है कि यह अधिकारियों द्वारा ही चलाया गया है, और जब तक उसे एक स्वतन्त्र ढंग से सार्वजनिक आधार पर नहीं चलाया जायेगा, तब तक हम उसे सफल नहीं बना सकेंगे। इस विधेयक में भी वही पुराना ढंग रखा गया है, अधिकारियों और मंत्रालय को ही महत्व दिया गया है।

बोर्ड के २० सदस्यों में से १३ सरकारी और ७ गैर-सरकारी रखे गये हैं। इन १३ सरकारी सदस्यों में से १० को केन्द्रीय सरकार नामजद करेगी। रिज़र्व बैंक और राज्य बैंक का एक-एक प्रतिनिधि भी उसमें रहेगा। सात गैर-सरकारी प्रतिनिधियों में से भी, वास्तव में केवल दो ही गैर-सरकारी प्रतिनिधि होंगे। एक सहकारिता का और दूसरा आर्थिक क्षेत्र का पर सर्वसाधारण का बोर्ड से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहेगा।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि यह विधेयक ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा। लेकिन, इस विधेयक में कहीं भी उस परामर्शदात्री परिषद् का उल्लेख नहीं है, जिसकी कि उस समिति ने सिफारिश की थी। इस विधेयक के उपबन्धों को गौर से देखने पर पता चलता है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय का सचिव ही वास्तव में बोर्ड और निगम का प्रशासक रहेगा। यदि हम वास्तव में इस आन्दोलन को एक सार्वजनिक आधार पर लाना चाहते हैं तो हमें इसकी व्यवस्था में अधिक से अधिक गैर-सरकारी व्यक्तियों को रखना चाहिये।

यह बोर्ड निगम और सहकारी समितियों के द्वारा ही कार्य करेगा। यदि भाण्डार-व्यवस्था निगम इस बोर्ड का अभिकरण बनने जा रहा है, तो फिर अन्य सहकारी समितियों का क्या उपयोग

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री के० सी० सोधिया]

रहेगा ? बोर्ड की तो वर्ष में एक बार ही बैठक हुआ करेगी, और सारे कार्य का प्रबन्ध खण्ड १० के अनुसार, सात सदस्यों की एक कार्यपालिका समिति ही करेगी। इस प्रकार इस समूचे संगठन पर सरकारी अधिकारी ही छाये रहेंगे, और इस कारण इसे एक लोक आन्दोलन नहीं बनाया जा सकता है। बोर्ड और निगम के साथ ही साथ परामर्शदात्री परिषद की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसके वित्त के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मंत्रालय उसे घटा-बढ़ा सकता है। बोर्ड की निधियां ३० करोड़ रुपयों की होंगी। इसमें से १५ करोड़ रुपये तो भाण्डार-व्यवस्था निगम को मिलेंगे और १५ करोड़ बोर्ड को। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

इस विधेयक द्वारा स्थापित भाण्डार-व्यवस्था निगम केन्द्रीय सरकार की ओर से खाद्यान्नों का क्रय करेगा। गत वर्षों का हमारा अनुभव यह है कि ईस क्रय-व्यवस्था में सभी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। क्रय-अभिकरण बाजार भाव सस्ता होने पर भी सरकार द्वारा निर्धारित अधिक भाव पर ही खाद्यान्न खरीदते हैं। ये सहकारी समितियां और निगम कई प्रकार के भ्रष्ट आचरण करते हैं, और किसी पर भी उसका व्यक्तिगत दायित्व नहीं रखा जा सकता है। हमें इस विधेयक में एक ऐसा उपबन्ध भी रखना चाहिये जिसके द्वारा इस निगम या उसके अभिकर्त्ताओं की कार्यवाहियों को नियंत्रित किया जा सके। और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

इस विधेयक की एक धारा में कहा गया है कि यदि भाण्डार-व्यवस्था निगम और संस्था सफल नहीं होती हैं तो सरकार उसे समाप्त कर देगी और उसकी आस्तियों को अपने अधिकार में ले लेगी। निगम की स्थापना के लिये तो मन्त्रालय इस लोक-सभा की अनुमति मांग रहा है, पर उसे समाप्त करने के प्रश्न को उसने लोक-सभा में प्रस्तुत करने की बात नहीं कही है। मुझे इस पर आपत्ति है। मैं चाहता हूं कि उसे भी लोक-सभा के सामने रखा जाये और उस पर भी पूरी तौर से चर्चा की जाये।

प्रत्येक मूल विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये। समय के अभाव के कारण हम उनकी पेचीदगियों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे पेचीदा विधेयकों को तो प्रवर समिति को सौंपना और भी आवश्यक है। इसलिये, मैं चाहता था कि इस विधेयक को भी प्रवर समिति को सौंपा जाता। लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है, इसलिये मैं अपने इस प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने वाले प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरदार इकबाल सिंह इसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

†**सरदार इकबाल सिंह** (फाजिल्का-सिरसा) : जी, नहीं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : कृषि उत्पाद के विकास और भाण्डार-व्यवस्था का उपबन्ध करने वाले इस विधेयक का देश में स्वागत किया जायेगा। पर इस विधेयक की उपयोगिता सरकार द्वारा इसकी कार्यान्विति पर ही निर्भर रहेगी। इस विधेयक की पृष्ठभूमि में द्वितीय पंचवर्षीय योजना ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण, समाजवादी समाज का आदर्श और देश में कीमतों का उतार-चढ़ाव है। अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि की स्थिति को सरकार ठीक प्रकार से नहीं सम्भाल सकी है।

लोक हित में कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जा सकती जिसमें अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन और सम्भरण की एक योजना सम्मिलित न हो; जिसमें सूखा और बाढ़ जैसी आकस्मिकताओं के विरुद्ध पर्याप्त बचाव न किया जाये और जिसमें सट्टेबाजों आदि की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध न लगाया जाये। भाण्डार-व्यवस्था का यह विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय ही पैदा नहीं हुआ है। क्रय-विक्रय और ग्राम्य-ऋणों के प्रश्न की जांच करने वाले तमाम आयोगों और समितियों ने समय-समय पर इसकी

†मूल अंग्रेजी में।

सिफारिश की है। सभी ने हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था के इस पक्ष पर जोर दिया है। वर्तमान स्थिति क्या है? फ़सल के पहले, किसान महाजनों और साहूकारों से रुपया उधार लेते हैं और उन्हें अपने उत्पाद बाजार भाव से कम मूल्य पर बेचने पड़ते हैं।

भारतीय ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भी इसके सम्बन्ध में कहा गया है। [जूट के सम्बन्ध में उसमें बताया गया है कि] जूट के रेशों के वर्गीकरण और उनकी गांठें बनाने आदि के कार्य मध्य-वर्त्ती व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, और ये लोग इस बात का लाभ उठाते हैं कि किसानों को प्रौद्योगिक पक्ष और बाजार भावों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता है। साथ ही, कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय का नियंत्रण निजी हितों वाले कुछ व्यक्ति ही करते हैं, और किसानों को ऐसे व्यक्तियों के साथ सौदा करना पड़ता है जिनके पास धन है, जो उन्हें ऋण देते हैं और जो बाजार पर छाये रहते हैं। उसी प्रतिवेदन में बताया गया है कि मिदनापुर म एक वर्ष में प्रति खेतिहर परिवार के ऋण में २०३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका क्या इलाज किया जाये? यह दशा केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं ह। मालाबार में भी ५३ प्रतिशत उत्पादकों को व्यापारियों से ऋण लेना और उनके हाथों अपना ९३ प्रतिशत उत्पाद बेचना पड़ता है। भारत में अधिकांश कृषि उत्पाद देहातों में ही व्यापारियों के हाथ ही बेच दिया जाता है, उत्पादक स्वयं बहुत कम संख्या में उपभोक्ताओं को बेच पाते हैं। इसी कारण सट्टेबाज़ों, मध्य-वर्त्ती लोगों और व्यापारियों को किसानों का शोषण करने का सुन्दर अवसर मिल जाता है।

अन्य राज्यों में भी यही दशा है। किसानों को फ़सल के पहले व्यापारियों से ऋण लेना पड़ता है और बाद में बाजार भाव से कम मूल्य पर अपने उत्पाद उनके हाथ बेच देने पड़ते हैं।

हाटों और मण्डियों पर आढ़तिये और दलाल छाये रहते हैं। इसलिये, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भाण्डार-व्यवस्था स्थापित करने का यह प्रस्ताव किया गया था।

कल माननीय मंत्री ने कहा था कि पहले सहकारी समितियों के विकास को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। विदेशी सत्ता से हमें अधिक आशा भी नहीं थी। लेकिन अब भी सहकारिता आन्दोलन क्यों अधिक आगे नहीं बढ़ सका है? बम्बई और मद्रास आदि राज्यों के अतिरिक्त, अन्य सभी राज्यों में वह असफल रहा है।

कम से कम सात राज्यों ने भाण्डार-व्यवस्था अधिनियम बनाय हैं, लेकिन वे भी असफल ही रहे हैं। इस असफलता का क्या कारण है? ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण समिति ने बताया है कि इसके कारण हैं: सहकारिता के हितों की अपेक्षा दलगत हितों को अधिक महत्व देना, सभी प्रकार की चालबाजियां, वित्तीय कठिनाइयां, अनियंत्रित बढ़ती, बेनामी सौदे, पक्षपात आदि।

हमारे देश की ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि-उत्पाद से प्राप्त होती है और ७० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। माननीय मंत्री बता ही चुके हैं कि हमारे ७५ प्रतिशत किसानों के पास मितव्ययी जोतों से छोटी जोतें हैं, जिन पर बचत कम और खर्च अधिक होता है। कहा गया है कि जोतों की अधिकतम सीमा के निर्धारण और कृषि-सुधारों के बाद, सरकार अमितव्ययी जोतों वाले किसानों या कृषि-श्रमिकों की सहकारी समितियां बनायेगी और इस प्रकार इस समस्या को हल किया जायेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कहा गया है कि सहकारिता के आधार को दृढ़ बनाकर ही इस आन्दोलन को विकसित किया जा सकता है।

माननीय मंत्री ने चीन का उदाहरण देकर कहा था कि वहां १२ लाख सहकारी समितियां हैं और उन्होंने अपूर्व प्रगति की है। हमारे यहां भी १,८७,००० सहकारी समितियां हैं और उनकी सदस्यता ८५ लाख है। प्रश्न उनकी संख्या का नहीं है। प्रश्न यह है कि हमारे यहां वे क्यों असफल रही हैं?

[श्री एन० बी० चौधरी]

इसका कारण यही है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई एकीकृत नीति नहीं अपनाई है और इसे समुचित प्रोत्साहन नहीं दिया है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग की सिफारिशों में भी इसकी व्यवस्था की गई थी । संसद ने उनको स्वीकार भी किया था । पर, सरकार उनको कार्यान्वित नहीं कर सकी । इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार यह आश्वासन दे कि वह इस विधेयक कौ अधिक गम्भीरता से कार्यान्वित करेगी ।

विधेयक में एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने की व्यवस्था की गई है । यह बोर्ड ही केन्द्रीय भाण्डार-व्यवस्था निगम को संघटित करेगा । राज्य निगम भी बनाये जायेंगे । ग्रामोद्योग आदि के मामलों में हम देख चुके हैं कि राज्य केन्द्र द्वारा दिये गये धन का ठीक-ठीक उपयोग नहीं कर पाते हैं । पता नहीं राज्य वित्त निगमों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है इसलिये, इसकी भी क्या गारंटी है कि राज्य भाण्डार-व्यवस्था निगमों के बारे में सरकार अपने वचन पूरे करेगी और किस संघटन या व्यवस्था द्वारा करेगी ?

विधेयक में कहा गया है कि इस बोर्ड में विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । केन्द्रीय निगम में भी तमाम हितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन उसमें सहकारिता क्षेत्र के लिये बहुत कम आवंटन किया गया है । क्या इस बात का खतरा नहीं है कि इन संघटनों में सट्टेबाज़ भी किसी न किसी प्रकार घुस आयेंगे और अपने हितों के लिये इनका उपयोग करेंगे । विधेयक को सफल बनाने के लिये इसके विरुद्ध परिमाण रखना आवश्यक है ।

राज्य निगमों के सम्बन्ध में, मुझे यह पूछना है कि इनमें भी सहकारी समितियों और अन्य संगठनों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है; इनके अंशों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों तक ही सीमित क्यों रखा गया है ? तब तो वह केवल राज्य की ही संस्था बन जायेगा । हम तो चाहते हैं कि राज्य-व्यापार संस्थायें बनाई जायें । हम उसका विरोध नहीं करते । पर सरकार जब यह कहती है कि वह सहकारिता को प्रोत्साहन देगी और इसका विकास सहकारी ढंग से किया जायेगा, तब राज्य के स्तर पर अंश पूंजी में राज्य के सहकारी संघटनों को प्रतिनिधित्व देने मे क्या नुकसान है ? सहकारी समितियों के संगठन करने में और ग्राम स्तर तक की कार्यवाहियों को सहयोजित करने में अधिक सक्रिय भाग इन सहकारी संघटनों को ही लेना पड़ेगा । इसलिये, हमें इस सम्बन्ध में विधेयक को संशोधित करना चाहिये

हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों का आर्थिक विकास बड़े असमान ढंग से हुआ है । ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण समिति ने देश को दो क्षेत्रों में बांटा है : खाद्यान्नों का क्षेत्र और व्यापारिक फसलों का क्षेत्र । पहले क्षेत्र में हमारी ७५ प्रतिशत भूमि आती है और दूसरे क्षेत्र में २५ प्रतिशत । लेकिन २५ प्रतिशत भूमि की उपज की व्यापारिक फसलों का मूल्य ७५ प्रतिशत भूमि की उपज के खाद्यान्नों के मूल्य के बराबर बैठता है ।

इसलिये, यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि इस व्यवस्था को सहकारी आधार पर संगठित किया जाये, और व्यापारिक फसलों वाले क्षेत्रों में गोदामों और भाण्डार-गृहों की स्थिति की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाये । व्यापारिक फसलों वाले क्षेत्रों में गोदामों की बड़ी आवश्यकता है; उनके न होने से मिलों के दलाल या अभिकर्त्ता किसानों के साथ बड़ी धोखेबाज़ी करते हैं । हमें उनकी यथासम्भव रक्षा करनी चाहिये ।

हमारे देश के कुछ भाग तो ऐसे हैं कि जहां व्यापारिक फसलें अधिक होती हैं, और दूसरी ओर कुछ भाग एस हैं जहां लोगों को व्यापारिक फसलें बाहर से ऊंची कीमतों पर मंगानी पड़ती हैं । ऐसी परिस्थिति में व्यापारिक फसलों की कीमतों में बड़ा अन्तर हो जाता है । कीमतों की इस विभिन्नता पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है ।

आलू जैसी चीजों के सुरक्षित रखने के लिये शीत कोठारों की व्यवस्था की जानी चाहिये। इनके न होने से विक्रेता उत्पादकों से अनुचित लाभ उठा लेते हैं। बीज बेचते समय तो वे उनसे मनमानी कीमतें वसूल करते हैं, पर उनके उत्पाद को खरीदते समय बहुत ही कम कीमत पर लेते हैं। स्थिति में सुधार इसी प्रकार किया जा सकता है कि आलू जैसी वस्तुओं को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित कर लिया जाये, यदि उनको अभी खाद्यान्नों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन्हें 'कृषि उत्पाद' में सम्मिलित किया जा सकता है। तब इनको भी भाण्डार-गृहों में स्थान मिल जायेगा।

गोदामों की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के कारण, युद्ध-काल में ही नहीं, आज भी हमें भारी हानि उठानी पड़ रही है। सारे देश में हमें इसके कारण अपने तीन प्रतिशत गेहूं से हाथ धो बैठना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में युद्धोपरांत काल के निजी गोदामों को भाण्डार-गृहों के लिये उपयोग करने का सुझाव ठीक नहीं है। ये निजी गोदाम बहुत त्रुटिपूर्ण हैं, और सरकार उनके लिये काफी अधिक किराया दे रही है। उन्हें अब सरकार को छोड़ देना चाहिये। उनसे अब कोई लाभ नहीं हो सकता। निजी गोदामों के मालिकों के हित तो इसी में है कि सरकार उन्हें अपने लिये ले ले। पता नहीं सरकार का क्या विचार है ? पर, यदि सरकार एक स्थायी आधार पर भाण्डार-गृह बनाना चाहती है, तो उसे स्वयं ही एक स्थायी आधार पर त्रुटिहीन भाण्डार-गृहों का निर्माण करना चाहिये। जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों का संबन्ध है, मैं मंत्री महोदय से यह अपील करूंगा कि जिस धन राशि का उपबन्ध किया गया है, उसको बढ़ा दिया जाये। मैंने इस राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति की अनुमति भी मांगी है। मुझ को यह तो ज्ञात नहीं है कि यह अनुमति मिलेगी अथवा नहीं, परन्तु मैं यह निवेदन अवश्य करूंगा कि यदि इस राशि को बढ़ाया नहीं गया तो हम अपने विशाल देश में इस विशाल समस्या का निबटारा नहीं कर सकेंगे।

प्रारूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक के ऋण आदि के अतिरिक्त इस मद में केवल ४६ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम यहां जिस धन राशि का उपबन्ध किया गया है उसको बढ़ा दिया जाये। हम टाटा आदि बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तो बड़े-बड़े ऋण आदि दे रहे हैं, परन्तु इन्हीं उद्योगों को माल पहुंचाने के लिये, उस अकाल से, जो अगरतला त्रिपुरा आदि में फैला हुआ है, वहां की जनता को बचाने के लिये अपनी सम्पूर्ण अर्थ-व्ययवस्था को दृढ़तर बनाने के लिये, इस बात की व्यवस्था करने के लिये, कि बढ़ते हुए आर्थिक उत्पादन का लाभ केवल कुछ ही लोगों तक सीमित न रहे वरन् हमारे विशाल कृषक-समूह को लाभान्वित करे। इन सहकारी समितियों को ठोस आधार पर संगठित करने के लिये और केवल कृषि पर ही निर्भर करने वाले हमारे जनता के ७५ प्रतिशत भाग के हित में यह आवश्यक है कि और भी अधिक राशि का उपबन्ध किया जाये। इस बात का प्रबन्ध करने के लिये भी, कि इन सहकारी समितियों को उचित ढंग से संगठित किया जाये जिससे कि वह महाजनों और गांवों के उन सूदखोरों के चंगुल में न आ सकें, जिनके चंगुल में ये अभी तक पड़े हुए थे और साधारण जनता को लाभ पहुचाने के लिये, जिसे इन संगठनों से लाभ उठाना सम्भव नहीं हुआ था, आवश्यक कार्यवाही की जाये।

†**श्री अशोक मेहता** : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, केवल इसीलिये नहीं कि इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था की कमी को पूरा करने का उपबन्ध किया गया है वरन् इसलिये भी कि इसमें ऐसे उपबन्ध हैं जिनके द्वारा हमारे देश के विपणन, और सहकारिता सम्बन्धी अन्य कार्यों के विकास के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जा सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अशोक मेहता]

जहां तक गोदामों में माल रखने के काम का सम्बन्ध है, उसका इतिहास काफी लम्बा है। पिछले दिनों में इस सम्बन्ध में अनेक प्रयोग किये गये और वह सब असफल रहे हैं। वह क्यों असफल हो गये ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

दूसरे, गोदामों में माल रखने का काम कोई नया नहीं है। इस पर विभिन्न समितियां और आयोगों द्वारा विचार किया गया है और यदि मंत्री महोदय इनको देखें तो वह यह पायेंगे कि विभिन्न सहकारी समितियों को सहायता प्रदान कर के गोदामों और भाण्डागारों की स्थापना करने के जो प्रयास किये गये हैं उनसे कोई भी फल नहीं प्राप्त हुआ है।

अब ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण का प्रतिवेदन उस समय प्राप्त हुआ है जबकि उस पर विचार किये जान के लिये परिस्थितियां अत्यन्त अनुकूल हैं। परन्तु मुख्य बात यह है कि जिस समय हम इन सिफारिशों को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं उस समय हमको इस प्रश्न के इतिहास को देखना चाहिये और यह पता लगाना चाहिये कि सदाशयतापूर्ण सरकारी सदस्यों के पिछले प्रयास क्यों असफल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि या तो मार्ग में पुरानी बाधायें आयें ही नहीं और यदि आयें भी तो हम उनका सामना करने के लिये भली प्रकार मुस्तैद रहें।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, इसकी एक विशेषता है और वह यह है कि किसान कच्चा माल फुटकर मूल्य पर खरीदते हैं और तैयार माल थोक मूल्य पर बेचते हैं। इसीलिये कृषि अर्थ-व्यवस्था में विपणन का इतना महत्वपूर्ण स्थान है।

यहां यह समझना भी आवश्यक है कि विपणन के कृत्य क्या हैं ? इस विषय का अध्ययन करने वालों ने विपणन-कार्यों को तीन समूहों में विभक्त किया है : विनिमय का कार्य, वास्तविक संभरण का कार्य और सुविधायें प्रदान करने का कार्य। इन कार्य-समूहों को बेचने और एकत्र करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और गोदामों में रखने, पूंजी लगाने, खतरा उठाने, विपणन सम्बन्धी सूचना और प्रमापीकरण आदि वर्गों में विभक्त किया गया है। क्या हम इन कार्यों को पूरा कर रहे हैं ? क्योंकि यदि हम इन कार्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल कर हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

हमें सावधान रहना होगा ।. इस अधिनियम के एक बार संविधि पुस्तक में आ जाने पर, इसको कार्यान्वित करने में हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सभी कार्यों को पूरा किया जाये। साथ ही यदि पिछले अनुभव से कुछ लाभ उठाना है तो संभावित कठिनाइयों के सम्बन्ध में उचित उपबन्ध किया जाना चाहिये। मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि विधेयक की योजना काफी आकर्षक है और यह देश की आवश्यकताओं को काफी सीमा तक पूरा करेगा।

जैसा आपको ज्ञात है, बोर्ड की योजना में बोर्ड के सुपुर्द किये गये संसाधनों को दो भागों—राष्ट्रीय सहकारिता विकास निधि और राष्ट्रीय भाण्डागार विकास-निधि—में विभक्त करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के अनुसार राष्ट्रीय सहकारिता विकास निधि का कार्य वह बुनियादें डालना होगा जिस पर दूसरी निधि अपने ढांचे को खड़ा करेगी। मुझे आशा है कि इस बुनियाद डालने के कार्य पर बोर्ड द्वारा अधिक ध्यान दिया जायेगा।

जहां तक गोदामों में माल रखने के कार्य का सम्बन्ध है, केवल लाभ के अवसरों को कम कर देना ही पर्याप्त नहीं है, परन्तु साथ ही लाभ की आवश्यकतायें भी होती हैं। उनके भ कम किये जाने की आवश्यकता है।

यह विधेयक केवल एक अस्थि-पिंजर मात्र है। रक्त और मांस का उपबन्ध करना पड़ेगा। जहां तक इस अस्थि-पिंजर का सम्बन्ध है, इसके विषय में यहां वहां हमारे मतभेद हो सकते हैं। परन्तु इसकी

स्थापना ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार, जिनसे सामान्यतया हम सभी सहमत हैं, की गई है। मैं तो यह कहूंगा कि अधिक आवश्यकता इस बात पर अधिक ध्यान देने की है कि इस अस्थि-पिंजर पर अन्ततोगत्वा रक्त और मांस किस रूप में चढ़ाया जाये।

यहां पहुंच कर, हमको इस प्रश्न पर विभिन्न पहलुओं से विचार करना पड़ेगा। सहकारिता के आधार पर विपणन सम्बन्धी जो सुविधायें प्रदान की जाती हैं क्या हम उनको पूरा करने जा रहे हैं? यदि हम इन सब जटिल सुविधाओं का उपबन्ध करने जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण योजना को किस ढंग पर संगठित किया जायेगा? इन गोदामों को ही लीजिये। स्वाभाविक ही है कि कुछ टर्मिनल भाण्डार भी होंगे। अब, इन कार्यों को करने पर कितना व्यय होगा? व्यय का प्रश्न अन्यन्त ही महत्वपूर्ण है। यदि यह व्यय अत्यधिक हो जाये तो जिस प्रकार भूतकाल में प्रयोग असफल रहे हैं उसी प्रकार यह भी असफल हो जायेंगे।

फिर प्रश्न यह नहीं है कि हम कितने धन का उपबन्ध करने जा रहे हैं, वरन् यह है कि इसके लिये कितने धन की मांग करने जा रहे हैं? यदि आरम्भ से ही व्यय अधिक हुआ तो प्रयोग निश्चित रूप से असफल हो जायेगा।

संसार में जिस भी स्थान पर सहकारी-विपणन का विकास किया गया है वहां श्रेणीबद्ध करने और सफाई आदि करने का उपबन्ध भी किया गया है और इसका सम्बन्ध संग्रह करने से है। मुझे यह तो ज्ञात नहीं है कि इन भाण्डागारों के सम्बन्ध में प्रत्येक किसान को यह आश्वासन दिया जायेगा या नहीं कि उसके अनाज को अलग रखा जायेगा और उसको एक ही स्थान पर संग्रह नहीं किया जायेगा। इस बात को याद रखना आवश्यक है कि हमारी शहरी आबादी ६-१/२ करोड़ है। १९६१ तक इसमें निश्चित रूप से २-१/२ करोड़ की वृद्धि हो जायेगी। प्रत्येक दशक में जनसंख्या में ३० से ४० प्रतिशत तक वृद्धि होगी। इसलिये हमारे देश में ही अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ रहा एक विशाल बाजार है जिसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों से माल पहुंचाया जायेगा और इस कार्य में गोदामों में माल रखने और विपणन के कार्य महत्वपूर्ण हैं। इसके लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारिता सम्बन्ध स्थापित हो सकता है, परन्तु क्या यह सहकारी समितियां एक होकर श्रेणीबद्ध करने और प्रमापीकरण करने के कार्य में सहायक सिद्ध होंगी अथवा अनाज का विपणन उसी प्रकार होता रहेगा जिस प्रकार कि अब तक होता रहा है।

मेरी समझ में यह नहीं आया कि मंत्री महोदय क्या करना चाहते हैं? यदि एक क्षेत्र में कुछ लोग किसी सहकारी विपणन समिति अथवा संगठन में शामिल हो जाते हैं तो क्या अन्य लोगों से शामिल होने के लिये कहा जायेगा? इनमें अनिवार्यता की कोई बात रहेगी अथवा नहीं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय हमें इस सम्बन्ध में कुछ और भी बतायेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम काफी कठोर समझौते करें। मैं जो बात चाहता हूं वह यह है कि इस बात की जांच की जाये और पता लगाया जाये कि क्या सहकारी विपणन और भाण्डागार सम्बन्धी बड़े-बड़े प्रयोग बिना कठोर नियमों के सफल हो सकते हैं, और यदि कठोर नियम बनाना आवश्यक ही हो तो किस स्तर पर और किस प्रकार इन कठोर समझौतों को लागू किया जाये।

मैं अपनी पहले कही गयी इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि मैं राज्य द्वारा संगठित की गयी अथवा राज्य द्वारा चलायी जाने वाली सहकारी समितियों को पसन्द नहीं करता है। मेरा विश्वास है कि केवल अनिवार्य सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा ही इस समस्या को हल किया जा सकता है।

[श्री अशोक मेहता]

इसके बाद परिवहन का प्रश्न आता है । जैसा कि मैंने पहले संकेत किया था, हमारी शहरी जनसंख्या में ३० से ४० प्रतिशत तक की वृद्धि हो रही है । क्या परिवहन के लिये हम अपनी रेलों पर ही निर्भर करेंगे ? रेलवे में केवल लोहा, इस्पात, सीमेन्ट और कोयले के लिये ही अतिरिक्त उपबन्ध किया गया है । १९६१ तक हमारी शहरी जनसंख्या में लगभग ३ करोड़ की वृद्धि हो जायेगी और हमारी प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ जायेगी । अब आप इस सब सामान को किस प्रकार ढोयेंगे ? अपने देश के आन्तरिक जलमार्गों को विकसित करना हमारे लिये आवश्यक है और यदि हम इनको विकसित करना चाहते हैं तो भाण्डागारों की हमारी व्यवस्था भी बिल्कुल भिन्न होगी क्योंकि विभिन्न केन्द्रों का सम्बन्ध रेलों से जोड़ने के स्थान पर जलमार्गों से जोड़ना पड़ेगा । यदि परिवहन की विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करना है तो उसी के अनुसार भाण्डागारों की सुविधा का भी उपबन्ध करना होगा । केवल ग्रामीण क्षेत्रों के गोदामों में सुधार करने से ही काम नहीं चलेगा । यह तो ठीक है कि इस विधेयक में परिवहन सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं किया जा सकता है, परन्तु मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि वह परिवहन मंत्रालय से किस प्रकार का सम्पर्क रखने वाले हैं । परिवहन के कार्यकरण पर सावधानीपूर्वक विचार किये बिना विपणन की कार्य-व्यवस्था नितान्त अपूर्ण रहेगी । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अगले पांच अथवा दस वर्षों में इस समस्या की किस प्रकार हल किया जायेगा ?

मुझे आशा है कि बोर्ड से विपणन सम्बन्धी सूचनाओं को एकत्र करने और विपणन सम्बन्धी गवेषणा कार्य की व्यवस्था करने को कहा जायेगा । अन्य देशों में तो विपणन-गवेषणा कार्य को सरल बनाने के लिये इस प्रकार के अधिनियमों को संविधि-पुस्तक में रखा गया है ।

इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण किये जाने का हमारा अनुभव बहुत सुखकर नहीं रहा है । जिस समय इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय अतिरिक्त शाखाओं की स्थापना करने के हेतु संविहित उपबन्ध किये गये थे, परन्तु जहां तक वास्तविक सफलता का प्रश्न है, बहुत थोड़ा ही कार्य किया गया है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में कोई क्रमिक कार्यक्रम हमारे सामने रखने के लिये तैयार हैं ? जिससे कि हम यह पता लगा सकें कि हमने कहां तक प्रगति की है ?

मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय इस बात में मुझ से सहमत नहीं होंगे, परन्तु उन लोगों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है जो यह समझते है कि अगले पांच वर्षों में हमारे कृषि-उत्पादन में ३० से ४० प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है । यह काम केवल उसी दशा में किया जा सकता है जबकि देश के प्रत्येक किसान की आवश्यकता की वस्तुएं उसके पास पहुंचा दें । इसके लिये आपने इस संगठन को स्थापित करने की प्रस्थापना की है । इसीलिये मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कम से कम कुछ ताल्लुकों, जिलों अथवा क्षेत्रों में अनिवार्य सहकारी समितियों की स्थापना के प्रयोग किये जायें । अपने विभिन्न विचारों को अन्य स्थानों पर लागू करके परीक्षण करें, परन्तु इस प्रयोग को अवश्य पूरा करें । मुझे आशा है कि बोर्ड भी सभी स्थानों पर केवल एक ही नमूने को लागू नहीं करेगा । इस देश को अनेक प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है जिससे कि हम प्रगति के सही मार्ग का पता लगा सकें ।

सरदार इकबाल सिंह : मैं इस बिल (विधेयक) का समर्थन करता हूं क्योंकि इसके जरिये कम से कम कुछ तो किया जा रहा है । इस बिल के जरिये जिस तरीके से काम करने की स्कीम (योजना) रखी गयी है उससे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद तो नहीं मालूम देती ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी (ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण समिति) ने यह एक बहुत अहम सिफारिश की थी और गवर्नमेंट ने इसको मंजूर करके किसान के लिये बहुत अच्छा काम किया है । यह मालगोदामों का तजुर्बा पंजाब से शुरू हुआ है और इसके बारे में मुझ से पहले बोलने वाले मेम्बर साहब ने कहा है । इस

सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको उस तजुर्बे से फायदा उठाने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि यह तजुर्बा कामयाब हो। अगर हम इन मालगोदामों को इकनामिक लेविल (आर्थिक-स्तर) पर न चला सके और इनसे किसानों को फायदा न हुआ तो मैं समझता हूं कि इस बिल से किसान की बेहतरी नहीं हो सकेगी ।

मैं देखता हूं कि इस बिल को गलत तरीके से शुरू किया गया है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इन मालगोदामों से किसानों को फायदा पहुंचे। आज कल होता यह है कि फस्ल के वक्त दाम बहुत नीचा कर दिया जाता है और उसके बाद दाम कई गुना ज्यादा कर दिया जाता है। पिछले साल ही चने का दाम फस्ल पर ६ या ७ रुपया मन था लेकिन साल के दौरान में उसका दाम १२ और १३ व १४ रुमये मन तक हो गया और अब फिर ९ रुपये मन पर आया है। इस-लिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर मालगोदामों को किसानों की बेहतरी के लिये इस्तैमाल करना है तो उनको ऐसी जगह बनाना चाहिये जहां कि वे किसानों के लिये ज्यादा से ज्यादा फायदेमन्द साबित हो सकें। आप जानते हैं कि जंग के बाद इस देश में बहुत से मालगोदाम बने लेकिन उनका फायदा किसानों को नहीं हो सका। वे मालगोदाम कलकत्ता, बम्बई में या ऐसी बड़ी मंडियों में बनाये गये थे जहां कि गवर्नमेंट अपना माल स्टोर [एकत्र] करती थी। अगर आप इस चीज को डिसेंट्रलाइज [विकेन्द्रित] नहीं करेंगे और इन गोदामों को बड़े-बड़े शहरों में ही रखेंगे तो इनसे किसानों को कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आप इनसे किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इनको ऐसी जगहों पर रखें जहां पर कि किसान अपना मार्केटेबिल सरप्लस [बिकने योग्य अतिरिक्त माल] जमा कर सकें और इस तरह अपनी पैदावार का मुनासिब दाम ले सकें और अपनी स्टैंडर्ड आफ लिविंग [जीवन निर्वाह स्तर] बढ़ा सकें और मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ने से ही इस देश का भला हो सकता है। अगर इन मालगोदामों को बना कर आप मिडिलमैन [मध्यजन] का फायदा कम करके किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकें तो जो ३५ करोड़ रुपया आप इन मालगोदामों पर अगले पांच साल में खर्च करना चाहते हैं वह फायदेमन्द साबित हो सकता है। अगर इन मालगोदामों का किसानों के फायदे के लिये इस्तैमाल किया गया तो यह बिल फायदेमन्द साबित हो सकता है। तो सबसे पहली बात जो देखनी है वह यह है कि इन मालगोदामों का प्लानिंग [आयोजन] किस तरह हो कि इनसे किसानों को फायदा पहुंच सके ।

इसके अलावा इस बिल में यह भी देखना है कि यह बोर्ड किन-किन चीजों के लिये फंक्शन [कार्य] करेगा। इसमें कुछ चीजें दी गयी हैं लेकिन कुछ चीजें जो कि अहम हैं शामिल नहीं की गयी हैं। मसलन गुड़ है या आइलसीड्स [तिलहन] हैं। इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। पिछले साल आइलसीड्स में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इनके अलावा मैं चाहता हूं कि वैजीटेबिल्स [तरकारियां] और फलों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये। इसकी वजह यह है कि अलग-अलग इलाकों में किसान अलग-अलग किस्म की फस्लें पैदा करते हैं। कुछ जगहों पर सिर्फ सब्जी ही पैदा की जाती है। जो किसान पहाड़ों में रहते हैं वे ज्यादातर फल ही पैदा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन तीन-चार चीजों को और इसमें शामिल कर लिया जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं समझता हूं कि इस बोर्ड के फंक्शन को और ज्यादा बढ़ाना चाहिये। आप हिन्दुस्तान के रिसोर्सेज [संसाधनों] को ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा करना किसान के लिये फायदेमन्द साबित हो ।

मुझ से पहले बोलने वाले मेम्बर [सदस्य] साहब ने जूट और ऊन के मसले के बारे में कहा। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां कपास और गंदुम ज्यादा पैदा होती है। इसको मिडिलमैन किसान से सस्ते दामों पर लेने की कोशिश करते हैं। पंजाब का मार्केटिंग ऐक्ट [विपणन अधिनियम] हिन्दुस्तान

[सरदार इकबाल सिंह]

में सबसे ज्यादा अहम और बेहतरीन है लेकिन उसके बावजूद मिल ओनर [मालिक] और मिडिलमैन हर यत्न करते हैं कि किसान से सस्ते से सस्ते दाम पर उसकी फसल ले लें और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा नफा कमायें। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस बिल में आप किसान के नुक्तेनजर से प्लानिंग करेंगे तो यह किसान के लिय बेहतरीन साबित हो सकेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह किसान के लिये फायदेमन्द साबित नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि श्री अजित प्रसाद जी के दिल में किसान के लिये हमदर्दी है। आप जानते हैं कि सन् १९४० से रिजर्व बैंक आफ इंडिया में एक एग्रीकलचरल सैल [कृषि सम्बन्धी इकाई] बना है और रिजर्व बैंक के इस हिस्से ने किसानों के लिये अभी तक कितनी बेहतरी का काम किया है।

इस बिल के जरिये जो आप एक सेंट्रल नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर-हाउसिंग बोर्ड [केन्द्रीय राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार बोर्ड] बनाने जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर आप यह बोर्ड बनाने जा रहे हैं, वह बहुत अच्छे हैं और मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन इस बोर्ड के कम्पोजीशन [गठन] के सम्बन्ध में मुझे ऐतराज है। इसमें आपने आफिश्यिल्स [सरकारी अधिकारी] ज्यादा रखे हैं और नान-आफिश्यिल एलिमैंट [गैर-सरकारी तत्व] को कम रखा है। इसमें आपको ऐसे लोगों की तादाद काफी रखनी चाहिये थी जिनके कि दिल में किसानों के प्रति हमदर्दी की भावना रहती है लेकिन आपने इसमें अफसर १३ रखे और नान-आफिश्यल्स ७ रखे हैं, आपको इस बोर्ड में नान-आफिश्यल्स और बढ़ाने चाहियें ताकि ऐसे लोग अधिक तादाद में आ सकें जो किसानों के दुःख-दर्द को बखूबी समझते हैं और दिल में उनके लिये हमदर्दी का भाव रखते हैं।

आप यह कहेंगे कि हमने रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी की सिफारिशों को माना है और उसके अनुसार ५ करोड़ रुपया पहले साल और ५ करोड़ रुपया अगले ५ सालों में इस बोर्ड को दिया जायगा और उस फंड को दो हिस्सों में तकसीम किया जायगा, अर्थात् डेवलपमेंट फंड और वेयर-हाउसिंग फंड। अब देखना यह है कि इतने रुपये से आप कितने गोदाम और वेयर-हाउसेज [भाण्डागार] कितने इलाकों में बना सकते हैं? मेरा कहना यह है कि कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जो पहले के गोदाम बने हुए हैं चाहे वे बड़े शहरों में हों और चाहे छोटे शहरों में हों उनको स्टेट कारपोरेशन [राजकीय निगम] के द्वारा सबसिडी [सरकारी सहायता] देकर किसानों के भले के लिये चलवाया जाय।

इस बिल में यह भी व्यवस्था है कि स्टेट गवर्नमेंट्स [राज्य सरकारें] अपने यहां एक स्टेट वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन [राज्य-भाण्डागार निगम] बना सकती हैं और उसमें आपने यह कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वह २ करोड़ रुपये की कारपोरेशन बना सकती हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इस रकम से वे कितने वयर-हाउसेज बनवा सकेंगी क्योंकि कितने ही सूबे काफी बड़े हैं और जहां कि मार्केटबुल सरप्लस [बेचने योग्य अतिरिक्त माल] बहुत ज्यादा है और जहां कि किसान ऐसी चीजें पैदा करते हैं जिनको कि अगर ठीक से स्टोर करके रख दिया जाय तो आगे चलकर उनके काफी अच्छे दाम मिल सकते हैं, ऐसे सूबों के लिये यह दो करोड़ की कारपोरेशन से काम बनने वाला नहीं है और जितना फायदा किसानों को पहुंचाया जा सकता है वह इस पूंजी की कारपोरेशन के जरिये नहीं पहुंचाया जा सकेगा और जरूरत इस बात की है कि कारपोरेशंस का कैपिटल [पूंजी २] करोड़ से अधिक बढ़ाया जाय, अब उसी लिये आपका यह उज्र पेश करना कि हमारे पास काफी फाइनेन्सेज [धन] नहीं है, किसी हद तक यह सही भी हो सकता है। लेकिन जब किसी चीज को हाथ में उठाया जाय तो फिर हाफ हार्टेड मेजर्स [आधे मन में की गयी कार्यवाही] से काम नहीं बनता और उसका कोई फायदा भी नहीं होता, इसलिये मैं कहूंगा कि काफी तादाद में गोदाम बनने चाहिये और जाहिर है कि उसके लिये कारपोरेशन की पूंजी २ करोड़ से अधिक बढ़ायी जानी चाहिये और मैं समझता हूं कि उसका सरमाया कम से कम

५ करोड़ कर देना चाहिये। अगर लोग पैसा देने को तैयार हैं, उसके शेयर्स खरीदने को तैयार हैं तो आपको उसमें क्या ऐतराज हो सकता है ? आप भी अपना हिस्सा दें और लोग अपना हिस्सा देंगे और इस ढंग से किसानों का ज्यादा भला हो सकता है और कारपोरेशन अपने मकसद को अच्छी तरह पूरा कर सकता है।

सेंट्रल वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन ने २० करोड़ रुपये या १० करोड़ रुपये के शेयर्स आपने मुख्तलिफ हिस्सों में रखे हैं और आपने इस देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट [औद्योगिक विकास] करने के लिये जो बहुत से डेवलपमेंट कारपोरेशंस बनाये हैं, मुझे उनसे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि पिछले दस सालों में आपने ४० करोड़ के मालगोदाम बनाये और वह भी नाकाफी साबित हुए तो यह १० करोड़ की पूंजी से आप कितने मालगोदाम बना सकेंगे और कितने लोगों का आप भला कर सकेंगे, इसलिये मैं कहता हूं कि यह रकम आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिये और मैं चाहता हूं कि सेंट्रल वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन रीज्नल बेसिस [क्षेत्रीय आधार] पर ऐसे वेयर-हाउसिंज कारपोरेशन न बनाये जो कि मुनासिब और काफी तौर पर किसानों का भला न कर सकें। पंजाब के तजुर्बे से मालूम हो गया है कि अगर आप थोड़े मालगोदाम चलायेंगे तो ज्यादा नफा नहीं हो सकता लेकिन अगर आप उनको काफी तादाद में चलायेंगे ती आपको ज्यादा नफा रह सकता है।

आखिर में मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूं कि आप इस देश का प्लान मंडियों और गांवों से शुरू करें और यह जो आप बम्बई, कलकत्ता, सूबों की राजधानियों और जिलों के हेडक्वार्टर्स से शुरू करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं हो सकता। अगर देहातों और मंडियों की तौर पर हम प्लान करेंगे और देहातों में मालगोदाम खुलवायेंगे तो इसका ज्यादा अच्छा नतीजा निकलेगा। अगर आपने यह मालगोदाम बना करके शहर के लोगों को देना है, जिन्होंने पहले भी कम पैसा दिया है, ताकि स्टोर करके वे ज्यादा पैसा कमा सकें तो कभी आपको फायदा नहीं हो सकता और इस बेसिस [आधार] को आपको बदलना होगा। जहां पर कोई ऐसी चीज हो जिसके लिये कि सेंट्रल गवर्नमेंट [केन्द्रीय सरकार] यह समझती है कि इस चीज को अगर कारपोरेशन के जरिये से स्टेट कोआपरेटिव बैंक [राज्य सहकारी बैंक] के जरिये से खरीदेंगे तो इस ऐक्ट [अधिनियम] में उसके लिये प्राविजन [आबन्ध] होना चाहिये कि वहां के किसानों को इतनी कम कीमत दी जा रही है और उससे ज्यादा कीमत मिल सकती है तो आप यह अखित्यार दें कि अगर वह जरूरत महसूस करें तो उस चीज को खरीद सकें और उतनी देर के लिये स्टोर कर सकें जितनी देर के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट यह समझती है कि उसके स्टोर होने से उस इलाके के किसानों को फायदा होगा।

मैंने इस बिल को सिलेक्त कमेटी [प्रवर समिति] के सुपुर्द करने का सुझाव दिया था, मैं उसको इस वक्त प्रेस [आग्रह] नहीं करता लेकिन मिनिस्टर महोदय से यह जरूर कहूंगा कि वह इस बिल को और परफैक्ट [त्रुटिरहित] और अच्छा बनायें ताकि इस देश के किसानों का फायदा हो सके।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह मानता हूं कि इस विधेयक के द्वारा इस देश के किसानों का बहुत भला होने वाला है। यह बात सही है कि अभी किसान की मंजिल एक बड़ी लम्बी मंजिल है, उसकी गरीबी को हटाने के लिये खाली जो लैंड रिफार्म्स [भूमि सुधार] कानून पास हुआ है या सीलिंग [अधिकतम सीमा] का जो कोई कानून पास होने वाला है, वह काफी नहीं है। सही मानों में किसान की तरक्की तो उस रोज होगी जिस रोज कि जैसा कि आज मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में बतलाया था कि इस देश के जो ७० फीसदी आदमी जो खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनमें से ७५ और ८० फीसदी गरीब किसान ऐसे हैं जिनकी कि ५ एकड़ से ज्यादा की होल्डिंग [जोत] नहीं है, ऐसे किसानों की ५ एकड़ की होल्डिंग

[चौ० रणवीर सिंह]

को एकौनामिक होल्डिंग [आर्थिक दृष्टि से लाभकारी] बना देने पर ही सही मानों में किसानों की भलाई हो सकेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि किसान के एक्सप्लायटेशन [शोषण] की एक लम्बी, चौड़ी कहानी है, एक जमाना था कि और वह आज तक चलता है कि इस देश के अन्दर एक तरफ खेती करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ दूसरे धंधे करने वाले हैं, खेती करने वाले के लिये जब कभी उसे रुपये की जरूरत होती थी, अव्वल तो उसे रुपया मिलता नहीं था और अगर मिलता भी था तो उसका सूद और ब्याज ही उसको खत्म कर देता था और किसान ने यदि कभी बैल या दूसरी चीजें खरीदने के लिये पैसे ले लिये तो वह पैसा उसको उठने नहीं देता था । आप जानते हैं और मैं भी पंजाब का रहने वाला हूं कि पंजाब के अन्दर किसानों को सूदखोरों के शिकंजों से निकालनें के एक कानून लैंड एलिनेशन ऐक्ट [भूमि अन्य-संक्रामण अधिनियम] बना था । यह बात सही है कि उसने किसानों की जमीन को जो काश्तकार नहीं थे उनके हाथों में जाने से बचाया और किसानों की जमीन उन्हीं के पास रखने में काफी सहायता की । लेकिन उसके अन्दर कंस्ट्रक्टिव ऐस्पेक्ट [रचनात्मक पहलू] की जो कमी थी वह यह थी कि पैसा जो मिलता था उसके लिये तो उन्होंने कायदे कानून बनाये, लड ऐलिनेशन ऐक्ट [भूमि अन्य-संक्रामण अधिनियम] बनाया, दूसरे कई एक कानून बनाये गये, जिसका एक लम्बा-चौड़ा इतिहास है, खास तौर से मेरे सूबे में खासा काम किया गया, एक जमाना था कि जब पंजाब के अन्दर किसानों की जमीन कर्ज की वसूली के लिये कुर्क नहीं हो सकती थी, किसान का कोई बैल या कोई दूसरी चीज जिस से किसान अपनी आमदनी को बढ़ाता था, पैदावार के जो जराये [साधन] थे, उनको कुर्क नहीं किया जा सकता था । पर हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जो किसानों को यह रियायत थी पंजाब में वह वापस ली गई । किसानों के अन्दर इस बात के लिये बड़ा दुःख था । जहां भी किसानों में कुछ जागृति थी वहां इसको बहुत महसूस किया जाता था । यह बिल उस कमी को किसी हद तक पूरा करने जा रहा है ।

मुझसे पहले वक्ता ने जिक्र किया दूर शहरों के अन्दर गोदाम बनाने का । यह बात सही है कि गोदाम यहां पर पहले भी थे, आखिर अनाज पहले भी पैदा होता था, व कहीं न कहीं रखा जाता था, लेकिन उससे हमें क्या फायदा था ? आप जानते हैं कि अनाज किसान पैदा करता था और उसी अनाज पर रिजर्व बैंक रुपया देता था, लेकिन किसानों को नहीं, व्यापारी को जिस का अनाज के पैदा करने में कोई, हिस्सा नहीं होता था जिसके पसीने का एक कतरा भी उसके पैदा करने में नहीं बहता था, उसको तो सरकार की तरफ से रुपये की सहुलियत मिलती थी, लेकिन किसान जो अपना अनाज पैदा करता था उसको लैंड रेवेन्यू [लगान] और दूसरे कर्जे को अदा करने के लिये अपने अनाज को बड़े सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था । पिछले आठ-दस सालों में इस देश के अन्दर अनाज की बड़ी भारी कमी थी, उस समय में जो आदमी शहरों में रहने वाले थे उनके लिये सरकार अपना फर्ज समझती थी कि जितना सस्ता अनाज दे सकती हो वह दे । उनके लिये इस सरकार ने एक करोड़ नहीं बल्कि आठ-दस सालों में १,००० करोड़ रुपये का अनाज खरीद कर दिया और २५० से ३०० करोड़ रुपया हर साल उसके अन्दर लगाया । यही नहीं, उस एक हजार करोड़ रुपये में से सरकार ने २०० करोड़ रुपये का घाटा भी बर्दाश्त किया, वह इस देश की कितनी आबादी के लिये ? आप जानते हैं कि वह आबादी देश की २५ फीसदी आबादी से अधिक नहीं थी । इस २५ फीसदी आबादी के खातिर सरकार ने २०० करोड़ रुपये का घाटा बर्दाश्त किया । आज देश की जिस ७० या ७५ फीसदी आबादी को देश की आमदनी में से सिर्फ ४८ फीसदी हिस्सा मिलता है, अगर उसका पूरा हिस्सा दिलाने की सरकार की नीति है, अगर वह किसानों के साथ न्याय करके उनका हिस्सा देना चाहती है, तो उसको हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा । पांच-पांच करोड़ के जो कारपोरेशन [निगम] बनाये जाते हैं, आप जानते हैं कि उनसे कोई

बड़ा मसला हल नहीं हो सकता है । अभी मंत्री महोदय ने अपनी तकरीर में बताया था कि सन् १९६० तक उनकी यह तजवीज है कि इतने वेयर-हाउसेज बन जायें, इतनी कोआपरेटिव सोसायटियां बन जायें । वेयर-हाउसेज [गोदाम] बनाने में मैं समझ सकता हूं कि शायद सरकार को कुछ तकलीफ हो, कुछ दिक्कतें हैं । क्योंकि उनके बनाने के लिये सीमेंट चाहिये, लोहा चाहिये, मुझे नहीं मालूम कि मिनिस्ट्री आफ एग्रिकल्चर [कृषि मंत्रालय] को इस देश के किसानों के लिये कितना सीमेंट और लोहा मिल सकता है, लेकिन उसे कोशिश करनी चाहिये कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोहा और सीमेंट मिले । बहरहाल, इसमें कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन जहां तक सोसाइटियां बनाने का ताल्लुक है, इसके अन्दर कोई लिमिटिंग फैक्टर [सीमित बनाने वाली बातें] नहीं हैं । आज इस देश के अन्दर नैशनल एक्स्टेन्शन सर्विस [राष्ट्रीय विस्तार सेवा] के नायब तहसीलदार के दर्जे के अफसरान मोटर गाड़ी लिये घूमते फिरते हैं और देश का पेट्रोल फूंका करते हैं । उन्होंने जो पांच साल का प्रोग्राम बनाया है अगर उसको वे एक साल में पूरा नहीं कर सकते अपने इलाके में, तो मैं समझता हूं कि उन के ऊपर जो कुछ खर्च किया जा रहा है वह बहुत जायज खर्च नहीं है । आखिर जो बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट्स [परियोजनायें] आज चल रही हैं, उनके लिये क्या हासिल किया है ? आप जानते हैं कि कहीं गलियां बना दी गईं, कहीं स्कूल बना दिया गया, कहीं एक-आध हैल्थ सेंटर [स्वास्थ्य केंद्र] कायम कर दिया गया, इससे किसान की आमदनी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है । पिछली दफा चहल के अन्दर प्रोजेक्ट्स [परियोजनायें] ऐडमिनिस्ट्रेशन का एक सेमिनार [गोष्ठी] हुआ, वहां पर इस बात पर गौर किया गया कि जो सोशल सर्विसेज [समाज सेवायें] हैं, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चालू किये गये हैं, उनको कैसे चलाया जाय ? बात सही है कि अगर वह इसी तरह से डोल्स [दान] पर रहीं तब तो वह चल सकती हैं, वर्ना नहीं, क्योंकि वहां के लोगों की आमदनी को बढ़ाने का आज तक खयाल नहीं रखा गया, और जब तक इस तरह की पालिसी नहीं बनाई जायेगी तब तक मसला हल नहीं हो सकता है । पंजाब के अन्दर एक डिप्टी कमिश्नर था जिसका नाम ब्रेन था । उसने गुड़गांव के अन्दर वही तजवीजें रखी थीं जो नये प्रोजेक्ट में हैं, लेकिन उस डिप्टी कमिश्नर के हटने के बाद उन चीजों का क्या हाल हुआ, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है । इसी तरह से इस बात में भी सन्देह नहीं है कि जब तक इस ढंग की सोसायटियां और वेअर-हाउसेज में, प्राजेक्ट्स के अन्दर, महकमे वाले अफसरान और दूसरे कर्मचारी काम को आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता है । इसलिये जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहां मंत्री महोदय से कहता हूं कि जो रफ्तार उन्होंने इस प्रोग्राम की बताई है, उसको और तेज करें ।

एक बात का और खयाल रखना है । आप जानते हैं कि अगर आज से दो या तीन साल पहले इस तरह की सोसायटियां बनाने के लिये सरकार हिम्मत और हौंसले से काम करती तो बहुत आसानी से वह बन सकती थीं क्योंकि उस वक्त किसानों के पास पैसा था, लेकिन आज किसानों के हाथ में से पैसा निकल चुका है । एक जमाना था, आपको याद होगा, जब कि कंट्रोल का गेहूं १४ रुपये और १५ रुपये बिकता था, इसी तरह से चावल २२ रुपये मन तक कंट्रोल में बिका करता था । उस वक्त इस देश के अन्दर किसी ने झगड़ा नहीं किया, किसी ने भी इस पर आंसू नहीं बहाये कि क्यों इतना सस्ता अनाज बिक रहा है जब कि वह आसानी से २० और २५ रुपये मन बिक सकता था । जब व्यापारियों ने गेहूं १८ और १९ रुपये बेचा उस वक्त भी कोई दोस्त सामने नहीं आये, उनको डेफिसिट फाइनैंसिंग [घाटे की अर्थ-व्यवस्था] की कोई भी फिक्र नहीं पड़ी, लेकिन आज जब वक्त आया है कि किसान का गेहूं बाजार में आये तो कुछ दोस्त हैं जो इस बात की कोशिश में हैं कि कोई जरिया या सब जरिये, ऐसा इस्तेमाल किये जायें जिन से किसानों का गेहूं बाजार में सस्ता बिकवाया जाय । आप अन्दाजा कीजिये, जब गेहूं १८ रुपये मन था उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब गेहूं ग्यारह और साढ़े ग्यारह रुपया मन है तो यह सब लोग कहते हैं कि महंगाई हो गई है, और कई दोस्तों को इन्फ्लेशन

[चौ० रणवीर सिंह]

[मुद्रा-स्फीति] का डर मालूम होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस हाउस को और मंत्री महोदय को हिम्मत से काम लेना होगा, जब लोग इन्फ्लेशन की बात कहते हैं तो हमें सोचना होगा कि हमें इस देश की तरक्की करना है या नहीं। मैंने जो इन्फ्लेशन का जिक्र किया वह किसी खास मतलब से किया है। आज जो रुपया लगाया जा रहा है तरक्की के लिये, वह कहां से काटा जाता है। जब बजट में से काटने के लिये कलम उठाया जाता है तो सबसे पहले माननीय मंत्री के मंत्रालय पर कलम पड़ता है। हो सकता है कि उसके अन्दर यही एक चीज हो जिसके ऊपर कलम चलाया जा सकता है, लेकिन मैं हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो इस देश के अन्दर जो हमारी सोचने की धारा है उसको भी बदलना होगा। जब इतने बड़े-बड़े काम हो रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इन्फ्लेशन क्या चीज है। जब इस देश के अन्दर जितने गेहूं के पैदा करने की जरूरत है उसको हमारे किसान पैदा करने को तैयार हैं, जितने चावल की जरूरत है उसको वह पैदा करने के लिये तैयार हैं तो यह इन्फ्लेशन कहां तंग करेगा ? आज जब देश के अन्दर इस किस्म के गोदाम बनते हैं या और दूसरे काम होते हैं और उनके होने से जो रुपया का प्रसार होता है उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर खाने के लिये अनाज भी नहीं मिलता है। चूंकि उनके पास कोई काम नहीं है। अगर आज एक या दो रुपया तक अनाज की कीमत में कोई फर्क पड़ जाता है तो मैं समझता हूं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और यह कहने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इन्फ्लेशन हो गया है। यदि वह रोजगार बढ़ाना है तो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो चीजें और अर्ज करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह जो गोदाम हमारे देश के अन्दर बनेंगे और जो यह कारपोरेशन बनेंगे इससे सबसे बड़ा फायदा जो हमारे किसानों को होने वाला है वह यह है कि उनको सस्ती दर पर रुपया उधार मिल सकेगा जिससे कि किसान लोग अपने खेतों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगर उनको सस्ती दर पर रुपया देने की बात है तो मुझे इससे खुशी ही होती है। कल ही हमारे बंसल साहब ने कहा कि उनसे बिड़ला साहब ने कहा था कि अगर वह आज रुपया लेने के लिये बाजार जाते हैं तो उन्हें १२–१३ रुपया सैंकड़ा प्रति वर्ष के हिसाब से रुपया मिलता है जबकि गवर्नमेंट किसानों को ६ १/४ रुपया प्रति सैंकड़ा के हिसाब से रुपया देगी.....

श्री राने (भुसावल) : बिड़ला जी को भी यहां से रुपया मिलेगा ?

चौ० रणवीर सिंह : बिड़ला जी अनाज कहां से लायेंगे ?

मैं समझता हूं कि अगर हमें किसानों के स्तर को ऊंचा उठाना है, अगर हमें किसानों की तरक्की करनी है तो इसके लिये यह आवश्यक है कि हम उनके लिये सस्ती सूद की दर पर रुपये का बन्दोबस्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी इकबाल सिंह जी ने बोर्ड की कांस्टीट्यूशन [संस्थापना] के सिलसिले में कुछ कहा। इस मामले में मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। यह ठीक है कि सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह अपने अफसरों की सलाह ले, और बहुत से मौकों पर यह जरूरी भी हो जाता है। लेकिन सरकार जब बहुत ज्यादा उनके प्रभुत्व में आ जाती है तो उसका सम्पर्क का लोगों से टूट जाने का डर पैदा हो जाता है और सहकारी निजाम [प्रशासन] उस सूरत में चल नहीं सकता है। इस वास्ते किसी भी सहकारी निजाम में यह जरूरी होता है कि सरकार लोगों का सहयोग लेने का हर सम्भव प्रयत्न करे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक चीज और अर्ज करनी है। सहकारी संस्थायें जिस ढंग से पिछले ५० वर्षों से चल रही हैं उनको चलाने का जो ढंग है वह गलत है और उनको गलत मकसद के लिये चलाया गया था। यही कारण है कि वे कामयाब नहीं हुई हैं। अब सरकार जो रुपया इस काम के लिये मांग रही है वह कोई बहुत ज्यादा नहीं मांग रही है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि

सरकार इस बात का ख्याल रखे कि जो रुपया लगता है वह ठीक तौर पर इस्तेमाल हो और ठीक मतलब के लिये इस्तेमाल हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि मेरे जिले के अन्दर एक शुगर मिल लगी है जिसका नाम कोओपरेटिव शुगर मिल है। उसके लिये काफी रुपये की आवश्यकता थी। कोई १०-२० हजार रुपये की जरूरत नहीं थी। उसके लिये तो शायद उससे भी ज्यादा रुपये की आवश्यकता है जितना रुपया कि सरकार वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन के ऊपर लगाने जा रही है। तो उस रुपये को प्राप्त करने के लिये किसी साहूकार के पास तो नहीं जा सकते, यह तो कोओपरेटिव मिल का कभी भी मुद्दा [प्रयोजन] नहीं हो सकता। अगर कोई कोओपरेटिव मिल खुलनी है तो कुदरती तौर पर हमें यह देखना होता है कि जिन लोगों के लिये वह मिल बन रही है उन्हीं से रुपया भी लिया जाये। दूसरे लोगों से रुपया लेने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। साथ ही साथ उस मिल को चलाने का जो काम है वह भी उन्हीं आदमियों के हाथों में सौंपा जाना चाहिये जिनके फायदे के लिये वह मिल खोली जाती है न कि उन लोगों के हाथों में कि जिनके ऊपर प्रांत के मंत्री की मेहरबानी की नजर हो। जिनके दिलों में इसके लिये जोश नहीं विश्वास नहीं बल्कि उनके हाथों में जिनके दिल में काम को करने का जोश है, जिनके दिल में इस काम को करने की एक तड़प है, उन्हीं के हाथों में इसे सौंपा जाना चाहिये। तो मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करता हूं कि जैसे हमारे जिले में हुआ है वैसे ही और जगहों पर नहीं होना चाहिये। जहां पर भी कोई खराबी नजर आये, माननीय मंत्री जी का यह फर्ज होना चाहिये कि वह उसे जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करें। मैं अर्ज करता हूं कि अगर किसी इलाके के लोग कोओपरेशन [सहयोग] की तरफ बढ़ना चाहते हैं या कोई ऐसी संस्था बनाना चाहता हैं तो उनका यह फर्ज है कि वह यह देखें कि उस इलाके के बाहर के लोग उसके हिस्सेदार न बनें, उस इलाके के अन्दर के लोग ही इस काम को चलायें और जब कभी बाहर के लोग हिस्सा लेने लग जाते हैं तो बजाय इसके कि वह ठीक रास्ते पर चले, दूसरी तरफ चलने लग जाती है.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य घंटी की उपेक्षा न करें। घंटी उन्हीं के लिये बजाई जाती है।

श्री सिंहासन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम देश के हित को ध्यान में रखें और फिर इस विधेयक को देखें तो हमें मालूम होगा कि इस किस्म के विधेयक की बहुत ही आवश्यकता थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के सात बरस बाद यह विधेयक यहां पर उपस्थित किया गया है और उस जनता की भलाई को दृष्टि में रखते हुए किया गया है जो कि भारत की रीढ़ है और जिसकी संख्या ७० फीसदी के करीब है और जो राष्ट्र की सम्पत्ति में ५० फीसदी से भी ऊपर आमदनी देती है। खेतिहर लोग यदि आज खेती न करें तो शायद सारा देश भूखों ही मर जाये और जितने भी हमारे उन्नति के कार्य चल रहे हैं वे सारे के सारे ठप्प हो जायें। यह विधेयक देर से आया है लेकिन मैं समझता हूं यह सही तरीके से आया है और यही कारण है कि मैं इसका स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

इस विधेयक में मैंने देखा है कि इसमें जहाँ और चीजें रखी गई हैं वहां पर दो-तीन चीजों का रखा जाना बहुत आवश्यक था। क्लाज २ में जो डेफिनिशन [परिभाषा] दी गई है एग्रीकलचलरल प्रोड्यूस [कृषि उत्पाद] की वहां यह कहा गया है :

(१) भक्षणीय तिलहन समेत खाद्य पदार्थ।

अब फूड स्टफ्स में क्या-क्या चीजें आती हैं? इसमें इसके बारे में यह कहा गया है कि इसमें आयल सीड्स [तिलहन] आते हैं। जब इस तरह की डेफिनिशन [परिभाषा] दी जाती है तो कुछ पपला-सा पड़ जाता है। आयल सीड्स के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो काश्तकार प्रोड्यूस

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सिंहासन सिंह]

करता है जिनके बारे में शायद यह वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन कुछ नहीं कर सकेगा। सब से बड़ी चीज यह है कि जहां मिलें नहीं हैं तथा मिलों के क्षेत्र में भी गुड़ बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। इसके लिये इसमें कोई स्थान नहीं है।

चीनी मिलों के अलावा देसी चीनी तैयार करने के बहुत से कारखाने भी हैं और ये मिलें खास तौर पर बरेली वगैरह में हैं। इन चीजों के बारे में मैं समझता हूं, इस बिल में कोई स्थान नहीं है।

श्री ए० पी० जैन : है।

श्री सिंहासन सिंह : अगर यह बिल जितने भी खाद्य पदार्थ खेतों से पैदा होते हैं उन सब पर लागू होगा तब तो ठीक है, नहीं तो मैं समझता हूं इसको एमेंड [संशोधित] किया जाना चाहिये। हमारे एक भाई ने कहा है कि धनिया, मिर्च, हल्दी इत्यादि भी फूड स्टफ्स में नहीं आती हैं। अगर उनको यह बिल एप्लाई नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि इसका जो दायरा है वह बहुत हद तक संकुचित हो जायेगा। आज काश्तकार लोग महाजनों के प्रभाव के नीचे हैं और पिस रहे हैं। यह जो मसाले इत्यादि हैं इनसे जो सामान बनता है वह बहुत अधिक कीमत देने वाला होता है लेकिन काश्तकारों से ये चीजें बहुत ही कम कीमत पर खरीद ली जाती हैं।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह चीजें फूड स्टफ्स में आ जाती हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि इनवल्यूडिंग शब्द को निकाल दिया जाये और एडिबल आयल सीड्स को भी उड़ा दिया जाये क्योंकि ये भी फूड स्टफ्स में आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि इनक्ल्यूडिड [सम्मिलित] शब्द को रहने देने से अदालतों तक में जाने की नौबत आ सकती है और झगड़े पैदा हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा अगर वैसा किया गया तो फूड स्टफ्स का मतलब सीरियल्स [अनाज] का हो जायेगा। इस वास्ते परिभाषा को अगर बदल दें और कह दें कि एग्रिकल्चरल प्रोड्यूसमैंट फार ह्यूमन कंजम्पशन [मानव उपभोग के लिये कृषि उत्पादन] तब तो सब चीजें आ सकती हैं, वरना नहीं।

मैं आपका ध्यान गुड़ के सम्बन्ध में खास तौर पर दिलाना चाहता हूं। शुगरकेन [गन्ने] की प्रोडक्शन [उपज] हमारे प्रांत में और खास तौर से गोरखपुर, देवरिया, बस्ती वगैरह में बहुत ज्यादा होती है। तमाम यू० पी० में जहां ६६ मिलें हैं वहां इन जिलों में ही इनमें से २७ मिलें हैं। जोन एरियास में जहां मिलें हैं, वहां पर शुगरकेन काश्तकारों को मजबूरन बेचना पड़ता है। अगर वे यह चाहें कि क्रशर [पेरने की मशीन] लगा लें तो वह भी वे लोग नहीं लगा सकते हैं। हां, छोटे-छोटे कोल्हू जोकि बैलों से चलते हैं, वे लोग चाहें तो लगा सकते हैं।

मुझे अभी एक मिल की दास्तां मिली है। शायद आपको भी उसकी रिपोर्ट मिली होगी, क्योंकि वह आप के कंट्रोल में है। उस मिल ने कम तोलना शुरू किया है।

श्री ए० पी० जैन : हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री सिंहासन सिंह : इसमें लिखा है कि "एक प्रति मंत्री को भेजी गई"। अगर अभी तक शिकायत नहीं आई है, तो अब आ जायगी। यह २४ अप्रैल की घटना है। जब बैलगाड़ी पर माल गया तो उसको चौदह मन ग्यारह सेर तोला गया, लेकिन जब डनलप टायर की गाड़ी गई, तो साढ़े आठ मन तोला गया। यह कितनी विचित्र बात है कि एक ही काश्तकार जब बैलगाड़ी ले जाता है, तो चौदह मन तोला जाता है और जब टायर गाड़ी ले जाता है तो आठ मन तोला जाता है। इस तरीके से उन लोगों को अंडर-पेमेंट [कम भुगतान] किया जाता है। इस तरह की बहुत-सी शिकायतें आई हैं। यह शिकायत खडाड शुगर मिल के विरुद्ध है।

इसी प्रकार दो-तीन आने का सवाल उठा था। उसमें भी बहुत दिक्कत हुई। देहरादून में तो दाम बढ़ा दिया गया, लेकिन नैनीताल में नहीं बढ़ाया गया। न जाने इसका कारण क्या है? वे दोनों पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसलिये दोनों में दाम बढ़ने चाहिये, इस प्रकार की शिकायतों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

निगम विधेयक

कार्पोरेशन के दो अंग बन रहे हैं--एक डेवेलपमेंट [विकास] के लिये और दूसरा वेयर-हाउसिंग के लिये। उसमें बीस सदस्य होंगे, जिन में सात सदस्य गैर-सरकारी होंगे। कार्यकारिणी के सात सदस्यों में एक सदस्य गैर-सरकारी होगा। समझ में नहीं आता कि एक गैर-सरकारी सदस्य क्या काम कर सकेगा और क्या प्रभाव डाल सकेगा। इस विधेयक में कुल अधिकार तो एग्जेक्टिव कमेटी [कार्यपालिका समिति] को दिये गये हैं--और देने भी चाहिये--जब कि कारपोरेशन सिर्फ ऊपरी प्रिंसिपल्ज [सिद्धांत] तय करेगी। वह साल में सिर्फ एक-दो दफा मिला करेगी। सब अधिकार एग्जेक्टिव कमेटी के पास होंगे। उसमें गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिये, ताकि लोगों को विश्वास हो कि वह कोई आफिशियल बाडी [प्रशासकीय निकाय] नहीं है, बल्कि वह जनता की बाडी है। उसमें जनता को ज्यादा भाग मिलना चाहिये। गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन दे सकती है। गवर्नमेंट और जनता में भेद नहीं होना चाहिये। वे दोनों एक ही हैं और एक ही देश के हैं। दुर्भाग्य यह है कि पुरानी परम्पराओं के कारण अभी तक लोगों में भेद-भाव है। हमको यह महसूस करना चाहिये कि हमारे ही भाई और बच्चे सरकार में भी हैं और बाहर भी। लेकिन वह भेद-भाव इस प्रकार यहां पर अपनी जड़ें जमा चुका है कि वह छुटाये नहीं छूटता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों में व्यक्तिवाद--इन्डिविजुअलिज्म--का बहुत प्रभाव है। हर एक व्यक्ति यह सोचता है कि मेरा हित क्या है। इस भावना को शीघ्र ही समाप्त करने की आवश्यकता है।

कोआपरेटिव बेसिस [आधार] पर काम करने के रास्ते में बहुत-सी दिक्कतें हैं। उसमें ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। यू० पी० सरकार ने बड़े पैमाने पर नैनीताल में सहकारी खेती का प्रयोग किया। उसने उसके लिये करोड़ों रुपये दिये हैं। वहां पर ट्रैक्टर आरगनाइजेशन लगी हुई हैं। मैं वहां गया था और मैंने देखा कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्ज के ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं, जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। वहां पर सब सहकारी संघ टूट गये हैं। गवर्नमेंट ने उनको इस शर्त पर रुपया दिया था कि वे सहकारिता के आधार पर काम करें, लेकिन सहकारिता तो वहां ही चल सकती है, जहां व्यक्ति के हित के स्थान पर समष्टि के हित का विचार हो, सब के लाभ का ध्यान हो। जहां सब अपना अपना हित देखेंगे, वहां सहकारिता सफल नहीं हो सकती। इसी कारण वहां सहकारिता का प्रयोग सफल नहीं हुआ और सब सदस्य अलग हो गये। नतीजा यह है कि गवर्नमेंट ने जो रुपया दिया हुआ है, उसके लिये वारंट आ रहे हैं और लोग भागे-भागे फिर रहे हैं। इसी तरह भोपाल में भी गवर्नमेंट का एक खेत था, लेकिन वहां भी अधिक सफलता नहीं मिली। कारण यह है कि आज हम में व्यक्तिवाद की प्रधानता है और समष्टिवाद की कमी है। हम उम्मीद करेंगे कि जैन साहब इस बात का प्रयत्न करेंगे कि कारपोरेशन में जो कोई जाय, वह इस ध्येय से जाय कि वह देश का लाभ पहले देखेगा और अपना लाभ बाद में।

आज-कल यह शिकायत आम तौर पर की जाती है कि सरकार तरक्की के बहुत से काम कर रही है, लेकिन जो नियुक्तियां होती हैं, उनमें अपनत्व का विचार होता है। आज दुर्भाग्य यह है कि जितना भी काम होता है, वह सिफारिश से होता है ऐसी धारणा लोगों की हो रही है। जब लोगों में यह विश्वास और यह भावना फैल जायगी कि हमारी योग्यता के बल पर ही हम को कोई स्थान मिलेगा, हमारी पहुंच के कारण नहीं, तब ही काम ठीक तौर पर चलेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सदस्यों की संख्या में कमी करनी चाहिये। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन [जीवन बीमा निगम] में पंद्रह से अधिक मेम्बर नहीं होंगे, तो इस कारपोरेशन में बीस मेम्बर क्यों रखे जा रहे हैं। हम खर्च में जितनी भी कमी करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। ज्यादा काम तो आपका मंत्रालय और सेक्रेटरी वगैरह करेंगे? तो फिर इतने सदस्यों की क्या आवश्यकता है? आज रेलवे में नौ लाख आदमी काम करते हैं और वह विभाग हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कामर्शियल

[श्री सिंहासन सिंह]

एन्टरप्राइज [वाणिज्यिक उपक्रम] है। उसका सारा इन्तजाम रेलवे बोर्ड चला रहा है, जिसमें सिर्फ पांच सदस्य हैं। आप भी सात सदस्यों का एक बोर्ड बना दें और उसको पूरे अधिकार दे दें। इसमें एग्जेक्टिव, कनसल्टेटिव [परामर्शदाता] बाडी और लेजिस्लेटिव बाडी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोर्ड ही सब काम करे। सदस्यों की संख्या जितनी कम होगी, काम उतना ही अच्छा होगा। बीस सदस्य रखने से तो वह एक प्रकार की डीबेटिंग सोसायटी बन जायगी और कोई मामला तय न हो पायेगा।

चौ० रणवीर सिंह : यहां तो पांच सौ डीबेटिंग सोसायटी हैं।

श्री सिंहासन सिंह : इसीलिये तो जो मिनिस्टर कहते हैं, वही हो जाता है।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : और इसीलिये सिलेक्ट कमेटी [प्रवर समिति] नहीं बनाई गई है।

श्री सिंहासन सिंह : वेयर-हाउस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कंट्रोल के जमाने में गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट ने काफी वेयर-हाउस बनाये होंगे। उनको भी इस्तेमाल करना चाहिये। कितनी ही कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट्स में यह कहा है कि वेयर-हाउसेज सीमेंट कम इस्तेमाल होने की वजह से टपकते हैं, जिसके कारण बहुत-सा अनाज नष्ट हो जाता है। आज ही हम को बताया गया कि है कि कुछ वेयर-हाउसेज में रखे गये। गल्ले बाढ़ में सड़ गये और जिसे ५ आना मन के भाव से बेचना पड़ा। गेहूं का इतना कम भाव तो शायद अकबर के जमाने में ही रहा हो।

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : वह मिलिटरी गोडाउन है।

श्री सिंहासन सिंह : यह तो और भी बुरी बात है। जिनके ऊपर देश की रक्षा का भार है उनका गोदाम भी जब बह गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इसलिये जो गोदाम बनाये जायें वे काफी मजबूत बनाये जायें ताकि उनके अन्दर रखा हुआ माल सड़ गल न जाय। इनमें गरीब काश्तकार अपना गल्ला रखेंगे, और अगर साल भर या दो साल बाद आपके अधिकारियों ने कह दिया कि तुम्हारा गल्ला तो सड़ गया या उसको चूहे खा गये तो बड़ी गड़बड़ होगी। काश्तकारों को सीड स्टोरों का बुरा अनुभव है। जब किसान वहां पर अपना सीड वापस करने जाता है तो वहां पर बड़ी छानबीन होती है, सफाई होती है और नाप तोल होती है और कई तरह से उसका सीड काट लिया जाता है जिससे उसे बड़ी हैरानी होती है। इसलिये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिये। यह विधेयक बहुत समय से आया है जब कि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं। हमको अब अपने पुराने दृष्टिकोण बदल कर सारे देश का ख्याल रखना है। अगर आप देश के ७० प्रतिशत लोगों की इससे भलाई कर पायेंगे तो निश्चय ही देश आगे बढ़ेगा।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री पर चीन की सहकारी व्यवस्था का बड़ा प्रभाव पड़ा है और उन्होंने उसे पसन्द किया है। परन्तु उन्हें इस व्यवस्था की कुछ मुख्य बातों की ओर ध्यान देना होगा। एक यह है, कि फसल की कटाई के पश्चात् कृषक के पास फसल को गोदाम में रखने का कोई प्रबन्ध नहीं होता है, दूसरे वह धन की आवश्यकता के कारण अनाज को रख भी नहीं सकता है। अतः उसे गोदाम की सुविधा दी जानी चाहिये और उसकी आवश्यकताओं के लिये कुछ धन भी दिया जाना चाहिये अन्यथा मध्यजन उनकी आवश्यकता से अनुचित लाभ उठा कर फसल को सस्ते भाव पर खरीदते रहेंगे जैसा कि वे करते आये हैं। चीन में तो मध्यजन को बीच से निकाल दिया गया है और सरकार ही थोक खरीद करती है। इसी बात की यहां आवश्यकता है। इन दो बातों की व्यवस्था किये बिना हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसा कि शंघाई के सहकारिता निदेशक ने

†मूल अंग्रेजी में।

मुझे बताया था चीन सरकार को फसल खरीदने में धन व्यय नहीं करना पड़ता केवल पुस्तक प्रविष्टियां ही करनी पड़ती हैं ।

नवम्बर से फरवरी तक फसलों का इधर से उधर लाना ले जाना बहुत अधिक होता है । इस समय राज्य बैंक को फसलों के इधर से उधर लाने ले जाने के लिये अग्रिम धन देने का एकाधिकार होना चाहिये । इसी समय बड़े-बड़े पूंजीपति मनचाही दरों पर फसलें खरीद लेते हैं और यहीं से चोर बाजार आरम्भ होता है । फसलों क लाने ले जाने का वित्तपोषण राज्य बैंक को करना चाहिये । जब तक आप यह नहीं करते तब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी ।

फिर यह समस्या पैदा होगी कि कृषक की धन की आवश्यकता कैसे पूरी हो । मेरा सुझाव था कि उसे सरकारी हुंडियों के रूप में ६० प्रतिशत रुपया तुरन्त दे दिया जाये और शेष में से कर आदि का भुगतान करके जो बचे वह उसे बाद में दे दिया जाये । और दूसरे यह कि उस समय के अनुमान के अनुसार ४,००० रुपये खर्च करके ३,७०० घन फुट धारिता का गोदाम बनाया जाये और उसमें फसल रखने के लिये कृषक से चार आने प्रति बोरी वसूली की जाये । जब यह प्रस्ताव रखा गया था उस समय बहुत से देहाती इससे सहमत थे ।

वायदा सौदों के बारे में भी यह नियम बनाना पड़ेगा कि सहकारी समितियों अथवा आपके संगठन की अनुमति बिना कोई सौदा नहीं होगा ।

मैं एक अपना अनुभव बताता हूं । हमने एक सहकारी समिति बनाई थी जो उस जगह में सब से बड़ी थी । हम पम्पिंग सेट और तेल के इंजन सप्लाई करते थे और लोहा तथा अन्य वस्तुयें हम मूल्य से पांच प्रतिशत कम पर देते थे और सरकारी तालुका सहकारी समिति में चोर बाजार होता था । किसी मंत्री महोदय के एक सम्बन्धी किसी तेल इंजनों के सार्थ में रुचि रखते थे और अन्य कई प्रकार के प्रभावों के कारण हमारा विरोध भी किया जाता था । इस प्रकार के प्रभावों को भी रोका जाना चाहिये । और समितियों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटा कर उसका खर्च कम किया जाना चाहिये ।

कुछ ग्रामों के गुट बना कर उनके लिये गोदाम बनाये जाने चाहिये और इसका उत्तरदायित्व सहकारी समिति पर होना चाहिये । केन्द्रीय संघटन होने के नाते वहां केवल अकाउण्टेंट ही हो । ऐसा करने से काम ठीक प्रकार से चल सकता है ।

दो तीन वर्ष तक अनाज को जमा रखना ठीक नहीं होगा । इसी कारण सम्भरण विभाग को खाद्य के गोदामों में असफलता हुई । अनाज संग्रह करने का उसका तरीका गलत था और उसे अनुभव भी नहीं था, इसलिये अनाज सड़ जाता था । आजकल क्या होता है कि निजी व्यापारी कम दर पर अनाज खरीद कर बहुत अधिक दर पर बेचता है । विधि होने पर भी तिलहन में वायदे के सौदे किये जाते हैं और चोर बाजार होता है । श्री अशोक मेहता ने परिवहन आदि कई बातों के बारे में कहा । मेरे विचार से इन सब को बजाये हमें यह देखना चाहिये कि निकटतम स्थानों पर सम्भरण किया जाये । धन के बारे में मुझे एक और बात यह कहनी है कि फसल के जाने ले जाने क समय वित्तपोषण केवल राज्य बैंक ही करें । यदि आवश्यक हो तो विधि द्वारा इसकी व्यवस्था की जाये । कृषक का विश्वास प्राप्त करने का पूरा यत्न किया जाना चाहिये । सबसे मुख्य समस्या यह है कि उसे ऋण चुकाने के लिये तुरन्त कुछ धन दिया जाना चाहिये । यदि ऐसा किया जाये तो लगभग चार वर्ष में आप कृषक वर्ग को अपने पक्ष में कर लेंगे । पहले ऋण सहकारी समितियां होती थीं जिनका व्यवहार कुछ कठोर हुआ करता था । यदि इसे सह-सम्बन्ध और नम्रता पर आधारित किया जाये और इस में लालफीता-शाही का अधिक प्रयोग न किया जाये और इसे उच्चस्तरीय न बनाया जाये तो मुझे विश्वास है कि इसमें सफलता प्राप्त होगी ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैंने इस विधेयक का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है परन्तु मैंने देखा है कि एक ठीक कार्य करने के लिये गलत तरीका और साधन अपनाया गया है। हम वास्तविकता और वास्तविक कठिनाइयों का पता लगाने की बजाये सैद्धांतिक बातों को लेते हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे माननीय मंत्री कुछ विदेशी पुस्तकें पढ़ कर कोई ऐसी योजना बनाते हैं जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होती हैं। वास्तविक हल विकेन्द्रीयकरण में है जिसका प्रचार महात्मा गांधी करते रहे और जिसका अनुसरण चीन में किया जा रहा है। माननीय मंत्री का भाषण बड़ा सुन्दर था परन्तु उसमें वास्तविक अनुभव का अभाव था।

आप सहकारिता का इतिहास जानते ही हैं। सहकारिता ने, जो अन्य देशों के लोगों पर अमृत की वर्षा करती थी, हमारी जनता के हितों को नष्ट कर दिया है। १८४४ में काकडेल के बुनकरों ने संसार के सामने जो उदाहरण रखा था उसका पश्चिमी देशों ने अनुसरण किया और उससे असीम लाभ प्राप्त किया।

मुझे सहकारिता का अनुभव है और मैंने देखा है कि सहकारिता आन्दोलन में सब से बड़ी त्रुटि जनता की अज्ञानता और कृषकों का अपने परम्परागत नेताओं और उन मध्यजनों और व्यापारियों पर निर्भर रहना है जो उसका शोषण करते हैं।

ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन इस विषय में नवीनतम है और वह समिति जिन परिणामों पर पहुंची है उन्हें नवीन कहा जाता है, परन्तु वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सहकारी समितियों की सबसे बड़ी त्रुटि यह बताई है कि यह केवल ऋण की व्यवस्था करने तक ही सीमित हैं। परन्तु कृषकों के लिये नियमित बाजार की व्यवस्था न करने से इस समस्या के एक पहलू की उपेक्षा होती है।

कृषक समाज के लिये खाद्य वस्तुओं की व्यवस्था करता है और उसे इस कार्य से उचित लाभ की भी आशा होती है। जब कोई पूंजीपति लाभ मांगता है तो हम देने के लिये तैयार हो जाते हैं ताकि उसका उत्साह बना रहे, परन्तु वह कृषक जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, जिन्हें वह स्कूल भी नहीं भेज पाता है और जो सदा अज्ञानता के अंधकार में पड़े रहते हैं, कड़ी मेहनत करता है तो हम उसके उत्साह की ओर कभी ध्यान नहीं देते हैं, उसके लिये पर्याप्त मजूरी की व्यवस्था नहीं की जाती है। कई समितियों ने इस सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं परन्तु हमारी सरकार ने उनकी उपज के उचित मूल्य निर्धारित करने के विषय में कुछ नहीं किया है।

गत पांच वर्ष से मैं सरकार से उत्पादन व्यय के आंकड़े मांगता रहा हूं और यह जानने का प्रयत्न करता रहा हूं कि कृषक को कितने लाभ का आश्वासन दिया गया है। जब मूल्य गिर रहे होते हैं तो यह कहा जाता है कि हम इनका परिणाम देख रहे हैं। इसी बीच यदि कृषि का सर्वनाश हो जाये तो इस सब का क्या फायदा होगा ?

क्या इस गोदाम सम्बन्धी विधेयक से सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ? इन बोर्डों और निगमों का कोई उपयोग नहीं है। इसमें केवल कुछ चहेते व्यक्तियों के लिये व्यवस्था की जायेगी। देश के सात लाख ग्रामों का दौरा क्या माननीय मंत्री और उनके सहायक कर सकते हैं और उनका लेखा देख सकते हैं ? केवल इसी ओर के ही नहीं बल्कि उस ओर के कई सदस्यों ने भी सहकारिता की त्रुटियां बताईं। क्योंकि जहां तक कृषक वर्ग के हितों का सम्बन्ध है वे सत्तारूढ़ और विरोधी पक्ष दोनों के लिये समान हैं। क्या माननीय मंत्री सहकारी संस्थाओं की सब बुराइयों को देख कर यह कह सकते हैं कि इस बोर्ड के सदस्य और इस निगम के सदस्य इन सभी त्रुटियों की जांच कर सकेंगे ? क्या ये सहकारी संस्थायें अपने कर्तव्य का पालन कर सकेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

यदि आप इन संस्थाओं को सफल बनाना चाहते हैं, तो इसका तरीका यही है कि किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने दिया जाये और उनको आश्वासन दिया जाये कि सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी ।

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के कार्यकरण के बारे में जो रिपोर्टें परिचालित की गई हैं उनमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अधिकारियों ने सहकारी संस्थाओं के अभिकरण का उचित उपयोग नहीं किया है । भारत में सहकारी संस्थाओं की उन्नति क्यों नहीं हुई ? इसका कारण पदाधिकारियों की उपेक्षा और उद्दंडता है । वे नहीं चाहते कि सहकारिता आन्दोलन सफल हो या लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने काम स्वतन्त्र रूप से कर सकें । अधिकारी केवल हिदायतें देना ही चाहते हैं । आज स्थिति क्या है ? यही अधिकारी स्वयं अपने प्रभाव से सहकारी संस्थाओं और ग्राम पंचायतों की जड़ें काट रहे हैं ।

बोर्डों और निगमों के सदस्यों में सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक है । श्री सिंहासन सिंह कह चुके हैं कि समितियों और बोर्डों के इतने सदस्य नियुक्त किये गये हैं किन्तु उन में गैर-सरकारी व्यक्ति प्रायः नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि गैर-सरकारी व्यक्तियों को इनका सदस्य बनाया जाये और उनकी सेवाओं से लाभ उठाया जाये । चीन में श्री माओ अपने गैर-सरकारी साथियों पर पूर्ण विश्वास करते हैं और उन को ग्रामों में भेजते हैं, जो वहां जा कर सहकारी संस्थायें स्थापित करते हैं, वहां हमारी असैनिक सेवा या प्रशासनिक सेवा जैसी कोई सेवा नहीं है । किन्तु हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो बड़े-बड़े वेतन लेना चाहते हैं और उसके बदले में राज्य को बहुत घटिया काम करके देना चाहते हैं । सब से अधिक चोर बाजारी बड़ी-बड़ी मंडियों में नहीं होती है बल्कि उन अभिकरणों में होती है जहां से यह अधिकारी भरती किये जाते हैं । किसानों को अधिकारियों की सूरत से भी घृणा है । इसी लिये मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा निगम न बनाइये जिसमें सारे सदस्य सरकारी अधिकारी ही हों, या सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हों । मेरा सुझाव है कि चुनाव का कोई तरीका जारी किया जाये ।

चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिये मैं संक्षिप्त रूप से एक योजना की रूपरेखा बताता हूं । वह यह है कि देश के प्रत्येक ग्राम में अनिवार्य रूप से सहकारी संस्थायें स्थापित की जायें । जिस तरह आजकल देश के लिये आयोजन अनिवार्य है, इसी तरह सहकारी संस्थायें भी अनिवार्य होनी चाहियें । इसी आधार पर स्थापित की गई सहकारी संस्थायें आयोजन का काम अच्छी तरह कर सकती हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह डेन्मार्क या अमेरिका या इंग्लैंड की ओर न देखे बल्कि चीन की ओर देखे । माऊ का तरीका अपनाये बिना इस देश में सहकारिता की प्रगति नहीं हो सकती है । चीन में इस काम के लिये जो व्यवस्था की गई है वही हमारे लिये सब से अधिक सुगम है । हम लोगों से यह नहीं कह सकते कि वे अपनी स्थिति सुधारने के लिये अनन्त काल तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा ही करते रहें । इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि इस विधेयक से हमें वह लाभ नहीं होगा जिसके लिये हम उत्सुक हैं ।

निगमों और बोर्डों की संख्या इतनी बढ़ा दी गयी है, कि इनकी देख-भाल के लिये एक अलग मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा । हमें स्वयं लोगों के सम्पर्क में आना चाहिये और उनसे कहना चाहिये कि वे अपनी कठिनाइयों को अपने तरीकों से दूर करें । जहां तक सहकारी संस्थाओं का सम्बन्ध है, हम अपना उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब इन्हें अनिवार्य बना दिया जाये । ऐसा करने से केन्द्रीय वित्त पर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा । सहकारी संस्थाओं को कृषकों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर अनिवार्य रूप से स्थापित करने से ही हम समाज का समाजवादी ढांचा बनाने में सफल हो सकते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज निहायत खुश हूं कि जिस चीज की हम बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे थे वह आज एक बिल की शक्ल में हमारे सामने आ गई है। इस बिल का काम सही मानों में छोटे से छोटे आदमी की जो हिन्दुस्तान के गांवों में बसता है, जो गांव में रहता है, और गांव के दूसरे आदमियों की, जिन की तादाद ७० से ८० फीसदी तक है, मदद करना है। इस वास्ते में अर्ज करता हूं कि यह बिल जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी और जिसको इससे बहुत पेशतर आना चाहिये था, आज जब हमारे सामने आया है, तो मैं इसका खैरमकदम [स्वागत] किये बगैर नहीं रह सकता।

लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद सबसे पहले जो ख्याल मेरे दिल में आता है वह यह है कि जैसे और बिलों में होता है जिनके जरिये से कारपोरेशन निगम या एग्जेक्टिव काउंसिल [कार्यपालिका समिति] बनाई जाती है, उसी तरह से बिल्कुल वही प्राविजन्स [उपबन्ध] इस बिल के अन्दर मौजूद हैं। वेयर-हाउसिंग काउंसिल [भाण्डार व्यवस्था परिषद्] नैशनल डिवेलपमेंट काउंसिल [राष्ट्रीय विकास परिषद्] और तीसरे डिवेलपमेंट काउंसिल [विकास परिषद्] स्टेट वगैरह-वगैरह की सब बातें इस बिल में मौजूद हैं और इसको एक स्टीरियोटाइप्ड [दकियानूसी] तरीके से फ्रेम [प्रारूपित] किया गया है। जिस तरह से और बिलों में कहा जाता है कि इतने मैम्बर होंगे, इस तरह से वे हटेंगे, इस तरह से उन्हें तनख्वाह मिलेगी, उसी तरह से ये प्राविजन्स भी इस बिल में मौजूद हैं लेकिन जहां तक उन चीजों का सवाल है जो इस आर्गेनाइजेशन [संगठन] के एपेक्स [शीर्ष] को बिल्ड [निर्मित] करती हैं वे सभी एम्पल मैजर [पर्याप्त मात्रा] में मौजूद हैं। परन्तु इस बिल की जो रूह है, वह देखने में नहीं आती है।

इस हाउस के अन्दर किसी मैम्बर ने और शायद श्री अशोक मेहता जी ने बताया कि जब तक कोई शख्स किसी शख्स के मर्ज को न पहचाने, दवा नहीं दे सकता है और यह मर्ज हिन्दुस्तान के अन्दर इतना पेचीदा हो चुका है कि बेचारा गरीब आदमी जो गांव में रहता है, उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि उसके मर्ज को पहचानने के वास्ते एक ऐसे हकीम हाजिक की जरूरत है कि जो उसकी नब्ज पहचान कर उसको मुनासिब दवा दे सके। जो आज तक दवा दी गई है और उसने जो असर किया है, उसका नतीजा हमारे सामने मौजूद है। कल ही हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि इस देश में एक तरह से कोआपरेशन [सहकारिता] फेल [असफल] हो चुका है और यह देखने की चीज है कि वह कोआपरेशन क्या था। लेकिन वह कोआपरेशन कहते हैं सिर्फ कोआपरेटिव क्रेडिट को। जहां तक मैं जानता हूं कोआपरेटिव क्रेडिट हमारे देश में मौजूद था। बहुत सा क्रेडिट [ऋण] दिया गया और बहुत से बैंक्स बने। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि कोआपरेटिव क्रेडिट को जो चलाने वाले थे वे लोगों को कैद करवा कर, लोगों को मार-मार कर रुपया वसूल करते थे। हम यह भी जानते हैं कि मिडिलमैन [मध्यजन] क्या पार्ट प्ले करता है और हम यह भी जानते हैं कि किस तरह से वह गरीब आदमियों को एक्सपलायट [शोषण] करता है और लोगों को कितनी तकलीफ देता है। चाहे आज इस देश में महाजन को कोसा जाता है, चाहे उसको गालियां दी जाती हैं लेकिन साथ ही साथ जहां महाजनों की तरफ से लोगों पर जुल्म होता था वहां पर कोआपरेटिव क्रेडिट के जो अफसर लोग थे जो इनचार्ज [प्रभारी] लोग थे उनकी तरफ से कहीं ज्यादा किसी-किसी केस में जुल्म लोगों पर होता रहा है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने फरमाया वह सही है। अब हमें एक नये सिरे से इस कोआपरेटिव मूवमैंट [आन्दोलन] को इस देश में कायम करना है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज इस चीज को चलाने वाले हमारे श्री अजीत प्रसाद जैन जी हैं, जैसे उनके नाम से जाहिर है जो कभी भी हार नहीं मानते हैं। वह यदि किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह इसके बारे में भी अच्छे नताइज निकाल कर दिखायेंगे और इसमें कामयाब होंगे।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज जो हालत हमारे किसानों की है वह इतनी खस्ता है, वह इतनी खराब है, वह इतनी कम्पलीकेटिड [पेचीदा] है कि उसकी मैन्टेलिटी [मनोवृत्ति] इस तरह की बन गई है, हजारों बरसों के विसिसिच्यूड्ज के कारण जो हिन्दुस्तान पर आये और फारेन गवर्नमेंट [विदेशी सरकार] ने जिस तरह से उस पर जुल्म किये कि अगर आप किसी छोटे से छोटे काश्तकार से पूछें, किसी लैंडलेस लेबरर [भूमिहीन श्रमिक] से पूछें या किसी सीरी से पूछें और उसे कहें कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तो उसे कभी भी किसी सूरत में यकीन नहीं आयेगा कि कोई उसकी मदद कर सकता है। और यकीन क्यों आये ? हम देखते हैं कि जितने भी कानून बनते हैं, जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं, उनसे छोटे आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। वह हमेशा रगड़ा जाता है और उसकी कोई बेहतरी नहीं होती है। इसलिये यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उसकी मैन्टेलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि वह सरकार को, किसी बड़े आदमी को—चाहे वह गांधी टोपी वाला हो या किसी दूसरी टोपी वाला—एतबार की निगाह से नहीं देखता है। हमने एक यूयरीयस लोन्ज एक्ट बना दिया है, जिसकी रू से दस पंद्रह परसेंट [प्रतिशत] से ज्यादा सूद लेने की मुमानत कर दी है। जो ज्यादा लेगा, वह उसकी पकड़ में आ जायगा। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप यहां से थोड़ी दूर गुड़गांव में—मेरी कांस्टीच्यूएन्सी [निर्वाचन क्षेत्र] में—जरा जा कर देखें। मैंने खुद कई गांवों में जाकर देखा है। वहां पर एक पैसा रुपये का सवाल ही नहीं है। वह तो बड़ी नेमत है। दो पैसे रुपये का भी सवाल नहीं है। वहां पर पांच से दस पैसा रुपया सूद लिया जाता है। आप उस को फैला कर देखिये। वह सौ से दो सौ परसेंट तक जा बैठता है। आप यह सुन कर ताज्जुब करेंगे। मैं खुद भी यह देख कर हैरान रह गया। और जिलों में वैसी हालत नहीं है, लेकिन गुड़गांव में लोग आज तक पांच से दस पैसा फी रुपया सूद देते हैं। क्या कोई शख्स इस पर यकीन कर सकता है कि इस कदर सूद लिया जाता है ? लेकिन यह एक हकीकत है। मैंने लोगों से पूछा है और उनके बयानात लिये हैं और मैंने इसको सही पाया है।

जनाबे वाला, जरा खयाल कीजिये कि क्या कोई छोटा जमींदार, कोई काश्तकार या कोई लेबरर इतना ज्यादा सूद दे सकता है ? या इतना सूद देने के बाद भी जिन्दा रह सकता है ? लेकिन यह वाकया है कि वह इतना सूद देता है और जिन्दा भी है, लेकिन उसकी हालत नागुफ्ताबह है। कुछ अर्सा पहले—स्वतन्त्रता की लड़ाई से पहले—हालत यह थी कि लोग खेती करते थे—लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्ज [घटती हुई प्राप्ति के नियम] के आपरेटिव [लागू] होने के बाद भी खेती करते थे, लेकिन उनको ज्यादा फायदा नहीं होता था। चौधरी मुख्तार सिंह के साथ रहने की वजह से, जो कि इस हाउस के मेम्बर थे, मुझे यू० पी० और खास कर मेरठ वगैरह के हालात का इल्म है। लेकिन वे लोग क्या करते ? चाहे फायदा हो या नुकसान, वे खेती का काम करने पर मजबूर थे। वे सोचते थे कि खेती न करें, तो क्या करें ? उस समय यहां पर वह सरकार थी, जो कि इस बात की जामिन नहीं थी कि लोग खेती करें और उससे फायदा उठायें। खुशकिस्मती से हमारे यहां आज वह सरकार है, जो कि यहां पर एक वैलफेयर स्टेट [कल्याणकारी राज्य] कायम करना चाहती है। हम अमरीका और दूसरे तरक्कीयाफ्ता मुल्कों में देखते हैं कि वहां पर कीमतें मुकर्रर की हुई हैं। वहां हर एक आदमी को मालूम है कि मैं क्या चीज बोऊं, मुझे उसकी क्या कीमत मिलेगी और कितना फायदा होगा, लेकिन हमारे मुल्क के जमींदार, काश्तकार और आकुपेंसी टिनेंट [दखिलकारी किसान] कितना पैसा लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बीवी-बच्चे सब के सब काम में जुटे रहते हैं, किसी को होश नहीं होता है, वे पैदा करते हैं, लेकिन इस के बावजूद उनका लिविंग [जीवन] हैंड टु माउथ होता है। उनका गुजारा नहीं होता है। कहा जाता है कि पंजाब में खेती का हाल अच्छा है। आप वहां के किसी भी काश्तकार या किसी सीरी का बजट देख लीजिये आप को पता लग जायगा कि उसकी असली हालत क्या है। मुझे मालूम है कि जब कोई सीरी लगता है, तो उसके जिम्मे पहले ही कर्जा होता है। जब वह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लैंडलार्ड [जमींदार] से कर्जा लेकर सीरी बनता है, तो वह लैंडलार्ड का मकरूज बन जाता है। सारा साल वह सिर-तोड़ काम करता है, हर तरह से वह लैंडलार्ड पर डिपेंड [निर्भर] करता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचता है और उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह अपनी रोटी के लिये भी अनाज लैंडलार्ड से लेता है। इसी हालत में वह हमेशा अपनी जिन्दगी बसर करता है। मुझ को तो पहले इस बारे में तजुर्बा नहीं था। चार-पांच बरस पहले मैंने अपने लड़के को एग्रीकल्चर में डाला। तब मैं यह जान कर हैरान हो गया कि एग्रीकल्चरिस्ट [किसान] को कितने रिस्क्स [खतरों] का सामना करना पड़ता है। हम इस बात का अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। हम नौकरी पर जाते हैं, काम करते हैं और महीने के बाद तनख्वाह पाते हैं। हम वकालत करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं और फीस लेते हैं। लेकिन किसान के रिस्क का कोई ठिकाना नहीं है। जनवरी के महीने में तीन दिन हवा चल गई, तो उसकी पैदावार आधी हो जाती है। ओले पड़ गये, तो उसकी पैदवार खत्म हो गई। चोरी वगैरह दूसरे झगड़ों को तो छोड़ ही दीजिये। अगर हम सही मायनों में काश्तकार का बजट देखें कि कितनी उसकी पैदावार है और क्या उसके पास रहा तो हम ताज्जुब करेंगे कि किस तरह खेती करने वाले लोग अपना गुजारा करते हैं और क्यों खेती के साथ चिपके पड़े हैं। जो लोग जरा इन्टेलिजेंट और हुशियार हैं, वे नौकरी के पीछे आते हैं, गांवों में जो ग्रैजुएट होता है, वह खेती के पीछे नहीं जाता है। यह समझ कर पता नहीं खेती में कितनी आमदनी होती है। मैंने अपने लड़के को उसमें दाखिल किया। लेकिन आज जो ग्रैजुएट हो जाता है, वह कहता है कि मुझे कहीं नौकर करा दो और वह खेती में जाने के लिये तैयार नहीं होता है।

इन हालात में गवर्नमेंट यह बिल लाई है। देखना यह है कि यह बिल किस हद तक फायदा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सब तकलीफों का इलाज नहीं है---कोई पैनेसिया [रामबाण] नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि यह एक नई डाइरेक्शन [दिशा] की तरफ एक कदम है और इसलिये मैं इसको खुश-आमदीद [स्वागत] करता हूं।

सबसे पहला काम यह होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस [कृषि उत्पाद] को आप बढ़ायेंगे, उसको डेवेलप करेंगे। चौधरी रणवीर सिंह ने इनफ्लेशन [मुद्रा स्फीति] का किस्सा सुनाया है। मेरी गुजारिश यह है कि इस देश में इनफ्लेशन का एक इलाज पैदावार को बढ़ाना है। जितनी पैदावार बढ़ेगी, उतना ही इनफ्लेशन कम होगा। अगर हम पैदावार को चालीस-पचास परसेंट बढ़ाने में कामयाब हो गये, तो देश का कोई नुक्सान इन्फलेशन से नहीं हो सकेगा। यह एक डबल चोट होगी उस प्राबलम [समस्या] पर, जो कि हम को आज स्टेयर [आंख दिखा] रही है। अगर यहां पर पैदावार में इजाफा हुआ, तो बिला शको-शुबहा उससे बड़ा फायदा होगा---इतना फायदा होगा जिसका हम अन्दाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह फायदा बड़े किसानों को तो होगा ही, पर हमारा इरादा इस बिल के जरिये छोटे से छोटे किसान के पास जाने का है। जो लोग यह काम करेंगे, मैं नहीं जानता कि उनकी पर्सोनेल [कर्मचारिवर्ग] क्या है, लेकिन अगर उसमें पुराना स्टाफ है, तो वह काम नहीं आयेगा। मैं मिनिस्टर साहब से माफी चाहूंगा, मैं पर्सनली [व्यक्तिगत रूप से] कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो मिनिस्टर इस का होगा, अगर उसमें वे क्वालिटीज [गुण] नहीं हैं कि वह सब आदमियों को अपने जसा बना सके, तो यह काम कामयाब नहीं होगा। बेचारे काश्तकार और सीरी से आज सवा छः परसैंट सूद लेने के बजाय आप भूल जाइये कि इन्ट्रेस्ट लेना है। तभी आप को कामयाबी हासिल होगी। जिस आदमी की औसत आमदनी ५ आने की रोज है उससे आप बचत और सूद की अदायगी की कैसे उम्मीद कर सकते हैं?

आपने वेयरहाउस का भी इन्जाम करना है। लेकिन प्रोड्यूस को आप तक लाने में बेशुमार दिक्कतें हैं। आज हिन्दुस्तान में हर एक इन्सान में इन्डिविजुएलिटी, खुदगर्जी, दूसरे पे बे-एतबारी

इस कदर फैली हुई है, जिसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। आज हमारे गांव वे पुराने गांव नहीं हैं, जिनमें सच्चा और भोला भाला हिन्दुस्तानी हुआ करता था। आज वह हालत नहीं है। आज इलैक्शन्ज [चुनावों] और पार्टीबाजी ने गांव की फिजा को सत्यानास कर दिया है। आज कोई आदमी दूसरे पर एतबार नहीं करता है और सब एक दूसरे को नुक्सान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। आज पंचायत की हालत को देख कर दिल दुखता है। वहां जितने फैसले होते हैं, वह तरफदारी और पार्टीबाजी के होते हैं। अगर हमने हिन्दुस्तान को रिससीटेट करना है, तो हम को गांवों की मैन्टेलिटी को चेंज [बदलना] करना होगा। अगर मेरे अख्तियार में हो, तो मैं इलैक्शन के झगड़े को गांवों के नजदीक न पहुंचने दूं। इलैक्शन के झगड़े वहां जाते हैं और पार्टीबाजी होती है। आज गांव के लोगों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है, रीयल [वास्तविक] कोआपरेटिव स्पिरिट [भावना] नहीं है। आपने कल जो फरमाया कि "यह जीने का एक तरीका है। यह विश्वास का प्रश्न है" यह दुरुस्त है लेकिन आज वह चीज मौजूद नहीं है। आप को नये सिरे से उसको कायम करना है। जब तक आपके पास ऐसे आदमी नहीं होंगे, जो कि गांवों के लिये सैक्रीफाइस [बलिदान] करने के लिये तैयार हों तब तक वह नई स्पिरिट पैदा नहीं होगी। आज मैं बहुत सैलफिश [स्वार्थी] हो गया हूं। आज जो क्वालिटीज मुझ में हैं, वे कोआपरेशन के खिलाफ जाती हैं। जब तक कि आप लोगों की दिमागी जहनियत नहीं तबदील होगी उस वक्त तक गांवों में यह कोआपरटिव्स कामयाब नहीं होंगी। आप कहते हैं कि हम किसानों से उनका गल्ला इन वेयरहाउसेज में रखने के लिये चार्ज करेंगे लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे गरीब और भोले-भाले किसान आपके इन वेयरहाउसेज तक डर के मारे आना भी पसन्द नहीं करेंगे। उसको यह डर लगा रहेगा कि कहीं आप उसके अच्छे गेहूं के साथ खराब गेहूं न मिला दें और उसके ग्रेड [किस्म] और तोल में फर्क न कर दें और यह चीज अगर आप किसी जमींदार अथवा बनिये की बही उठा कर देखें तो आपको पता चल जायगा कि जब फसल आती है तब का भाव और लिखा जाता है और ६ महीने बाद जब उसको खाने को देते हैं तो उसका दूसरा हिसाब होता है। इस बिल की जो भली चीज है वह यह है कि जिस वक्त कि वह फसल तैयार होती है, उस वक्त आप उसको क्रेडिट देते हैं और पूरा दाम देना चाहते हैं। इसके अन्दर सबसे अच्छी बात यह है कि आयन्दा जो आप देना चाहते हैं उसका क्रैडिट कम करके उसको वक्त से रुपया देना चाहते हैं, लेकिन यह तो क्रैडिट की बात हुई। सवाल तो यह है कि क्या देहाती लोगों में यह भाव पैदा हो गया है कि सब अपनी पैदावार को इकट्ठा करके वेयरहाउसेज में जमा करने के लिये ले आयें और कह दें कि इसके लिये इतना चार्ज कर लीजिये ? अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह वेयरहाउसेज की स्कीम गांवों में कामयाब हो तो पहले एक, दो साल तक कोई चार्ज मत कीजिये और बिलकुल मुफ्त रखिये। जिस तरह से कि पिछली गवर्नमेंट ने शुरू में लोगों को अंग्रेजी पढ़ने के लिये वजीफे दिये और जब लोग काफी तादाद में पढ़ने लगे तो पढ़ाई के लिये फीस चार्ज करने लग गयी, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप भी एक, दो वर्ष तक अगर वेयरहाउसेज की तरफ इस देश के गरीब किसानों को अट्रैक्ट [आकर्षित] करना चाहते हैं तो आप हर एक शख्स की जिसकी कि १० एकड़ जमीन हो, उसकी प्रोड्यूस को वेयरहाउहेज में स्टोर करने के लिये एक दो साल तक कुछ चार्ज न करिये और जब वह देख लेगा कि इसमें उसका भला है और जब उसको आप पर भरोसा हो जायगा तो आप देखियेगा कि किसान लोग इन वेयरहाउसेज का उपयोग करने के लिय आपके पीछे भागेंगे। हमारा किसान बेवकूफ नहीं है। वह चालाक और समझदार है। लेकिन मुश्किल आज यह है कि उसको भरोसा नहीं है और यह भरोसा तभी कायम होगा जब आप मोहब्बत से उसको साथ लायेंगे और इस तरीके की कार्यवाही करके उसके अन्दर अपने लिये भरोसा पैदा करेंगे। यह कोआपरेटिव्स की आबहवा जो आप सारे देश में फैलाना चाहते हैं तो याद रखिये कि यह टेंडर प्लांट [नाजुक पौधा] है और आपको इसको अपनी मुहब्बत और सैक्रीफाइस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

से पानी देते रहना है और जब आप ऐसा करेंगे तभी यह पौधा पनपेगा। यह एक नाजुक पौधा है, इस का जमाना मुश्किल है और इसलिये हमको इसके लिये बहुत एहतियात बर्तना होगा वरना यह ठीक नहीं चलेगा। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जहां तक इस बिल का सवाल है, आप अपनी ही बात रखिये और जितने चाहिये आफिश्यल्स (सरकारी) या नान-आफिश्यल्स (गैर-सरकारी) रखिये लेकिन जो आदमी आप गांवों में काम करने के लिये भेजें और उसके लिये यह जो आप विलेज वर्कर्स (ग्राम्य कार्यकर्ता) बना रहे हैं, तो आपको इस बात का खयाल रखना है कि उनमें ऐसे आदमी शामिल किये जायें जिनके अंदर सेवा भाव हो और जो गांव के किसानों के दुःख-दर्द को समझें और उनसे सच्ची हमदर्दी रखकर उनको दूर करने का दिल से प्रयत्न करें। यह काम करने के लिये किसी दूसरे मुल्क से वर्कर्स नहीं आयेंगे और हमें अपने वर्कर्स में ही इम्प्रूवमेंट (सुधार) लाना होगा। चीन का उदाहरण आपके सामने है कि वहां की जनता ने किस तरह सरकारी प्रयत्नों और योजनाओं में सहयोग दिया और चीनी जनता इसलिये राष्ट्रहित के कामों में आगे बढ़ सकी और अपना पार्ट ले कर सकी क्योंकि उसको अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था, उसी तरह अगर यहां के लोगों को आपकी मशीनरी पर जिन पर कि आपकी इन तमाम स्कीमों को चलाने की जिम्मेदारी है, उन पर भरोसा हो, तो आपको इन स्कीमों में कामयाबी मिल सकती है। इसलिये आज सबसे बड़ी जरूरत लोगों में अपने प्रति भरोसा और ऐतबार पैदा करने की है और आपका जो कैप्टिल माइनस है उसको पहले भरोसा से पूरा करना होगा। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप बोर्ड में और खास तौर से वर्कर्स में ऐसा एलिमेंट (तत्व) रखिये जिसके रखने से लोगों के दिलों में आपके प्रति भरोसा पैदा हो सके, मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि आज जितने कोआपरेटिव्स में सरकारी अफसरान काम कर रहे हैं, वे सब के सब ठीक तरह काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं इस हक़ीक़त से इंकार नहीं कर सकता कि उनकी मेंटेलिटी में चेंज लाने की जरूरत है ताकि हमारे किसानों में एक भरोसे की साइकौलिजी (मनोविज्ञान) पैदा हो सके और वह समझेंगे कि वाकई "दे मीन बिज़नैस" (वे कार्य करना चाहते हैं)।

आखिर में मैं आपसे अदब से अर्ज करूंगा कि मैंने जितना वक्त लेना चाहिये था उससे कुछ ज्यादा ले लिया है। मैं समझता हूं कि यह जो नया तजुर्बा सरकार ने चलाया है यह "स्टैप इन दी राइट डाइरैक्शन (सही दिशा में कदम)" है और एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते यह सही बात की जा रही है जो शहरों की ओर न जाकर हजारों और लाखों देहातों की ओर सरकार का ध्यान गया है और इस प्रकार का इंतजाम वह करने जा रही है। मैं इस स्प्रिट को राइट स्प्रिट और सही स्टैप समझता हूं, और इसका खैर मकदम करता हूं। आप इस किश्ती के चलाने वाले हैं आप इस के कैप्टेन इनचार्ज हैं और इस नाते आपका यह देखना फर्ज़ हो जाता है कि आपके नीचे जितने भी काम करने वाले हैं वह सब उसी स्प्रिट को लेकर काम कर रहे हैं कि नहीं जिससे कि नेशंस (राष्ट्र) बनती हैं और अगर कहीं भी उनके नीचे जरा भी करप्शन (भ्रष्टाचार) मौजूद रहा और भरोसे के इस पौधे को ठेस पहुंची तो करी हुई मेहनत ज़ाया जायेगी और तो यह आपकी सारी स्कीम खत्म हो जायेगी और कामयाब नहीं हो सकेगी और इसलिये उनको अपने नीचे के तमाम अमले को बिल्कुल ठीक ठाक रखना है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको इस शुभ कार्य में पूरी तरक्की मिले लेकिन उसके लिये यह बड़ा जरूरी है कि आप जितने आदमी इस काम को अंजाम देने के लिये रखें वह आला दर्जे के ईमानदार और सैक्रिफाइस की स्प्रिट अपने में लिये होने चाहियें।

†**श्री एन० एम० लिंगम्** (कोयम्बटूर) : सदन को विदित है कि यह विधेयक ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफ़ारिश को क्रियान्वित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। मैं अनुभव करता हूं कि देश में

†मूल अंग्रेजी में।

सहकारिता को यथायोग्य महत्व नहीं दिया गया है। यह बात मानी गई है कि सहकारिता से बहुत से देशों की आर्थिक उन्नति हुई है। भारत में सहकारिता का क्या स्थान है ? पश्चिमी देशों में सहकारिता इसलिये सफल हुई है कि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी आर्थिक नींव बहुत मज़बूत है और उनका सहकारिता आंदोलन ऐच्छिक है । यह लोगों पर ठोंसा नहीं जाता है। किन्तु चीन जैसे देशों में इस आंदोलन में लोगों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है और इसके द्वारा देश की आर्थिक समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया है। भारत में इस आंदोलन की स्थिति अस्पष्ट है। हम पश्चिमी देशों की तरह ऐच्छिक आधार पर सरकारी संस्थाएं बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि आर्थिक असमानतायें अत्यधिक हैं और बहुत से लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसके विपरीत, हम चीन के नमूने पर सहकारिता को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु हम किसी को बाध्य नहीं करना चाहते। मैं पूछता हूं कि सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? सरकार को अब इस बात का निर्णय करना चाहिये कि सहकारिता को ग्रामीण क्षेत्रों में सब लोगों को बाध्य कर के विकसित किया जायेगा या इसे ऐच्छिक आधार पर रहने दिया जायेगा। मेरे विचार में इसे एक ऐच्छिक संस्था के रूप में बनाये रख कर सरकार इसकी कोई उन्नति नहीं कर सकती। भारत जैसे पिछड़े हुए देश में सरकार के प्रयत्नों को बढ़ाने के लिये हमें लोगों को संगठित करना होगा। केवल इस रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने से कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट अच्छी है किन्तु इस में यह नहीं बताया गया कि सहकारिता को एक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बनाया जाये।

योजना आयोग ने उत्पादन बढ़ाने के मामल को बहुत महत्व दिया है। यह ठीक है किन्तु जब तक सरकार सहकारिता को सारे देश में चालू करने का निर्णय नहीं करती हम अधिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। योजना आयोग का विचार है कि देश से प्रत्येक परिवार को किसी न किसी रूप में सहकारिता के अधीन लाया जाये और वह यह आशा करता है कि प्रत्येक परिवार किसी आवास सहकारी संस्था या कृषि सहकारी संस्था या ऋण सहकारी संस्था में सम्मिलित हो। यदि लोगों को इतने बड़े पैमाने पर संगठित करना है, तो सहकारिता को अनिवार्य करने के कुछ उपाय करने होंगे। जब तक इस बात का पूर्ण रूप से निर्णय नहीं हो जाता और हम कोई ठोस कदम नहीं उठाते, हम अधिक प्रगति नहीं कर सकते हैं ।

मेरे विचार में सरकार सहकारी संस्थाओं को सारे देश में फैलाने का निश्चय ही नहीं कर सकी है। सहकारिता आंदोलन की असफलता के कारण सभी को ज्ञात हैं। एक कारण यह है कि इस आंदोलन में राजनीतिज्ञों ने बहुत हस्तक्षेप किया है। देश में किसी भी स्तर पर कोई सहकारी संस्था ऐसी नहीं हैं, जिसके सदस्यों का स्थानीय पंचायत या जिला बोर्ड या विधान सभा में हाथ न हो। चूंकि इन सहकारी संस्थाओं में राजनीति लाई जाती है, इसलिये गुटबन्दी शुरू हो जाती है और सारी संस्था का वातावरण दूषित हो जाता है। लोगों की आर्थिक उन्नति होने की बजाय राजनीतिक शक्ति के लिये संघर्ष शुरू हो जाता है। मैं यह सुझाव दूंगा कि सहकारी आंदोलन में भाग लेने वालों पर यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि वे राजनीतिक पद प्राप्त करने के प्रयत्न नहीं करेंगे। मैं तो इतना तक कहूंगा कि सहकारी होना किसी विधान मंडल के सदस्य के लिये अनर्हता का कारण होना चाहिये।

इस निगम के कार्यकरण के बारे में, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह है कि गोदाम स्थापित करने में रेलवे को भी सम्बद्ध किया जाये, ताकि वह भी माल के परिवहन के लिये इन का उपयोग कर सके। ये गोदाम शहरी या अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्रों में स्थापित किये जाने चाहिये। इस के बाद हमें देखना है कि क्या हमारे पास यातायात के आवश्यक साधन हैं ? उदाहरणतया क्या हमारे पास सड़कें हैं ? मैं कुछ माननीय सदस्यों के इस सुझाव से सहमत हूं कि निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि बोर्ड का अध्यक्ष, कार्यपालिका

[श्री एन० एम० लिंगम्]

समिति का अध्यक्ष भी होना चाहिये, क्योंकि यही समिति नीति निर्धारित करती है और धन देती है और यह सारे बोर्ड का प्रतिनिधित्व करती है ।

†**श्री शेषगिरि राव** (नन्दयाल) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं । इस के उपबन्ध लोगों के लिये लाभप्रद हैं । आपत्ति केवल इस बात पर की जा सकती है कि सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और कार्यपालिका समिति का गठन भी और अधिक अच्छे ढंग से किया जा सकता था ।

मैं समझता हूं कि ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट की और निर्देश करने का कोई लाभ नहीं है । यदि उस के निष्कर्षों पर ध्यान दिया जाये, तो यह धारणा बनेगी कि साधारण किसान से सहकारी संस्था के पास जाने की बजाये साहूकार के पास जाने के लिये कहा गया था । मैं यह नहीं मानता कि साधारण किसान एक ज्ञानहीन व्यक्ति है । वह अपना भला बुरा अच्छी तरह सोच समझ सकता है ।

सहकारी संस्था का मुख्य सिद्धान्त यह होना चाहिये कि उचित दरों पर पर्याप्त ऋण दिया जाये । यदि ऋण की अदायगी के लिये कोई अवधि निश्चित की जाती है और यदि यह उस अवधि में वापस नहीं दिया जाता है, और सूद की दर १८ या २० प्रतिशत तक बढ़ा दी जाती है तो कृषक यह समझता है कि साहूकार से ऋण लेना अधिक उपयोगी है । इसके अतिरिक्त जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, सहकारी संस्थाएं स्वार्थी लोगों के अड्डे बन गये हैं । इसलिये ५० या ६० प्रतिशत लोग साहूकारों के पास जाते हैं ।

सहकारिता की भावना हमारे देश के लिये नई नहीं है । १९वीं शताब्दी से पहले ग्राम एक एकक था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के भले के लिये काम करता था । यह भावना १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नष्ट हो गई । पहले वह एक दाना भी तब तक नहीं बेचते थे, जब तक समस्त ग्राम, मूल्य के सम्बन्ध में संतुष्ट न हो जाये । इसलिये सबसे पहले हमें गांव की दशा की जानकारी करनी चाहिये । द्वितीय योजना में भी दिया है कि ग्राम्य स्तर पर प्रारम्भिक संगठन बनने पर ही उच्च स्तर पर प्रभावोत्पादक संगठन बनाये जा सकते हैं । मैं यही चाहता हूं कि ग्राम्य स्तर पर इस प्रकार के संगठन बनाने के पश्चात् ही विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ।

राज्यों म सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें हैं तथा इनके आधार पर प्रत्येक ग्रामवासी जिसके पास दो एकड़ भूमि है, ५० रुपये अथवा १०० रुपये ले सकता है । वह सामुदायिक परियोजना संगठन, राष्ट्रीय विस्तार तथा तकावी ऋण के रूप में १००, १०० रुपये ऋण लेता है और इस प्रकार ३०० रुपये ले लेता है जबकि उसकी कुल सम्पत्ति की कीमत ३०० रुपये से कम की है । इसके अतिरिक्त उसका लाभ भी कुछ नहीं होता, लाभ किसी तीसरे व्यक्ति का होता है ।

ग्राम्य पंचायत के सम्बन्ध में द्वितीय योजना में दिया है कि कृषि कार्यक्रम, भूमि सुधार तथा भूमि प्रबन्ध पंचायत के कार्य हैं । सहकारी विकास के सम्बन्ध में लिखा है कि लोकतन्त्रीय पद्धति पर आर्थिक विकास से सहकारिता बढ़ती है । इसलिये हमें यह विधान प्रस्तुत करना पड़ा ।

मैं यह नहीं सोच रहा हूं कि सहकारी समितियां, राज्यों का विषय हैं तथा इसलिये हमें इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये, हमें सहकारी समितियों को ग्राम्य समुदाय की अर्थ व्यवस्था को संगठित करने का साधन समझना चाहिये जिससे हमारे सभी ग्रामों को लाभ हो सके अन्यथा इन गोदामों से कोई लाभ नहीं होगा । यदि ३०, ४० मील की दूरी पर जिलों में गोदाम बनायेंगे तो उसमें परिवहन प्रभार आदि का व्यय होगा इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सभी यही कहेंगे कि विधेयक बहुत अच्छा है क्योंकि इससे एक बोर्ड, अथवा निगम बनाया जा रहा है। परन्तु इस पर विचार करते समय हमें जानकारी होती है, हम सबने जो कुछ बताया वह सब बेकार नहीं है। इसलिये मेरा यही कहना है कि हम कार्यक्रम ऐसे बनायें जिससे अधिकतम ग्रामवासियों को लाभ हो सके।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियाँ): जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा, तो मैंने यह सोचा कि इसे पेश करते समय खाद्य और कृषि मंत्रालय के कृत्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारण के विवरण के प्रारम्भ में दिया है कि यह विधेयक ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बनाया गया है। यह प्रतिवेदन एक बड़ा लाभदायक दस्तावेज़ है। परन्तु हमें इस विधेयक की कार्यप्रणाली पर भी विचार करना चाहिये।

सभी सभ्य देशों में गोदाम हैं। अमेरिका में ग़ैर-सरकारी संगठनों के गोदाम हैं और अमेरिका, कनाडा, तथा अन्य देशों में यह कार्य सफलतापूर्वक हो रहा है परन्तु हमारे देश में स्थिति कुछ भिन्न है। खाद्य और कृषि मंत्रालय की कार्य प्रणाली ले लीजिये। राज्य में प्रादेशिक निदेशालय हैं तथा इनके अधीन बहुत से गोदाम हैं। परन्तु यदि इन गोदामों के पिछले इतिहास को देखें तो हमें यह जानकारी होती है कि इनमें कुप्रबन्ध के कारण सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई है परन्तु फिर भी सरकार गोदाम खोलने की सोच रही है। इसलिये मेरा विचार है कि इस निगम की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा गोदाम योजना प्रारम्भ की जा सकती है तथा जब केन्द्र चाहे तब वह राज्य सरकारों की सहायता कर सकते हैं।

उद्देश्य तथा कारण के विवरण में दिया है कि गोदाम योजना में कृषि वस्तुओं का खरीदना, उत्पादन, बाज़ार में भेजना, आयात तथा निर्यात आदि है। परन्तु यह सब कार्य तो निगम के बिना आज भी किया जा रहा है। राज्यों के खाद्य और कृषि मंत्रालय आज भी अनाज का संग्रह कर रहे हैं और इसी-लिये मेरी समझ में नहीं आता कि यह निगम क्यों बनाया जा रहा है जबकि इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों को राज्य अब भी कर रहे हैं।

माननीय मंत्री, श्री जैन, ने अमेरिका, चीन तथा इंगलैंड में सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में बताया। परन्तु मैं यह कह देना चाहता हूं कि वर्तमान सहकारी समितियों से सर्वदा कुछ निश्चित व्यक्तियों का ही लाभ हुआ है तथा देहाती व्यक्तियों का नहीं। माननीय मंत्री ने यह भी बताया कि मेरे राज्य में सहकारी समितियां संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं परन्तु इससे देश की कृषि में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब मैं स्कैंडिनेवियन देशों में गया तो वहां के सहकारी समाजों की कार्यप्रणाली से मुझे संतोष हुआ तथा मैं डेनमार्क के केन्द्रीय सहकारी समाज के सभापति से मिला तथा उन्होंने बताया कि भारत की सहकारी पद्धति में बहुत से कार्य किये जाते हैं परन्तु वहां सरकारी भावना का अभाव है। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या इस पद्धति से देश का कुछ लाभ हुआ। मेरी राय यह है कि उन्हें इस विधेयक से पूर्व एक व्यापक विधान प्रस्तुत करना चाहिये था जिसमें कि सहकारी संस्थाओं तथा संघटनों का एक आदर्श ढांचा दिया जाना चाहिये था। सभी राज्यों में सहकारी समितियां हैं तथा विशेषतया उत्तर में सभी प्रकार की बुराइयां इन समितियों में हैं। सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिये तथा मंत्रियों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिये सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं तथा इनका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है।

चीन में सहकारी समितियां बड़ी कुशलता से कार्य कर रही हैं। श्री ए० पी० जैन ने बताया कि हमारी राजनीति में अन्तर होने के कारण हम उस पद्धति को अपना नहीं सकते हैं। परन्तु चीन

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वेलायुधन]

के देहातों का विकास सहकारी समितियों के कारण ही हुआ है । वहां इनसे क्रान्ति आ गई है तथा इसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है ।

मेरा एक सुझाव है कि कुछ पदाधिकारी चीन जायें तथा वहां इसका अध्ययन करें जिससे लौटने पर वह यहां की समितियों को ठीक कर सकें ।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं भेज रहा हूं ।

†**श्री वेलायुधन** : मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने विपणन संगठन के सम्बन्ध में कहा । कृषि मंत्रालय में विपणन संगठन है । इसलिये इन गोदामों की आवश्यकता ही नहीं है । उन्होंने बताया कि वे ऋण का वितरण करेंगे परन्तु ऋण राज्य सरकारें भी बांट सकती थीं ।

मेरे राज्य में पर्याप्त कटहल होता है तथा वह बहुतसा बेकार हो जाता है । टैपिओका, मछली संतरा, आलू, आदि को भी गोदामों में भरना चाहिये परन्तु सरकार केवल उस अनाज को भरना चाहती है जिसको राज्य सरकारों से खरीदेगी । यही मेरी समझ में नहीं आया कि इन अन्य सभी वस्तुओं पर विचार क्यों नहीं किया गया ।

मेरा विचार है कि यह कार्य तो अब भी किया जा रहा है तथा इसके द्वारा सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है । इन गोदामों को सहकारी समितियों में सम्मिलित नहीं करना चाहिये ।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा-झालावाड़) : श्री मोरे ने जो कुछ कहा है उसका मैं विरोध करता हूं । इस विधेयक की तह में जो भावना है वह उसे नहीं समझे हैं । मैं श्री अशोक मेहता से सहमत हूं कि यह विधेयक हमारी अर्थ व्यवस्था को पूर्ण करता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ा तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १५ प्रतिशत उत्पादन और बढ़ाने का विचार है । मुझे समाचारपत्रों से जानकारी हुई है कि खाद्य और कृषि मंत्री ने निधि के अधिक आवण्टन के लिये योजना आयोग को लिखा है । जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सम्बन्ध है, बढ़ोत्तरी होने पर इनका संग्रह किया जायेगा तथा इसीलिये इस विधेयक की आवश्यकता है ।

गत वर्ष मैंने मंत्री महोदय से कहा था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ज्वार ३ रुपये प्रति मन बिक रही है परन्तु इस वर्ष १३ रुपये प्रति मन का भाव है यदि यह विधेयक होता तो इस प्रकार भाव बढ़ नहीं पाते ।

मुझे एक शंका है तथा वह दो निगमों के सम्बन्ध में है । इस विधेयक से केन्द्रीय राष्ट्रीय विकास तथा गोदाम बोर्ड, केन्द्रीय गोदाम निगम तथा राज्य गोदाम निगम बनेंगे । जहां तक मुझे ज्ञात है केन्द्रीय गोदाम निगम तथा राज्य गोदाम निगम के कार्य एक से ही हैं केवल अन्तर इतना ही है कि राज्य गोदाम निगम के आधे अंश केन्द्रीय गोदाम निगम खरीदेगा । परन्तु यह कोई कार्य नहीं है यह कार्य तो केन्द्रीय बोर्ड भी कर सकता है । इसलिये कृपया माननीय मंत्री मेरी शंका निवारण करें ।

सहकारी ऋण समितियों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऋण सहकारी समितियां, उत्पादक सहकारी समितियां, तथा विपणन सहकारी समितियों को आपस में मिला देना चाहिये । इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक कृषक जो एक सहकारी समिति का सदस्य है, अन्य दोनों का भी सदस्य होगा । अन्य देशों जैसे तुर्की में भी इस प्रकार की व्यवस्था है ।

मैं भी अन्य सदस्यों के इस सुझाव से सहमत हूं कि गोदामों के निर्माण पर माननीय मंत्री को अधिक ध्यान देना चाहिये । ठेकेदार सभी प्रकार के गोदाम बनाते हैं तथा कुछ मैंने देखे हैं जो बहुत ही खराब हैं । इसलिये इनके निर्माण पर अधिक धन व्यय करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गोदामों के स्थान के सम्बन्ध में मैं भी यही कहना चाहता हूं कि इनको उचित स्थान पर बनाना चाहिये। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि गोदाम में हमें कृमिमों का भी ध्यान रखना चाहिये क्योंकि सभी सहकारी समितियों को इन की जानकारी नहीं होती है। इसलिये कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिये। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से पूर्णतया सहमत हूं कि विधेयक से किसानों का तभी लाभ होगा जब इनको उचित रूप में लागू किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लगभग दस सदस्य और बोलना चाहते हैं इसलिये मेरा विचार है कि हमें दस मिनट का समय रख लेना चाहिये जिससे सभी व्यक्ति बोल सकें।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला मथुरा—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी (ग्रामीण ऋण सम्बन्धी सर्वेक्षण समिति) की सिफारिशों को पूरा करने के रास्ते में निस्संदेह यह विधेयक एक बहुत बड़ा कदम है और मैं माननीय मंत्री जी को इस के लिये बधाई देता हूं। इस विधेयक के जरिये एक बोर्ड बनाने की तजवीज है और उस बोर्ड का नाम होगा नेशनल कोआपरेटिव डेवेलपमेंट ऐंड वेअरहाउसिंग बोर्ड (राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डार—व्यवस्था बोर्ड)। उस के नाम से साफ जाहिर है कि उस बोर्ड के दो प्रकार के काम होंगे। एक तो होगा कोआपरेटिव डेवेलपमेंट और दूसरा एक परिमित काम होगा, लिमिटेड काम होगा, वेअरहाउसिंग का। तो जैसा पहले कहा गया है कि डेवेलपमेंट का पहला काम है, और डेवेलपमेंट (विकास) भी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ (सहकारी समितियों) के द्वारा, यह काम बड़े महत्व का है। और इस काम को पूरा करने के लिये उस बोर्ड को एक फंड दिया गया है। इस विधेयक के द्वारा उस फंड की स्थापना की गई है। यानी जो सेन्ट्रल बोर्ड होगा उस के पास दो फंड होंगे। एक फंड होगा नैशनल कोआपरेटिव डेवेलपमेंट फंड (राष्ट्रीय सहकारी विकास निधि) और दूसरा फंड होगा, नेशनल वेअरहाउसिंग फंड (राष्ट्रीय भाण्डार—व्यवस्था निधि)। जो नेशनल कोआपरेटिव डेवेलपमेंट फंड है, उस में से बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिये से कोआपरेटिव सोसायटीज को रुपया कर्जे के तौर पर और सब्सिडी (सहायता) के तौर पर बराबर देता रहेगा। दूसरे फंड के जरिये से, जैसा हाउस के सामने कई माननीय मेम्बरों ने कहा है, जगह-जगह वेअरहाउसेज बनाये जायेंगे। एक वेअरहाउसिंग कारपोरेशन सेन्ट्रल लेबेल (केन्द्रीय स्तर) पर बनाया जायेगा और दूसरा कारपोरेशन स्टेट लेबेल पर बनाया जायेगा।

इस बोर्ड के जो उद्देश्य हैं वह बहुत ऊंचे हैं। इस बोर्ड के उद्देश्यों में जैसा कि क्लाज ९ में दर्ज है :

"कृषि उपज का तैयार करना, विपणन, निर्यात और आयात"

यह भी शामिल है और उन के सामने लिखा गया है कि यह उद्देश्य पूरे किये जायेंगे या तो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा या वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के द्वारा। मेरा माननीय मंत्री जी के सामने एक सवाल है और वह यह है कि जो वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के फंक्शन्स (कृत्य) इस विधेयक के क्लाज २५ में दिये हैं और स्टेट कारपोरेशन के जो फंक्शन धारा ३४ में दिये गये हैं उन में इन फंक्शन्स का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। न तो उन में प्रोसेसिंग (तैयार करना) है, न मार्केटिंग (विपणन) है और न एक्स्पोर्ट (निर्यात) और इम्पोर्ट (आयात) है ऐग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (कृषि उपज) की। मैं जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग जो सेन्ट्रल बोर्ड करेगा वह कैसे करेगा, जब उस में लिखा है कि या तो वह कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा करेगा या वेअरहाउसिंग के द्वारा करेगा। ऐसा मालूम होता है कि यह कमी इस में रह गई है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि इस सदन के सामने कहा गया है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण के दौरान में कहा है कि कोओपरेशन एक जीवन का तरीका है। जब तक हमारे

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

जीवन में सहयोग की भावना न होगी तब तक कितने भी उपाय हम ऊपर से करें कोग्रोपरेटिव कभी भी सफल नहीं हो सकता । हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम लोगों के दिमागों में सहयोग की भावना भरें और जब हम ऐसा करेंगे और जब लोग इसे अपना लेंगे तभी हम सफल हो सकेंगे । मैं समझता हूं कि यह जो इतनी बड़ी स्कीम बनाई गई है, देखने में तो यह अच्छी लगती है लेकिन यह अच्छी तभी लगेगी जब आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी की देख-रेख में यह स्कीम अवश्य सफल होगी । मैं आशा करता हूं कि इस स्कीम के द्वारा किसानों की तरक्की होगी और पैदावार में इज़ाफा होगा । आज किसान वक्त पर पैसा न मिलने की वजह से अप पैदावारनी नहीं बढ़ा सकते हैं । इस वास्ते जरूरत इस चीज़ की है कि उनको सस्ते सूद की दर पर रुपया दिया जाये । किसान की एक मुश्किल यह भी है कि जब उसकी फसल तैयार होती है उस वक्त उसके पास बिक्री का कोई अच्छा साधन नहीं होता है और जब वह अपनी फसल को लेकर मंडी में जाता है तो जिस भाव पर भी वह बिक सकती है उसी भाव पर वह उसे बेच देता है । इस वास्ते बिक्री की सुविधायें सुलभ करने की, वक्त पर उसे पैसा देने की तथा दूसरी जो चीज़ें जैसे बीज, औज़ार इत्यादि हैं उन्हें उसके लिये सुलभ करने की ओर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये । इस बात की सब से पहले कोशिश की जानी चाहिये कि उसको सस्ती दर पर रुपया उधार दिया जाये ।

आज हमारी कोग्रोपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत बदनाम हो चुकी हैं । रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि यह जो मूवमेंट है, यह जो आन्दोलन है, यह हिन्दुस्तान में असफल हुआ है और इसको कामयाब बनाने के लिये उसने बहुत से सुझाव पेश किये हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक लोगों के दिमागों में इस मूवमेंट के प्रति अच्छी भावना पैदा करने में हम कामयाब नहीं होते, तब तक हम सफल नहीं हो सकते । आज बहुत सी चीज़ें कोग्रोपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये से हो रही हैं । मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं । यू० पी० में कोग्रोपरेटिव के तौर पर ईंटें बनाने के लिये भट्टे चल रहे हैं । जब कंज्यूमर कोग्रोपरेटिव सोसाइटीज़ (उपभोक्ता सहकारी समितियें) वहां पर कायम हुई थीं उस वक्त कन्ट्रोल का जमाना था और ये तमाम चीज़ें कोग्रोपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये से लोगों को मुहैया की जाती थी और कोग्रापरेटिव सोसाइटीज़ को ही परमिट दिये जाते थे । इस तरह से उनके पास बहुत सा रुपया जमा हो गया । लेकिन जब ये कंट्रोल हटे तो इन कोग्रोपरेटिव सोसाइटीज़ ने ईंटों के भट्टों का काम ले लिया और उसे ठेकेदारों के ज़रिये से करवाना शुरू कर दिया । इससे कोग्रोपरेशन का जो असली मकसद था वह खत्म हो गया । सरकार ने इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिये या कागज़ी तौर पर कामयाब बनाने के लिये यह फैसला किया कि ईंटें बनाने के लिये कोयला केवल कोग्रोपरेटिव सोसाइटीज़ को ही दिया जायेगा और उसके द्वारा ही ईंटें बन सकती हैं । जो सूबे में भट्टे बनाने वाले लोग थे उन्होंने किसी कोग्रोपरेटिव सोसाइटी से मेलजोल कर लिया और उससे तय कर लिया कि नाम तो तुम्हारा ही रहेगा लेकिन काम को हम करेंगे और इसके लिये हम तुम्हें इतना रुपया देंगे । तो जब इस तरह से कोग्रोपरेटिव सोसाइटी को चलाया जायगा तो जैसा की मंत्री जी ने कहा; उसकी जो असली भावना है वह लोगों के दिलों में प्रवेश नहीं कर सकती और हम अपने मकसद में असफल रहते हैं ।

आज अशोक मेहता जी ने कहा कि डेनमार्क की तरह से हमें भी लोगों को मजबूर करना चाहिये और एक तरह से कमपलशन से काम लेना चाहिये । मंत्री जी ने कहा कि जो आदमी कर्जा लेना चाहेगा उसको कर्जा इस शर्त पर मिलेगा कि पहले वह यह इकरार करे कि उसकी जो पैदावार होगी उसकी बिक्री कोग्रोपरेटिव सोसाइटी के ज़रिये से होगी ।

अशोक मेहता जी ने कहा है कि यह तो ठीक है कि वह अपनी फसल उसके ज़रिये से बेचे लेकिन इसके आगे भी एक और कदम हमें बढ़ाना चाहिये और वह कदम यह है कि वह एक फसल की ही पैदावार

नहीं दे, इसी हद तक उसे मजबूर न किया जावे बल्कि और भी उसे मजबूर करें कि वह दो तीन साल तक अपनी फसल इस सोसाइटी के ज़रिये से बेचे। मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज़ करता हूं कि हिन्दुस्तान के देहातों में किसी को मजबूर करके कोई काम करवाने का वक्त अभी नहीं आया है और यह मजबूरी से काम लेना हमें तब तक शुरू नहीं करना चाहिये जब तक कि लोगों के दिलों में कोओपरेशन के प्रति अच्छी भावना पैदा नहीं हो जाती। अगर आपने लोगों को मजबूर करके ही काम करवाया तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसी मूवमेंट के अच्छी मूवमेंट होते हुए भी, एक सुन्दर मूवमेंट होते हुए भी, लोगों के दिमागों के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा और वह मूवमेंट फेल हो जायेगी।

†**सेठ अचल सिंह** (ज़िला आगरा—पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, यह समय के अनुसार है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसकी ८० प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है। दूसरी वर्ल्ड वार (विश्व युद्ध) से पहले हमारे यहां जो खेती की अवस्था थी वह बहुत ही अच्छी थी और जो बोहरे लोग होते थे, जो ज़मींदार लोग होते थे वे कास्तकारों को रुपया दे देते थे और जो उनकी फसल होती थी उसको वे ले लेते थे और उसको खत्तियों में जमा कर लेते थे और वक्त आने पर उसको बेच देते थे। इस तरह से वे लोग हज़ारों लाखों मन गल्ला जमा कर लिया करते थे। लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद गेहूं और दूसरे अनाजों की कमी महसूस होने लग गई और इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने ग्रो-मोर-फूड-कम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) चलाई। इस देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सरकार ने लाखों मन गल्ला बाहर से मंगाया और अब हालत यह है कि स्थिति काबू में है और बाहर से गल्ला मंगाना कुछ कम कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अब स्थिति यह है कि काश्तकार जो गल्ला पैदा करता है, पहले तो उसकी खातिर बोहरे और ज़मींदार लोग रुपया लगाते थे लेकिन जब से यू० पी० में एनकम्बर्ड स्टेट एक्ट तथा जमीदारी एबालिशन एक्ट पास हुआ हैं, उस वक्त से ये दोनों ही खत्म हो गए हैं, और अब रुपया लगाने वाला कोई नहीं रह गया है।

दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान में काश्तकार को उसकी प्रोड्यूस यानी जिन्स की अच्छी कीमत मिल गई थी और उसके फलस्वरूप उसके पास काफी रूपया जमा हो गया था और वह अपना काम अच्छी तरह से चला लेता था। लेकिन पिछले दो वर्षों से फसल अच्छी नहीं हुई है। पिछले वर्ष बाढ़ों और अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल बिल्कुल खराब हो गई। किसान को रुपये की ज़रूरत पड़ी पर बोहरे तथा ज़मींदार जो पहले से खत्म हो चुके थे वे रुपया लगाने की स्थिति में नहीं थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर गवर्नमेंट ने तकावी बांटी वह बहुत कम थी और साथ-साथ किसान को १०० रुपया मिलना चाहिये उसे केवल ६० रुपये ही मिलते हैं। साथ ही साथ बड़ी सख्ती से रुपया गवर्नमेंट की तरफ से वसूल भी किया जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यह जो बिल पेश किया गया है, मैं समझता हूं, अच्छा ही किया गया है। काश्तकार को जो रुपये की आवश्यकता होती है अगर वह रुपया उसको क्रेडिट कोओपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये से मिल जाये तो वह अपनी खेती का काम चला सकता है। पिछले साल रबी की फसल के बाद गेहूं का भाव ८—९ रुपया प्रतिमन हो गया था और चूंकि उस समय काश्तकारों को रुपये की आवश्यकता थी इस वास्ते उसने अपना गेहूं ८—९ रुपये मन और चना पांच छः रुपया मन पर ही बेच दिया। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद गेहूं और दूसरे अनाज का भाव दुगना हो गया। अगर, जब कीमत कम थी, उस वक्त काश्तकार के पास पैसा होता तो वह अपनी फसल को रोक कर रख सकता था और जब तेज़ी आई उस वक्त बेच सकता था। अब यह बड़ी खुशी की बात है कि जो बिल हमारे सामने आया है इससे जो क्रेडिट सोसाइटीज़ कायम होंगी उनके ज़रिये से काश्तकारों को रुपया मिल सकेगा और वह इससे फायदा उठा सकेंगे। यह विचारणीय

†मूल अंग्रेजी में।

[सेठ अचल सिंह]

बात है कि सोसाइटीज़ का काम किस प्रकार चलता है, वह संतोषजनक नहीं है । ज्यादातर लोग उन से नाजायज़ फायदा उठाते हैं और इसीलिये जनता का सोसायटीज़ में विश्वास नहीं रहा है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, सोसाइटीज़ एक्ट में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे मुमकिन है कि लोगों में यह विश्वास कायम हो जाय कि सोसाइटियां ठीक काम कर सकती हैं ।

जहां तक वेयरहाउस अर्थात गोदामों का ताल्लुक है, मेरा सुझाव यह है कि वेयरहाउस बनाने पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाय, इस के बजाय जो खत्तियां गांवों और मंडियों में हैं उन को सीमेंट से पक्का बनाया जाय । पहले खत्तियां कच्ची होती थीं । अगर वे सीमेंट की बनाई जायें, तो उनमें बहुत कम खर्च में गल्ला सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, उन में ऐसी दवा डाल दी जाय कि अनाज को घुन न लगे । इस तरह खत्तियों में बगैर किसी दवा के अनाज दो तीन बरस तक रखा जा सकता है और वह खराब नहीं होता है । आज हर एक गांव में दस बीस खत्तियां और हर एक गल्ले की मंडी में कई-कई सौ खत्तियां मौजूद हैं । हापुड़ और गाज़ियाबाद में बहुतसी खत्तियां हैं । उनको पक्का बनाया जाय और वहां पर माल रखा जाय । पहले हिन्दुस्तान में खत्तियां ही वेयरहाउस का काम करती थीं और करोड़ों मन गल्ला उन में रखा जाता था, लेकिन लड़ाई के बाद चूंकि गल्ले में कमी हो गई, इसलिये उन खत्तियों की हालत खराब हो गई । माननीय मंत्री महोदय इस सुझाव पर गौर करें कि वेयरहाउस के बजाय खत्तियों पर ज्यादा ज़ोर दिया जाय । हर गांव में सोसाइटी हो और वहां का तमाम गल्ला ले लिया जाय और बाद में यथा-समय उस को बेचने का यानी भाव आने पर उसको बेचने का प्रबन्ध किया जाय । इससे काश्तकारों को बहुत फ़ायदा होगा और उनकी हालत सुधरेगी । काश्तकार हमारे देश की आबादी का ७५–८० प्रतिशत भाग हैं । इसलिये उनकी अवस्था में सुधार का अर्थ होगा सारे देश की अवस्था में सुधार ।

माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, वह बहुत उपयोगी है । मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर विचार किया जायगा । इस प्रकार भारत के काश्तकारों को काफ़ी राहत मिल सकेगी ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : इस विधेयक के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि इससे किसानों को सहायता मिलेगी । अब तक किसान अपना उत्पादन महाजन को बेचता था । यह महाजन किसी भी प्रकार की दया न दिखाते हुए उसकी वस्तु को दस सेर के स्थान पर ग्यारह सेर तोल कर खरीदता था और अपना घर भरने का प्रयत्न करता था और किसान सर्वथा निधन रहता था क्योंकि उसको अपनी वस्तु की पूर्ण धनराशि नहीं मिल पाती थी । अब मंत्री महोदय ने यह अच्छा कार्य किया है । परन्तु गांव वालों को हमें बताना भी चाहिये कि खेती करना अच्छा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया कि नवयुवक जो ३०० बीघे का स्वामी है वह १०० रुपये की नौकरी को अधिक पसंद करता है । इसका यह कारण है कि एक तो यह शिक्षा ठीक नहीं है । दूसरे देहाती जीवन तथा नगर के जीवन में बड़ी असमानता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि देहाती लड़के को कृषि का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिये तथा तभी नवभारत का निर्माण संभव हो सकेगा । हमें गांव के निवासियों को काम करने को प्रोत्साहित करना चाहिये जो स्वयं कार्य कर सकें तथा केवल सलाह ही न दें । इसलिये देहातों में हमें इसका प्रचार करना चाहिये ।

पहले बच्चों को, फिर बड़ों को हमें प्रशिक्षित करना चाहिये । जो कार्य वह करते हैं, उसका उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिये जिससे उस कार्य को वह कुशलता से कर सकें । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमें पहले देहातों में किसानों को प्रशिक्षित करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : सभी माननीय मंत्री को बधाई दे रहे हैं.परन्तु मेरे विचार से बधाई देने का उचित अवसर वह था जब हमने देहातों में ऋण सुविधायें देने के लिये भारत के रक्षित बैंक अधिनियम को संशोधित किया था ।

जहां तक सहकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि जब तक देश की जनता सहकारिता को सफल बनाने की आशा न करे, तब तक देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है ।

सहकारी समितियों के द्वारा गोदामों की व्यवस्था, देश में करने का प्रयत्न किया गया परन्तु उन्होंने कुशलता से कार्य नहीं किया । अब इस विधेयक से गोदामों की व्यवस्था की जा रही है । दूसरे शब्दों में संग्रह की सुविधा दी जा रही है । परन्तु क्या यही समस्या हमारे सामने है ? क्या इसी कारण उत्पादक को अपनी वस्तुओं का पूर्ण धन नहीं मिल पाता है ? यही प्रश्न नहीं है ।

कृषक कितने ही प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है तथा धान भी कितने ही प्रकार के होते हैं तो क्या आज सबको एक में सम्मिलित करके गोदामों में भरना चाहते हैं । इनका लाभ तभी हो सकता है जब वाणिज्यिक फसल की वृद्धि की जाये तथा उसका संग्रह किया जाये ।

एक और कठिनाई है कि किसान के पास इतनी कम भूमि होती है कि उसमें उत्पादित वस्तु उसके भरण पोषण के लिये ही कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप वह गोदामों में कुछ नहीं रख सकता । इसलिये मूल समस्या अधिक उत्पादन करने की है । इस विधेयक के खण्ड ९ में उत्पादन बढ़ाने की कुछ योजनायें हैं । परन्तु एक ओर तो आप भूमि दान चाहते हैं तथा दूसरी ओर उत्पादन बढ़ाने की योजनायें प्रस्तुत करते हैं । बड़ी विपरीत स्थिति है । उत्पादन तभी बढ़ सकता है, जब भूमि अधिक हो, खाद हों तथा अन्य सुविधायें हों । केवल भंडार सुविधायें देने पर ही समस्या हल नहीं हो जाती है ।

विभिन्न राज्यों में कृषि विभाग, प्रयोग तथा गवेषणा कर रहे हैं परन्तु कठिनाई यह है कि इन प्रयोगों तथा गवेषणाओं के अनुसार काम कभी नहीं किया गया । उन्होंने बीज में सुधार किया परन्तु गरीब किसानों को सुधारा गया बीज कभी भी नहीं दिया गया । इसके अतिरिक्त बीज को कहीं रखने की व्यवस्था नहीं है । यदि वर्षा हो और किसानों को बीज की आवश्यकता हो उस समय उनको खराब बीज ही मिलेगा । जिसके परिणामस्वरूप विभाग में विश्वास उठ जायेगा । मेरा सुझाव है कि प्रत्येक गांव में जाकर हमें प्रयोग करने चाहिये तथा सहकारी फार्मों को प्रोत्साहित करना चाहिये । यदि किसानों को इसमें कुछ अच्छाई दिखाई देगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह शीघ्रता से इसे अपना लेंगे ।

यह गोदाम तथा अन्य बातें तभी लाभदायक होंगी यदि किसान अपनी फसल रख सकेंगे जिसको इस समय निर्धनता के कारण वह खो देते हैं । माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि हम उन्हें ऋण देना चाहते हैं तथा आशा करते हैं कि हमारे द्वारा वह अपने उत्पादनों को बेचेंगे । परन्तु गोदामों में भरी गई वस्तु भी गोदामों की बुरी दशा के कारण खराब हो सकती है । इसलिये मेरा विचार है कि तभी परिवर्तन हो सकता है जब देहातों में जा कर प्रयोग किये जायें तथा उनको किसानों को दिखाया जाये तथा तभी अपने अनुभव के आधार पर गोदामों में वह अपना उत्पादन रख सकते हैं तथा अधिक मूल्य पर उसे बेच सकते हैं ।

विधेयक के खण्ड ९ में बोर्ड के कार्य दिये हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारी कृषि पर अधिक ध्यान देना चाहिये । रक्षित बैंक की सहकारी कृषि पर पुस्तिका में विभिन्न देशों के इस सम्बन्ध में अनुभवों का वर्णन है । परन्तु यह सभी प्रयोग अधिक सफल नहीं हुए हैं । मेरा विचार है कि राज्यों के कृषि विभागों में आदर्श फार्म का प्रदर्शन होना चाहिये तथा इस प्रकार किसानों को गोदामों तथा सहकारी समितियों के लाभों से अवगत किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री राघवाचारी]

मैं देखता हूं कि सर्वदा नामनिर्देशन ही नामनिर्देशन रखा जाता है तथा इससे समस्त शक्ति केन्द्रीय सरकार में केन्द्रित होती है। जब हम इसकी आलोचना करते हैं तो हमें धैर्य रखने को कहा जाता है। नामनिर्देशित बार्डों का काम असंतोषजनक रहा है, इसलिये मेरा विचार है नामनिर्देशन पद्धति द्वारा हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं।

†**श्री मुरारका** (गंगानगर–झुंझनू) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं की जानकारी रखने वाले इस विधेयक के उद्देश्यों से असहमत नहीं हो सकते १९३१ में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं और उन्हें अंशतः कार्यान्वित करने के लिये कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में गोदाम समितियां और गोदाम निगम चालू किये थे किन्तु फिर भी उन गोदामों के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है।

सर्वप्रथम, इतना महत्वपूर्ण विधेयक इस सभा की प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये था। वहां उस पर अधिक ध्यान दिया जाता। यह दुःख की बात है कि ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक, जिस पर ३० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और जिसमें सहकारी समिति जैसे विवादास्पद विषयों के अनेक उपबन्ध हैं, प्रवर समिति को नहीं सौंपा जा सका।

अब इस विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में, सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि संचालन समिति की सिफारिशें ठीक तौर पर क्यों नहीं कार्यान्वित की गई हैं। समिति ने स्पष्ट शब्दों में सुझाव दिया था कि रक्षित बैंक और इस निगम दोनों के लिये ही एक मंत्रणा समिति होनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि इस प्रयोजन के लिये बोर्ड के सदस्यों को मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रणा समिति बनाना सरकार ने सुविधाजनक क्यों नहीं समझा ?

मेरी दूसरी आलोचना यह है कि इस प्रकार के स्वायत्तशासी निगम में सदा ही सरकारी कर्मचारियों की भरमार क्यों रहती है। इस प्रयोजन के लिये सरकारी विभाग न रखकर एक स्वायत्तशासी निगम बनाने में मूलभूत विचार यह है कि निगम में स्वतन्त्र लोग और अपने क्षेत्र में अनुभवी लोग रहें और वह ढिलंगाई से कहीं दूर हों। यदि इस निगम में सरकारी कर्मचारी ही होंगे, तो उनकी कार्यप्रणाली वही होगी और उनका दृष्टिकोण सदा ही नौकरशाही वाला दृष्टिकोण होगा। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से, वह व्यवस्था अच्छी हो सकती है किन्तु कृषकों को समय पर उससे कोई मदद नहीं मिलेगी।

[**श्री राघवाचारी** पीठासीन हुए]

आगे बोर्ड के कार्यों के सम्बन्ध में, समिति की सिफारिशों और इस विधेयक में वास्तव में रखे गये कार्यों के बीच बहुत अन्तर है। उदाहरणार्थ, समिति ने सिफारिश की थी कि इस बोर्ड को छोटी सिंचाई योजनाओं और कुटीर उद्योगों के लिये साधन सामग्री दिये जाने की परियोजनाएं भी प्रारम्भ करनी चाहिये किन्तु विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। मैं नहीं जानता कि सरकार यह सिफारिश क्यों नहीं स्वीकार कर सकी और उसे विधेयक में क्यों नहीं सम्मिलित कर सकी। किसानों की पूरी-पूरी सहायता के लिय उसे छोटी सिंचाई परियोजनाओं और कुटीर उद्योगों के लिये साधन सामग्री अवश्य ही दी जानी चाहिये।

आगे इस विधेयक में बोर्ड के सदस्य और संचालकों की विहित अनर्हताएं एकसी होनी चाहिये। अनहताओं के सम्बन्ध में तीन खंड हैं अर्थात् खंड ४, २२ और ३१ हैं। किन्तु खंड ४ में तीन अनर्हतायें और खंड २२ में ६ हैं। फिर खंड २२ की जो अनर्हता है वह खंड ४ में नहीं है। अतः एक खंड में जो अनर्हतायें विहित हैं वे दूसरे खंड नहीं रखी गई हैं। उसके लिये कोई औचित्य नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

समिति ने एक सिफारिश यह की थी कि केन्द्रीय गोदाम निगम में संगठित विपणि संस्थाओं, जैसे ईस्ट इंडिया काटन असोसियेशन, को शेयर पूंजी में अंशदान करने की अवश्य अनुमति दी जानी चाहिये। शेयर पूंजी में अंशदान करने का अधिकार जिन संस्थाओं को प्राप्त है, उनकी सरकार द्वारा स्वीकृत सूची में मैं अभिज्ञान वायदा बाजार संस्था का नाम नहीं देखता। मैं नहीं जानता कि सरकार ने वह सिफारिश भी क्यों नहीं मानली है।

अब जहां तक केन्द्रीय बोर्ड का सम्बन्ध है, यदि वह एक विशेष संविधि के अधीन एक केन्द्रीय प्राधिकार के रूप में बनाया जाता तब तो ठीक था किन्तु अन्य निगम जैसे केन्द्रीय गोदाम निगम और राज्य गोदाम निगम भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन क्यों नहीं निगमित किये गये हैं? भारतीय समवाय अधिनियम में पर्याप्त संरक्षण दिये गये हैं किन्तु जो उपबन्ध सरकार इन निगमों पर नहीं लागू करना चाहती वे निकाल दिये जा सकते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि ये निगम भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन क्यों नहीं निगमित अथवा स्थापित किये जाते। यह मैं इसलिये कहता हूं कि इन निगमों में जनता अंशधारी होने जा रही है और इसलिये यह बिलकुल उचित था कि समवाय विधि उन पर लागू की जानी चाहिये थी।

अब मैं खंड १९ के बारे में कहना चाहता हूं। उस खंड के अनुसार, शेयर पर लाभांश जिसके लिये केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति देगी, एक अधिसूचना द्वारा, संसद् में बिना हम से परामर्श लिये ही, निर्धारित किया जायगा। इस विषय में हमें यह कहने का अधिकार होना चाहिये कि वह उचित है या नहीं। मेरे विचार से खंड १९ के सम्बन्ध में, अधिसूचना द्वारा घोषणा करने की शक्ति सरकार को प्राप्त नहीं होनी चाहिये किन्तु विधेयक में ही यह बता दिया जाये कि दर क्या होगी, और सभा को मालूम होना चाहिये कि सरकार किस दर पर लाभांश देने का विचार करती है।

आगे खंड ५५ से भारत का रक्षित बैंक अधिनियम संशोधित करने का आशय है। उस अधिनियम के संशोधन का एक विधेयक पहले ही सभा के समक्ष पड़ा हुआ है। अतः यह उपबन्ध वहां रखा जाना चाहिये था, यहां नहीं।

†**श्री श्यामानन्दन सहाय** (मुज़फ़्फरपुर—मध्य): इसमें संदेह नहीं कि इस विधेयक को अधिनियमित करने और उसे कार्यान्वित किये जाने के बाद इस देश में सहकारिता आंदोलन के इतिहास में एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ होगा। अनेक मित्रों ने डेन्मार्क, स्वीडन तथा अन्य देशों के बारे में कहा है किन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि स्वीडन या डेन्मार्क में सहकारी संस्थाओं का विनियमन करने वाली कोई विधि नहीं है। वहां उस क्षेत्र के लोगों की अपनी इच्छा से कार्यों के आधार पर उनका विकास हुआ है। परिणाम यह रहा है कि संपूर्ण देश एक सहकारी संस्था बन गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह विधेयक ठीक दिशा में एक उचित कार्यवाही है। अतः मैं मंत्री और सरकार को बधाई देता हूं मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस विधेयक की अत्यावश्यकता समझती है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजे गये बिना ही पारित किया जाये किन्तु यह ठीक है कि सरकार इस विधेयक के बारे में बहुत आतुर है। यह पहला विधेयक है जो ग्रामीण क्षेत्रों के सुधार और सहकारी संस्थाओं के सुधार से संबंधित है।

मुझे प्रसन्नता है कि यद्यपि विधेयक में सुधार के कई सुझाव रखे गये हैं फिर भी सभा के अधिकतर सदस्य, श्री वेलायुधन को छोड़ कर, उसके उपबन्धों और उसके अन्तर्गत सिद्धांतों से सहमत हैं।

मैंने कई वक्ताओं को यह कहते सुना है कि पहले सहकारी आंदोलन ग्रामीण महाजन या ऋणदाता की अपेक्षा अधिक कठोर सिद्ध हुआ ह। मैं यह आरोप स्वीकार नहीं कर सकता। आखिरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामानन्दन सहाय]

प्रवर्तन का तरीका पंचाट या परिसमापन कार्यवाहियों के जरिये से था। पंचाट या परिसमापण कार्यवाही के मामले मुश्किल से ५ से ७ प्रतिशत तक थे। मुख्य बात यह है कि सहकारी संस्था द्वारा धन दिये जाने का वही परिणाम हुआ है जैसे कि ऊंचे भावों के जमाने में जब सरकारी गोदाम या अनाज की दूकानें खोली गई थीं। मैं यह कहता हूं कि महाजनों ने ब्याज की बहुत ऊंची दर ली और यद्यपि सरकारी संस्थाओं ने बहुत कम धन दिया था, फिर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अब इस देश में ऐसे अनेक स्थान नहीं हैं जहां ३६ प्रतिशत की दर लागू हो। मेरे अपने राज्य में, उधार लेने वालों को ६-१/४ प्रतिशत की दर पर सहकारी संस्था से ऋण मिलता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यहां इस विधेयक में एक उपबन्ध है जिससे किसान को उचित मूल्य मिल सकेगा और न केवल वह ऋण चुका सकेगा बल्कि इन नई समितियों से कुछ घर भी ले जा सकेगा।

कुछ मित्रों ने, और खास कर डा० जयसूर्य ने इस बात की ओर संकेत किया था कि जब तक अपनी फसलों या खाद्यान्न भंडारों पर ग्रामीण जनता को ऋण दिलाने की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उनके लिये साधारण ग्रामीण ऋणदाता के पास न जाना और गोदाम में जाना बहुत कठिन होगा। अतः सामान्य विचार यह है कि सहकारी ऋण संस्थायें ऋण देंगी और विपणन संस्थाओं द्वारा खाद्यान्न की बिक्री हो जाने पर, सहकारी ऋण संस्था का ऋण चुका दिया जायेगा और शेष किसान को दे दिया जायेगा।

कुछ मित्रों ने यह पूछा है कि इस देश में सात लाख गांवों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा क्या इस पर विचार किया गया है। मुझे स्वतः इस विषय में संदेह था किन्तु अभी-अभी सामुदायिक परियोजना क्षेत्र के संचालक श्री डे से इस बारे में चर्चा के दौरान में मेरी यह धारणा हुई कि ६ से ७ वर्ष की अवधि में सारा देश सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के अन्तर्गत आ जायेगा। ये योजनायें और सेवा खंड अपने क्षेत्रों में सहकारी समितियां संगठित कर रही हैं जो सेन्ट्रल बैंक से सम्बद्ध हो रहा है और सैंट्रल बैंक राज्य बैंक से सम्बद्ध है। इस प्रकार संपूर्ण देश में संगठन का जाल फैलाया जा रहा है। हम यहां तक तो सफल हुए हैं यह एक विचारणीय विषय है।

अब यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये कि क्या हमें यह काम ऊपरी सतह से शुरू करना चाहिये था अथवा कि निचली सतह से। मैं अपने मित्रों से पूछता हूं कि वास्तव में पहले प्राथमिक विपणन संस्थाएं, फिर तालुक ग्रामीण संस्थाएं, फिर ज़िला ग्रामीण संस्थाएं, तब प्रांतीय ग्रामीण संस्थाएं और तब केन्द्रीय संस्था संगठित करने में कितना समय लगेगा, क्या हमने उस पर विचार किया है ? यद्यपि यह सिद्धान्त अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि नींव मजबूत बनाकर नीचे से इमारत शुरू कर और उसके ऊपर ढांचा खड़ा करना अधिक अच्छा है फिर भी हमारी स्थिति यहां अलग है। यदि यहां प्रारम्भ में केन्द्रीय संगठन न हो और ५,१० या २५ करोड़ रुपये देने के लिये रक्षित बैंक या केन्द्रीय सरकार न हो तो उस स्तर तक पहुंचना कठिन होगा। लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में यह निश्चित है कि एक बार ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार होने पर, प्राथमिक इकाई केन्द्रीय इकाई से अधिक महत्वपूर्ण हो जायगी।

मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि सहकारी आंदोलन का सम्पूर्ण आधार जनता की सहानुभूति और समर्थन है। इसलिये संपूर्ण गैर-सरकारी दुनिया का इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्राप्त करना आवश्यक है। मेरी धारणा थी कि विधेयक में ही गैर-सरकारी लोगों के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाकी जाती। अन्त में मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वे गैर-सरकारी लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि वे किसी दिन उनसे और उनके विभाग से यह काम अपने हाथ में ले लें। यही उद्देश्य होना चाहिये और इसलिये वे इस पहलू की ओर ध्यान दें क्योंकि नाम निर्देशन सरकार के हाथ में है। अतः यही वांछनीय है कि वे यथासंभव गैर-सरकारी लोगों को प्रशिक्षित करे और इसमें संदेह नहीं कि उन्हें संपूर्ण सहकारी आंदोलन का समर्थन प्राप्त होगा।

†**श्री पुन्नूस** : प्राय: प्रत्येक व्यक्ति ने इस विधेयक के उद्देश्यों की प्रशंसा की है । यह कहा गया है कि यह विधेयक ठीक दिशा में एक कार्यवाही है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह लक्ष्य तक पहुंचा दे । जैसे कि इस विधेयक से तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित इसी प्रकार के विधेयकों द्वारा, केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से संगठन बनाये जाते हैं किन्तु जब तक अन्य शर्तें पूरी नहीं की जातीं तब तक वे निरर्थक ही रहते हैं । हम ये संगठन बनाते हैं किन्तु किसान को महाजन के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना सस्ते ऋण के उसका काम नहीं चल सकता । राज्य सरकारों ने ऋण देने की व्यवस्था की है किन्तु जिनके पास ज़मीनें हैं केवल उन्हीं लोगों को ऋण मिल सकता है । इसलिये फसल के आधार पर ही ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिये । तभी साधारण किसान को कुछ लाभ होगा । इस सहकारिता आंदोलन और गोदाम सुविधाओं के साथ-साथ फसल के आधार पर सस्ते ऋण की व्यवस्था भी होनी चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यदि सरकार इस विधेयक को सफल बनाना चाहती है तो सरकार को एकाधिकार व्यापारी के प्रति कड़ा रुख लेना चाहिये । पहले सहकारिता आंदोलन की असफलता का एक मुख्य कारण यह था कि केवल ऋण सुविधाओं पर ही जोर दिया गया था । हमारे राज्य में बहु प्रयोजनीय समितियां थीं किन्तु उनका इतिहास बहुत उत्साहजनक नहीं है । अब हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना होगा कि इस आंदोलन संबन्धी पुराने विचार दूर हो जायें । आज की स्थिति यह है कि बड़े-बड़े महाजन, व्यापारी और मुनाफेखोर लोगों ने ही सहकारी संस्था को अपने हाथ में ले लिया है जैसा कि नारियल जटा उत्पादक सहकारी संस्थायें हैं। हमें ऐसी बातों के प्रति काफ़ी सावधान रहना होगा । मैं यह देखता हूं कि बोर्ड में सहकारी संस्थाओं के केवल दो-चार ही प्रतिनिधि होते हैं और गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व बहुत ही थोड़ा है । आशा है कि समझदार लोग उसमें नियुक्त किये जायेंगे ।

†**श्री विभूति मिश्र** (सारन व चम्पारन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसमें जो बातें लिखी गई हैं, वे भी बहुत अच्छी और स्वागत योग्य बातें हैं । लेकिन हमें देखना तो यह है कि उन बातों पर वास्तव में अमल किस प्रकार होता है । अभी हमारे रायबहादुर साहब ने कोआपरेटिव्स् का स्वागत किया लेकिन मैं समझता हूं कि जिस कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में उन्होंने कहा है, अगर वे लोग गांवों में जायें तो मैं समझता हूं कि किसान लोग उनको देख कर दूर भाग जायेंगे । मैं समझता हूं कि अब तक कोआपरेटिव सोसाइटियों का जैसा काम रहा है, उस काम को अगर गांवों में जाकर कहा जाय तो गांव वाले उस कोआपरेटिव सोसाइटी से भाग जायेंगे ।

यह जो हमारे फूड मिनिस्टर साहब इस बिल को ला रहे हैं, तो इस बिल को लाने के साथ जो आदमी इसमें काम करने वाले हों, उनको पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि आज तो जनता राज है लेकिन यह जो आप का पुलिस का महकमा है या कचहरी का महकमा है और दूसरे सरकारी विभाग हैं, आज कितने लोग उन विभागों के कर्मचारियों से खुश रहते हैं ? इस डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं, वे कर्मचारीगण हमारी जनता को इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे बने उनको चबा जायें और जितना पैसा घसीट सकें उन से घसीटा जाये । हमने देखा है कि सरकारी डिपार्टमेंट वाले को तेजी के ज़माने में जब किसान गल्ला देने आते थे तो बजाय चार मन के साढ़े चार मन तौला लेते थे लेकिन वही गल्ला अगर किसान को दिया जाता था तो चार मन के बजाय उसको पौने चार मन ही मिलता था । भले ही सरकार इस काम को साल या छै महीने बाद शुरू करे, वह अच्छा है लेकिन सरकार इसमें जो आदमी रखे उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने के पश्चात् रक्खे क्योंकि यह कोआपरेटिव का काम ठीक तरह चलाने की जिम्मेदारी उन पर ही आयेगी और इसलिये हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो आदमी इसमें रखे जायें, उनका आचरण ठीक हो और वह समझें कि हमको इसमें ईमानदारी से काम करना है

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री विभूति मिश्र]

और ऐसा होने पर ही यह डिपार्टमेंट अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है नहीं तो पुराना कोआपरेटिव डिपार्टमेंट जिस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में चलता था कि कोआपरेटिव्स् के द्वारा अंग्रेज़ लोग हिन्दुस्तान में धर्म प्रचार का कार्य करवाया करते थे, वही हालत इसकी हो जायगी और वह अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो सकेगा। आज हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो गया है और देश में प्रजातन्त्र स्थापित हो गया है इसलिये यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग रखे जायें जो सच्चे देशभक्त होने के साथ-साथ ईमानदार और आचरण वाले हों और जो अपने को जनता का शासक नहीं बल्कि सेवक समझें।

इस विधेयक में जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन को बढ़ाने की बात लिखी गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है और हमें गम्भीरतापूर्वक इस बात पर विचार करना है कि गांवों में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कहा है कि हमें १५ फीसदी उत्पादन बढ़ाना है लेकिन अख़बार में देखते हैं कि ४० फीसदी उत्पादन बढ़ाना है तो मैं आपसे कहता हूं कि किसानों की जो आवश्यक मांगें हैं, जैसे फर्टिलाइज़र्स (उर्वरक) और एग्रीक्लचरल इम्पलीमेंट्स (खेती के औज़ार) वगैरह की, उनको पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? मैं आप से पूछता हूं कि जब पिछली दफ़ा बाढ़ आई थी और स्वर्गीय क़िदवाई साहब से किसानों को बीज देने की प्रार्थना की गई थी और उन्होंने बीज देने की कोशिश भी की लेकिन पंजाब में किसानों को बीज नहीं मिल पाये और किसानों की मांग पूरी नहीं कर सके, तो आप कितने ही अच्छे मंसूबे क्यों न बनायें जब तक वह ठीक तरह से अमल में नहीं आते, तब तक आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। फूड एंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री को इस में अहर्निश काम करना होगा, तभी यह काम हो पायेगा।

५ म० प०

दूसरी बात यह है कि केन्द्र से लेकर सूबे तक जितने बोर्ड बनते हैं, उन सब में आफिशलडम चलती है, मैं पूछता हूं, क्या गांव का कोई किसान हिम्मत करेगा इस बोर्ड के अफसरों के पास आने की ? कोई नहीं आ सकेगा। इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि जहां तक हो सके इस बोर्ड को नान-आफिशल बनाया जाय। इस में सरकार के आदमी भी रहें, लेकिन जहां तक हो सके सरकारी आदमियों की संख्या कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा नान-आफिशल हों। जब इस में नान-आफिशल्स रहेंगे तो लोगों को उत्साह होगा। इसलिये इस बोर्ड को नीचे से बनाया जाय न कि ऊपर से। देश की स्वाधीनता के लिये गांधी जी ने कहा था कि उसे नीचे से पनपना चाहिये। अभी हमारे मंत्री जी ने चाइना की बात बताई। कोई-कोई भाई हमारे रूस की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आप को एशिया और चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप को जाना है तो हिन्दुस्तान के गांवों में जाइये और वहां देखिये कि किसानों की क्या प्राब्लेम्स हैं। आप किसानों से मिल कर देख पायेंगे कि उनकी हालत क्या है। आज किसान की हालत यह है कि उसके पास बीज नहीं है, बैल नहीं है, उस के पास फर्टिलाइजर नहीं है, उस के पास पैसा नहीं है, यह सारी चीजें आसानी से उस के पास पहुंच जायें, इस की ज़रूरत है, क्या आप उसे पहुंचा देंगे? मैं नहीं समझता कि इस कानून के बनने के बाद यह चीज़ें पहुंच जायेंगी। अभी यहां पर श्री कृष्ण चन्द्र ने कोआपरेटिव के काम के बारे में जो कुछ कहा वह अक्षरशः सत्य कहा। यहां कोआपरेटिव का कोई काम ठीक से नहीं चलता है। हमारे राय बहादुर कोआपरेटिव में हैं, मैं एक बार खाद के लिये वहां गया। वहां मुझको चार जगह दौड़ना पड़ा, जब पांचवीं जगह में गया तो मैंने सोचा कि खाद मुझे नहीं मिलेगी, और मैं वापस आ गया। यह तो आप का डिपार्टमेंट है। इसीलिये गांधी जी ने कहा था कि जहां तक हो सके नान-आफिशल आर्गेनाइज़ेशन्स होनी चाहियें। मैं समझता हूं कि इस देश का सारा काम गांधियन मेथड से होना चाहिये, और गांधियन मेथड यह है कि जहां तक हो सके नान-आफिशल आर्गेनाइजेशन देश में होनी चाहिये। उन को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिये। आज नीचे से ले कर ऊपर तक आफिशलडम है और इसीलिये यहां पर कोई काम नहीं हो पाता है। ग़रीब किसान को, जिस के

पास खाना नहीं है, अफसर लोग नहीं समझते कि वह हमारे देश के आदमी हैं, लेकिन उन से कौन पूछे। बहुत से हमारे साथी, जिन में से कोई एम० पी० है, कोई एम० एल० ए० है, जिन्होंने स्वराज्य के लिये अपनी जानें दी, और अनेकों कष्ट सहे, जब अफसरों के पास जाते हैं तो वह नहीं समझते हैं कि ये लोग भी इसी देश के आदमी हैं। इसलिये मैं आप से कहूंगा और मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप का यह काम बहुत महत्वपूर्ण है और स्टाफ के जो आदमी हैं उन्हें ग़रीब किसानों के प्रति सहानुभूति चाहिये। आप को उन से कस कर काम लेना चाहिये और उन को अनुभव कराना चाहिये, उन को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दिलानी चाहिये।

एक आप का केन मार्केटिंग यूनियन है, साहब केन मार्केटिंग यूनियन को लोग गन्ना दे देते हैं। लेकिन गन्ना देने के बाद उन को एक-एक और दो-दो बरस तक पैसे के लिये दौड़ना पड़ता है। जो उसके सेक्रेटरी हैं, वह पैसा नहीं देते हैं, पैसा खा जाते हैं, किसी की कोई बात मानने वाला वहां पर नहीं है। आप बताइये इस का क्या इन्ताज़ाम होगा। इसलिये मैं कहूंगा कि जब हमारे फ़ूड ऐंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर साहब यह डिपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं, और वह काम भी बहुत बड़ा करने जा रहा है, तो आप अपने इस डिपार्डमेंट को ज़रा सोच कर चलावें जिस में कि आप का काम ठीक से चले। आप को इस में सुधार करना होगा। मैं तो यह चाहता था कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाता और वहां पर इस पर पूरा विचार होता, उसके बाद यहां आता। क्योंकि आप इस पर ३०, ३५ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं और यह ७० फीसदी आदमियों के जीवन मरण का सवाल है। लेकिन आप तो इस को ८ और ९ घंटों में पास करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता यह कहां तक उचित है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आप किसान के क्रेडिट की बात को देखिये, मान लीजिये, किसान के घर में कोई काम आ गया, उस का कोई बच्चा मर गया, या घर में शादी विवाह पड़ गई, उस समय आप ने उस को कर्ज दे दिया। वह पैसा ले लेता है और खर्च कर देता है, फिर जब उस के वसूल करने का समय आता है तो किसान को अपने खेत को बेचना पड़ता है। इसलिये खेत में लगाने के लिये, उत्पादक कामों के लिये ही आप को उसे कर्जा देना चाहिये। जब तक आप उत्पादक कामों के लिये ही पैसा नहीं देंगे, तब तक इस से उस का कोई लाभ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन किसी के मरने पर वह वहां जायगा, क्या वह बाहर साहूकार के पास जाये ?

श्री विभूति मिश्र : बात असल यह है कि किसान के पास जब पैसा होता है तो वह बहुत जल्दी उस को खर्च कर देता है। इसलिये केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही कर्ज उस को दिया जाना चाहिये, अनुत्पादक कार्यों के लिये नहीं।

आप वेअरहाउसेज़ बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी आप को उनके लिये बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो देश में बड़े-बड़े महाजन हैं, उनके घर आप किराये पर ले लीजिये। दो चार साल आप इस काम का अनुभव कीजिये। अनुभव के बाद अगर आप यह देखें कि आप को फायदा है तब आप बड़े-बड़े गोदाम बनाइये। अगर अभी से आप बड़े-बड़े गोदाम बना देंगे तो आखिर उनका पैसा भी तो आप उन्हीं किसानों से ही लेंगे।

चौ० रणवीर सिंह : गोदामों की रिक्विज़िशन कर लीजिये।

श्री विभूति मिश्र : जहां-जहां आप को गोदाम मिल जायें, आप किराये पर ले लीजिये। कुछ दिन बाद आप को मालूम होगा कि इससे आप को क्या लाभ होंगे।

साथ ही मुझे यह कहना है कि जिस आदमी को आप रखें उस को ज्यादा तन्ख्वाह न दें। क्योंकि आखिर इस का खर्च भी तो आप किसानों से ही चार्ज करेंगे।

एक माननीय सदस्य : तो वह चोरी करने लगेंगे।

श्री विभूति मिश्र : चोरी नहीं करेंगे। गांधी जी कहते थे कि जो हमारे खादी भंडार में काम करने वाले लोग हैं वही हमारे आई० सी० एस० हैं और वह बड़ी खूबी से खादी भंडारों को चलाते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि इनमें काम करने वाले लोगों को कम तन्ख्वाह दी जाय। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उन को पूरी ईमानदारी की ट्रेनिंग हो। वह समझें कि हम जिनका काम करते हैं वह हमारे देश के भाई हैं और हम उनकी सेवा कर के देश का काम करते हैं। और आप बड़े-बड़े वेतन पाने वाले आदमियों को रखेंगे तो डिपार्टमेंट का सारा पैसा उन की तन्ख्वाहों पर चला जायेगा और किसानों का पूरा लाभ नहीं हो सकेगा।

इसी तरह से मै वेअरहाउसेज़ के बारे में कहना चाहता हूं। जो सरकारी महकमे के आदमी होते हैं उनकी हालत मैं आप से क्या बताऊं। किसी ज़माने में हमारे यहां एक अफीम का डिपार्टमेंट था। उसमें किसान अपनी अफीम ले जाकर तौलाता था। जो अफीम अव्वल दर्जे की रहा करती थी उसको घूस ले कर दोयम दर्जे का कर दिया जाता था और जो दोयम दर्जे की हुआ करती थी उस को अव्वल दर्जे का कर दिया जाता था। यह बहुत पुरानी बात हो गई है। आज भी यह सरकारी महकमा खुलने जा रहा है। इसलिये किसान जो अपना गेहूं और धान वहां ले जायेंगे उन को, सरकारी महकमे के आदमियों के ऊपर निर्भर करेगा कि वह जैसा चाहे कर दें। आज भी इस ज़माने में कितनी घूस चलती है यह आप चल कर देखिये। हमारे मंत्री महोदय तो खुद वकील हैं, वह जानते होंगे कि किस तरह से सब जगहों पर घूस चला करती है। इसलिये जो डिपार्टमेंट खुले उसमें ख्याल रखा जाय कि किसान जो अपना गल्ला ले जाय उस के ऊपर उस की ठीक क्वालिटी लिखी जाय और उसके ऊपर उसको पैसा मिले।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है वह इस मिसाल को साबित करता है कि देर आयद दुरुस्त आयद। इस को जल्दी आना चाहिये था, लेकिन, खैर, देर में आया। अगर यह वक्त से आया होता तो ज्यादा अच्छा होता। यह बड़ी खुशी की बात है कि हम अब कोआपरेटिव मूवमेंट को उस का असली दर्जा देने और उस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि अब जब कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और कोआपरेटिव मूवमेंट (सहकारिता आन्दोलन) को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कोआपरेशन के उसूल पर काम करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ यह ज़रूरी है कि हम आफिशल (पदाधिकारी) और नान-आफिशल (गैर-पदाधिकारी) की बात को दूसरे नुक्ते नज़र से सोचें। महात्मा जी के ज़माने में, या पिछले ज़माने में बात दूसरी थी, लेकिन अब आफिशल और नान-आफिशल का भेद मिटाना चाहिये। इस में किसी को इन्कार नहीं कि कोआपरेटिव का जो बुनियादी उसूल है वह परस्पर विश्वास है, अगर हम परस्पर अविश्वास को ही ले कर चलेंगे तो हम इस कोआपरेटिव मूवमेंट को कामयाब नहीं बना पायेंगे।

जो हमारे अफसर हैं वे हमारे टैक्नीकल हैंडस (टैक्नीकल काम जानने वाले) हैं उनकी मदद के वगैर हम को कोओपरेटिव मूवमेंट के सिलसिले में पूरी मालूमात हासिल नहीं हो सकती हैं। लेकिन उस के साथ ही साथ यह भी ठीक है कि आफिशल तबके में नान-आफिशल तबके के प्रति अविश्वास की भावना है और नान-आफिशल तबके में आफिशल तबके के प्रति अविश्वास की भावना है। इसको हटाना चाहिये। खुद मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में आल-इंडिया कोओपरेटिव यूनियन का ज़िक्र किया और उसके काम को सराहा और उसकी बहुतसी रिकोमंडेशंस को माना है। लेकिन जहां पर बोर्ड बनाने की बात आती है उसमें मैं यह नहीं पाता हूं कि आल-इंडिया कोओप्रेटिव यूनियन के रिप्रिजेंटेटिव को कोई स्थान उसमें दिया गया है। अगर वह किसी दूसरे को नामिनेट करते हैं और इसका कोई नुमाइंदा नहीं लेते हैं तो इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। इसमें से किसी नुमाइन्दे को न लेकर एक प्रकार की अविश्वास की भावना की झलक दिखाई देती है। जब एक नान-आफिशल बाडी मदद करती है तो हमें उससे मदद लेने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये। इस वास्ते जब मैं इस चीज़ को

देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम ने यहां पर आ कर गोता खाया है। मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को सुधारने की कोशिश की जाये। जब क्लाज़ बाई क्लाज़ डिसकशन होगा उस वक्त भी मैं इस पर अपने विचार पेश करूंगा लेकिन इस वक्त तो मैं केवल इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन जो कि नान-आफिशल बॉडी है और जिसको आप भी तसलीम करते हैं और जिस के बारे में आप यह भी कहते हैं कि यह एक अच्छा काम कर रही है, उसका नुमाइंदा भी ज़रूर इस बोर्ड पर लिया जाये।

मेरा विचार है कि कोआपरेटिव मूवमेंट इस देश में तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक कि स्टेटस तथा सैंट्रल गवर्नमेंट में कोआर्डिनेशन न हो और क्या वह कोआर्डिनेशन हो सकता है इसमें मुझे शक है। यह तभी हो सकता है अगर हम कोआपरेशन की आइटम को कनकरेंट लिस्ट में रखें। आज आपने लाखों और करोड़ों रुपया स्टेटस को दिया है लेकिन उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जिन स्टेट्स ने अच्छा काम किया है उनमें बम्बई, मद्रास, आंध्र, मध्यप्रदेश और पंजाब के नाम उल्लेखनीय हैं। लेकिन जब हम दूसरी स्टेट्स की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई कामयाबी न मिली हो। कोआपरेशन के मामले में जो कंट्रेडिक्टरी चीज़ है वह प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर है। दूसरे पांच साला प्लान में आपने पब्लिक सैक्टर (सरकारी क्षेत्र) को भी रखा है और प्राइवेट सैक्टर (ग़ैर-सरकारी क्षेत्र) को भी रखा है। मैं चाहता हूं कि यह जो कोआपरेशन का सैक्टर है इसे हमें खास तौर से पंचवर्षीय प्लान में रखना चाहिये था और जब ऐसा होता तभी हम इसके ऊपर अच्छा खासा ज़ोर दे सकते थे। आज भी हमें इसकी तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिये। मैं आपको एक मिसाल बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से आफिशल लोग जो हैं वे इस मूवमेंट की जड़ को खोदते हैं। एक हमारे यहां कोआपरेटिव सोसाइटी है जो कि खिलोने बनाने का काम करती है। गवर्नमेंट ने उसे मदद दी, रुपया दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ एक आदमी जो उस सोसाइटी के मुकाबले में वहां पर खिलोने बनाता था उसको भी गवर्नमेंट आफिशल्स ने रुपया उधार दे दिया, उसको हर तरह की मदद दे दी। इसका नतीजा यह हुआ कि वह आदमी खिलोने बानाने की मशीन भी ले आया और इसके विपरीत जो वह कोआपरेटिव सोसाइटी थी वह मशीन नहीं ला सकी। ऐसी चीज़ों की तरफ हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिये। इस तरह रियासतों में प्राइवेट लोगों को जो कर्ज़ देने वाले हैं, उन पर किसी न किसी तरह से असर डाल कर कर्ज़ ले लिया जाता है और बाद में किसी कोआपरेटिव सोसाइटी के मुकाबले में वे लोग काम शुरू कर देते हैं। यह चीज़ तभी खत्म हो सकती है जब हम कोआपरेशन को कन्कर्रेंट लिस्ट (समवर्ती सूची) में रख दें और इस तरह की चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि हमें न केवल बोर्ड के एकाउंट्स को ही आडिट करना चाहिये बल्कि स्टेट्स में जितनी भी कारपोरेशंस बनें उनके एकाउंटस को भी आडिट करके उसकी रिपोर्ट हमें यहां पेश करनी चाहिये। इससे यह पता चलेगा कि ३० करोड़ के करीब जो हम रुपया खर्च करने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल ठीक हो रहा है या नहीं और साथ ही साथ उसके ऊपर हमारा अधिकार भी रह सकेगा।

अब जो कर्जे आप काश्तकार को देना चाहते हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब तक आप काश्तकार को हर तरह से मदद नहीं देते तब तक वह उठ नहीं सकता है। आज वह कर्ज़े के नीचे दबा हुआ है जब तक उसको सस्ती दर पर कर्ज़ा नहीं दिया जाता वह अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता है। अब तक पहले पांच साला प्लान के दौरान में आपने काश्तकार को जो कर्ज़ दिया है, पम्पस के लिये, ट्रेक्टराइज़ेशन के लिये या फरटिलाइजर्स के लिये, वह कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये से नहीं दिया है। यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऐसे कर्ज़ेजात कोआपरेटिव के ज़रिये दिये जाने की सिफारिश की थी किन्तु एग्रिकलचर मिनिस्टरी ने इसको तसलीम नहीं किया, इस पर अम्ल नहीं किया। खैर जो हो गया सो हो गया। अब भी जो आप प्लान बना रहे हैं, जो स्कीम आप बना रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इन कर्ज़ों को आथोरिटीज़ के ज़रिये से बंटवायें। मैं यह भी चाहता हूं कि इन कर्ज़ों को ईमानदारी से बांटा जाये

[पंडित सी० एन० मालवीय]

और जो डिज़र्व करते हैं उन्हीं को ये कर्ज़े को दिये जायें। आज देखने में यह आता है कि जो जान पहचान वाले लोग होते हैं उन को तो कर्ज़े मिल जाते हैं लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं। आज हमारे काश्तकार लोग कई तरफ से कर्ज़ों से घिरे हुए हैं। उसके ऊपर ट्रेक्टर का कर्जा है, फरटिलाइज़र (उर्वरक) का कर्ज़ा है, सीड्स (बीजों) का कर्जा है, पम्प का कर्ज़ा है और इसी तरह से दूसरे कर्जे हैं। आज भी मनीलैंडर के कर्जे के नीचे वह दबा हुआ है। इन सब चीज़ों का हमें कोई इलाज ढूंढना चाहिये और आगे के लिये अगर हम चाहते हैं कि कोओपरेटिव मूवमेंट हमारे यहां काययाब हो तो हमें इसे ईमानदारी से चलाना चाहिये और स्टेट्स को पूरी तरह से हमारे साथ कोओपरेट करना चाहिये।

वेयरहाउसिंग की जो बात कही गई है, इसको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ मानता हूं। मैं उन मेम्बरों का समर्थन करता हूं जिन्होंने बने हुए वेयर हाउसेस को इस्तेमाल करने की बात कही है। लेकिन मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि फैशन के तौर पर ही हमें रुपया नहीं खर्च कर देना चाहिये। आफिसर लोग यह देखते हैं कि रुपया लैप्स हो रहा है और चूंकि इसे खर्च करना ही है, इस वास्ते खर्च कर दिया जाता है और पानी की तरह बहा दिया जाता है। इस तरह रुपया खर्च करने से उसकी कोई युटिलिटी नहीं होती है और वह सिर्फ खर्च करने की गर्ज़ से ही खर्च कर दिया जाता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से रुपये की निगरानी करें और देखें कि यह फिज़ूल खर्च न होने पावे।

साथ ही साथ हमारा जो इंडिजेनस सिस्टम (देशी तरीका) ग्रेन स्टोर करने का है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। इस सिस्टम में इस तरीके से गल्ला स्टोर किया जाता है कि सात-सात बरस तक वह अच्छी हालत में रहता है। मैं भोपाल के बारे में ही अपना अनुभव आपको बतलाता हूं वहां पर मैंने देखा है कि वहां पर बंडे लोग इस खूबी से गल्ला स्टोर करते हैं कि वह कई बरसों तक खराब नहीं होता है और अच्छी हालत में पड़ा रहता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस इंडिजेनस सिस्टम (देशी तरीका) की तरफ भी ध्यान दिया जाये और किफायतशारी के साथ रुपया खर्च किया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं क्योंकि इसी विधेयक पर सहकारी आन्दोलन की सफलता आधारित है। मंत्री जी तथा उपमंत्री जी दोनों को बधाई देते हुए मैं कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे यह सिद्ध हो सकेगा कि कृषि श्रमिकों का मंत्रालय ने पर्याप्त ध्यान नहीं रखा है। सच पूछिये तो कृषि श्रमिक ही वास्तविक उत्पादक हैं। भूमि, जमींदार तथा अन्य वस्तुयें हो सकते हैं परन्तु कमकर ही बीज़ बोयेगा तथा उसकी देखभाल करके उत्पादन करेगा। परन्तु लाभ ज़मीदारों को ही हो रहा है। कुछ दिन पूर्व कृषि मंत्रालय ने एक गोष्ठी की थी परन्तु कृषि श्रमिकों का एक भी प्रतिनिधि उसमें नहीं था। यह उचित नहीं है।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा तथा उपमंत्री ने भी बताया कि मैसूर तथा त्रावणकोर-कोचीन में खाद्यान्नों के मूल्य ६० प्रतिशत बढ़ गये हैं। इसके क्या कारण हैं। एक तो यही हो सकता है कि खाद्यान्नों की कमी है तथा दूसरे अधिक खाद्यान्न हैं परन्तु वितरण ठीक नहीं है। इसकी हानि जन साधारण को नहीं उठानी चाहिये।

यदि भूमि विधान, समानरूपी हो तो खेतिहरों को लाभ हो सकता है। यद्यपि बिक्री कर राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्रीय सरकार ने संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया क्योंकि वह कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां दूर करना चाहती थी। इसी प्रकार सरकार को भूमि सुधार समानरूपी रखने के लिये संविधान का और संशोधन करना चाहिये। मंत्री जब किसानों की गोष्ठियों में जाते हैं तब उन्हें ज़मीदारों को बताना चाहिये कि वह कृषि श्रमिकों के प्रति उदार बनें। परन्तु होता विपरीत है क्योंकि निम्नतम मजूरी निर्धारित न होने के कारण वह खेतिहर बहुत कम मजूरी पाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस विधेयक में भी, बोर्ड में कृषि श्रमिकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। काफी बोर्ड, चाय, बोर्ड, अथवा रबड़ बोर्ड सभी में श्रम का प्रतिनिधित्व है परन्तु इस बोर्ड में ऐसी व्यवस्था नहीं रखी है। जब संविधान में सभी बराबर हैं तब कृषि श्रमिक को बराबर क्यों न समझा जाये। कृषि श्रमिकों पर केवल इस कारण ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वह असंगठित हैं। यदि अन्य श्रमिकों के समान वह भी अपना संगठन कर लें तो उनकी बात भी सुनी जाया करे। इसलिये माननीय मंत्री को इनके साथ न्याय करना चाहिये तथा २० में से चार अथवा पांच पद इनको देने चाहिये। इन शब्दों में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

पंडित डी० एन० तिवारी : (सारन—दक्षिण) : उपाध्यक्ष जी, आज की बहस के अन्तिम समय में आप ने मुझे बोलने का जो चांस (अवसर) दिया है, उसके लिये मैं आभारी हूं। इस बिल पर बोलने से पहले मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो पहल बोलने वाले होते हैं, उन को बहुत अधिक समय मिलता है, लेकिन जो पीछे बोलते हैं, उन को बहुत कम समय मिलता है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हम को बोलने में दिक्कत हो जाती है।

इस बिल को यहां पर लाने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और इस बिल का स्वागत करता हूं—सिर्फ इसलिये नहीं कि यह एक स्टेप इन दि राइट डायरेक्शन है, बल्कि इस लिये भी कि इस में जो प्राविजन्ज़ हैं, उन से, जो बहुत गरीब हैं, उन की भलाई होने वाली नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास की भलाई हो सकती है। ऐसे समय में जब कि चारों ओर से मिडिल क्लास को खत्म करने के लिये उस पर वार हो रहे हैं और कानून बन रहे हैं, मंत्री महोदय ने यह बिल ला कर मिडिल क्लास के लोगों की मदद की है और इस के लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

इस बिल में दो बातों कोतरजीह दी गई है—एक वेयर हाउस अर्थात् गोदाम बनाना और दूसरी कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी कायम करना। जहां तक वेयरहाउसिज़ का सवाल है, मैं उन से कहूंगा कि वेयरहाउसिज़ शहरों में न बना कर देहात में बनाये जायें। जैसा कि मेरे मित्र श्री विभूति मिश्र ने कहा है, शहरों में तो बड़े बड़े मकानात मिलेंगे, जिन को किराये पर लिया जा सकता है और उन में गोदाम बनाये जा सकते हैं, लेकिन देहात में ऐसे मकानात नहीं होते। वहां सिर्फ गृहस्थों के मकान होते हैं, जहां गल्ले को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है और जहां गल्ला रखने से काफी नुकसान होता है। इसलिये देहात में ही गोदाम बनाये जायें, ताकि अगर गोदाम बनाने पर रुपया खर्च हो, तो उनसे अधिक से अधिक फायदा तो हो सके।

जैसा कि इस बिल में प्राविजन है, एक सौ गोदाम सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सैंट्रल प्लेसिज़ में बनाये जायेंगे। और वे सैंट्रल प्लेसिज़ कौन सी हैं? वे बड़े-बड़े शहर होंगे जैसे कलकत्ता, बम्बई दिल्ली और पटना वगैरह, जहां लोगों को हर एक सुविधा प्राप्त है। लेकिन जो २५० गोदाम स्टेट गवर्नमेंटस की तरफ से बनेंगे, गरीब लोग शायद उनसे भी विशेष लाभ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि उन को कहां गल्ला लाने में भी डिफ़ीकल्टी (कठिनाई) होगी।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : वहां चहे नहीं खायेंगे? वह ऐसे होने चाहियें जिन में चूहे घुस न सकें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का समय सीमित है अत: उन्हें विवाद में नहीं पड़ना चाहिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : अभी हमारे लायक दोस्त ने कहा कि आप चूहों से कैसे बचायेंगे। तो क्या शहरों में चूहे नहीं होते? केवल शहरों में ही चूहे नहीं होते देहातों में भी चूहे होते हैं। शहरों में तो मोटे-मोटे चूहे होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

चौ० रणवीर सिंह : शहर में तो आदमी भी चूहे बन जाते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूहे किस प्रकार के होते हैं यह विषय नहीं हैं। माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखना चाहिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : आप जो बिल लाये हैं उसका मक़सद यह है कि आप ग़रीबों की भलाई कर सकें। आप जानते हैं कि ग़रीब किसानों में अपना गल्ला रोककर रखने की शक्ति नहीं होती और न वह अपने गल्ले को दूर ले जा सकते हैं। अगर आप गोदाम दूर बनावेंगे तो परिणाम यह होगा कि बीच के दलाल किसानों के गल्ले को गोदामों में भर देंगे और लाभ उठावेंगे और आप जो मदद किसानों को देना चाहते हैं वह उनको नहीं मिल सकेगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इन गोदामों को देहातों में खोलें।

लेकिन केवल गोदाम खोलने से ही ग़रीब किसानों का मसला हल नहीं होगा। आप को उन्हें क्रेडिट भी देना होगा, केवल उसी वक्त नहीं जब कि उनको गल्ला बेचने की जरूरत होती है, बल्कि उस वक्त भी जब कि उन को खेत में बीज या खाद डालने के लिये रुपये की ज़रूरत होती है। उसके बदले में आप किसानों से कुछ गल्ला ले सकते हैं या मामुली सूद के साथ अपना रुपया ही वापस ले सकते हैं।

कोआपरेटिव के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं जानता हूं कि इस देश में और खासकर हमारे सूबे में कोआपरेटिव का अनुभव अच्छा नहीं है। जिस तरह से यह काम चलाया गया है उससे लोगों को दिक्कतें अधिक हो गई हैं। लेकिन हम को तो इस को बनाना है और इस तरह आगे ले चलना है जिस से कि लोगों को फायदा हो। इससे बचने से काम नहीं चलेगा। बहुत से लोगों ने आफिशियलस् की आलोचना की है बहुतों ने कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। लेकिन इस विभाग में भी तो हमारे ही भाई काम करते हैं। मैं उनकी तरफ से नाउम्मीद नहीं हूं। मैं समझता हूं कि अगर कुछ सुधार के साथ इस काम को चलाया जाये तो वे लोग अच्छा काम कर सकते हैं इसलिये मैं कहूंगा कि कोओपरेटिव को कुछ सुधार के साथ चलाया जाये।

एक बात मैं यह देखता हूं कि जो बोर्ड बनाया जायेगा उसमें आफिशियल्स की संख्या बहुत ज्यादा है इसकी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। मैं चाहता हूं कि आफिशियल्स केवल एक्सपर्ट्स की तरह रहें और उनकी मनोवृत्ति बदली जाये। हमको ऑफिशियल्स की मनोवृत्ति बदलनी चाहिये। कोई भी आदमी बेहाल होगा वह आफिशियल होगा और अगर हम सारे आफिशियल्स को निकाल देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। इसलिये हमको चाहिये कि हम उनको रखें लेकिन उनकी मनोवृत्ति को बदल दें। वे एक्सपर्ट के तरीके से रह सकते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे नॉन आफिशियल्स पर विश्वास रखें और उनको अधिक संख्या में बोर्ड में लावें और आफिशियल्स उनको गाइड करें। यह नहीं होना चाहिये कि प्रिपांडरेटिंग मेजारिटी आफिशियल्स की रख दी जाये। मैंने देखा है कि इस बोर्ड में दो तरह के मेम्बर होंगे। पहले तो इसमें यह दिया हुआ है :

"दस सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे"

फिर कहा गया है :

"पांच सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे"

मैं दोनों का फर्क नहीं समझ पाया। दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट नामिनेट करेगी। इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि दस आफिशियल मेम्बर होंगे। इसमें सिर्फ़ यह लिखा है :

---

†मूल अंग्रेजी में।

"दस सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे"

इनमें नॉन आफिशियल्स होंगे या नहीं यह नहीं मालूम होता ।

†**श्री ए० पी० जैन** : केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले ।

पंडित डी० एन० तिवारी : सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप कर सकते हैं तो जरूर उसमें रहेंगे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इसमें यह साफ होना चाहिये कि इन दस मेम्बरों में पार्लियामेंट के मेम्बर भी हो सकते हैं । या यह कर दिया जाये कि इनमें से ५ पार्लियामेंट के मेम्बर होंगे और पांच आफिशियल्स होंगे । अगर ऐसा कर दिया जायेगा तो लोगों को शिकायत नहीं रहेगी । बहुत लोगों ने इस सम्बन्ध में क्रिटिसिज़म किया है और उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको ऐसा कुछ कर देना चाहिये जिसमें कि लोगों को अन्देशा न रहे ।

तीसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वह यह है कि आप इन गोदामों को बनवाने पर इतना रुपया खर्च करने जा रहे हैं, इनको ऐसे स्थानों पर बनवावें ताकि इनमें बाढ़ का पानी न भर जाये और गेहूं को पांच और छः आने मन न बेचना पड़े । कंट्रोल के ज़माने में बहुत से ऐसे गोदाम बनाये गये थे लेकिन बहुतों में गल्ला सड़ गया । इससे बचने के लिये साइंटिफिक ढंग से इन गोदामों को बनाना चाहिये ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस बिल पर जो बहस चल रही है उसको गौर से सुनने से मालूम होता है कि तमाम मेम्बरान दो बातों पर मुत्तफिक हैं, एक तो यह कि यह बिल इस मुल्क के लिये अशद जरूरी है और दूसरे यह कि अगर इसको और पहले लाते तो बेहतर होता । मैं इस बिल को लाने के लिये गवर्नमेंट को बधाई देता हूं । लेकिन एक बात साफ ज़ाहिर है कि ऐसा कोई ही मेम्बर होगा जो इसके इम्पलीमेंटेशन में शक न रखता हो । हम आज कल देख रहे हैं कि हमारे बहुत से डिपार्टमेंट जो कि बहुत ऊंचे ख्यालात को लेकर शुरू किये जाते हैं उनमें उन ख्यालात के इम्पलीमेंटेशन में दिक्कत पेश आती है । मुझे इस बात से शिकायत नहीं है कि इन्सान में एक खुदगरज़ी की कमजोरी है । मुझे उन अफसरों से शिकायत नहीं है जो कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट कर रहे हैं । मुझे खास तौर से गवर्नमेंट से शिकायत है कि वह वक्त पर काम नहीं करती । मुझे खुद इस मामले में अपना अनुभव है । तकरीबन पांच साल से हमने अपने जिले में कोआपरेटिव मूवमेंट शुरू किया है । लेकिन रजिस्ट्री तक के लिये महीनों लिखा पढ़ी करनी पड़ी । रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) के बाद उसको जो इनकरेजमेंट मिलना चाहिये था वह नहीं मिला । हमने अपने जिले में मार्केटिंग सोसाइटी कायम करने के लिये दो साल कोशिश की और बिजनेस कम्युनिटी और कैपीटैलिस्ट लोगों के हाथ से उसको निकाला और इलेक्शन के साल दो साल बाद भी इस बाडी को चलाने में गवर्नमेंट मदद नहीं करती । हम देखते हैं कि वह अभी भी साहूकारों और कैपीटैलिस्ट लोगों की मदद करती है । ऐसी हालत में हमारा कोआपरेटिव का काम कैसे बढ़ सकता है । यह हमारी शिकायत है । अब हम तो ला को हाथ में लेकर कोआपरेटिव सोसाइटी के दरवाजे पर बैठ नहीं सकते कि कि हमें चार्ज दो । इस तरह की मुश्किलात को दूर करने के लिये ही कोशिश की जानी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि हमारा अनुभव है कि कंट्रोल के ज़माने में गवर्नमेंट कम्पल्सरी लेवी लेती थी । अब हम को वालंटरी तौर पर देना पड़ेगा ।

हमने पिछले जमाने में देखा है कि किसानों को इन सरकारी कोआपरेटिव्स में कितनी दुश्वारियां और दिक्कतें पेश आती थीं और उनको अपना माल तुलवाने में काफ़ी देर लगती थी और एक वक्त ऐसा भी आया कि गल्ले का कंट्रोल रेट ज्यादा था और बाजार का कम था लेकिन कम रहने पर भी

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

वह गल्ला साहूकार के पास चला जाता था और इस रेट के कारण ग़ल्ला कंट्रोल्स की मंडियों में नहीं आता था। मैं समझता हूं कि इस तरह की खामियों और दिक्कतों को आगे के लिये दूर करना होगा ।

रिज़र्व बैंक बिल पास किया गया ताकि क्रेडिट लिया जा सके लेकिन हमने देखा कि रिज़र्व बैंक से क्रेडिट हासिल करने के लिये एक एक साल और ६, ६ महीने तक दरख्वास्तें लटकती रहती हैं और उन पर फैसला नहीं हो पाता और यह प्रोसीज्योर इतना खराब है कि जिसके कारण हमारे लोगों में इस चीज़ को लेकर बड़ी बेज़ारी फैली हुई है । देखने में यह आया है कि क्रेडिट की दरख्वास्त किसी अफ़सर की सिफ़ारिश उसे दस्तयाब हो जाय तो वह मंजूर हो जाती है वरना लटकती रहती है और स्टेट गवर्नमेंट का इस सम्बन्ध में कोई क्लीयर डाइरेक्शन (साफ हिदायत) न होने की वजह से यह सारी गड़बड़ फैली हुई है और आखिर में लोगों को झख मार कर महात्मा जी के बताये हुए मार्ग का अनुसरण करना पड़ा और खुद वहां के मैनेजमेंट के जो सेक्रटरी थे, कोआपरेटिव सेंट्रल बैंक को नोटिस देना पड़ा कि आठ दिन के अन्दर अगर आप हमारी लोन एप्लीकेशन सैटिल नहीं कर देंगे तो हम भूख हड़ताल शुरू कर देंगे और उनके साथ सैंकड़ों और लोग भी शामिल हो गये तब हमने देखा कि उनको फौरन पैसा मिल गया और करीब डेढ़ करोड़ रुपया तकसीम किया गया । मैं समझता हूं कि अगर हमारे देश में कोआपरेटिव मूवमेंट अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है तो उसकी खास वजह यह है कि आफिश्यल्स का उस मूवमेंट में कोआपरेशन नहीं रहा, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि कोआपरेटिव मूवमेंट इसलिये कामयाब नहीं हुआ क्योंकि लोगों में कोआपरेटिव स्प्रिट पैदा नहीं हुई है ।मैं इसको नहीं मानता, आज हमारे लोगों में कोआपरेटिव स्प्रिट तो मौजूद है लेकिन जो खास कारण कोआपरेटिव मूवमेंट के नाकामयाब होने का रहा है वह आफिशियल्स का नान-कोआपरेशन ही रहा है । मैं इससे इंकार नहीं करता कि जनता में कोई खामियां नहीं रही होंगीं, अवश्य छोटी-मोटी रहीं होंगी, लेकिन मुख्य कारण जैसा कि मैंने बतलाया सरकारी अफसरों द्वारा इसके प्रति उदासीनता दिखलाया जाना रहा है । मैं तो समझता हूं कि अब वक्त आ गया है जब हमें इस कोआपरेटिव मूवमेंट को देश में सफल बनाने के लिये उसी तरह बाहर आकर ओथ लेकर इस काम में जुट जाना पड़ेगा जैसे कि महात्मा गांधी की पुकार पर देशवासियों ने इस देश को स्वतन्त्र कराने के लिये कमर कसी थी और स्वतन्त्रता के संग्राम में कूद पड़े थे ।

आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को अपने नीचे के विभागों को इस प्रकार की हिदायत करनी चाहिये कि वे जनता के पास से अथवा उनके जो स्टेट्स लेजिस्लेचर्स अथवा पार्लियामेंट में मेम्बर्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेशंस आये, उन पर चुप होकर बैठ न जायें और जल्दी से जल्दी उन पर ऐक्शन लेकर उनको सैटिल करें । मैं आपको अपने अनुभव की बात बतलाता हूं कि पांच वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट का मेम्बर हूं और कितने ही केसेज़ के बारे में मैंने सम्बन्धित विभागों को लिखा तो यही उत्तर प्राप्त हुआ कि "दी मैटर इज़ अंडर कंसिडिरेशन", "इमिजियट एक्शन" (तुरन्त कार्यवाही) कभी नहीं लिया गया और या तो यह जवाब आया कि "अंडर कंसिडिरेशन है" (विचाराधीन) या एकनोलेजमेंट आ गया । मैं चाहता हूं कि सरकार को इस तरह की ढीली चाल को छोड़ देना चाहिये और तुरन्त प्रापर एक्शन लकर उसके अनुसार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाब भेज देना चाहिये। अगर एक महीने के अन्दर-अन्दर कोआपरेटिव सम्बन्धी मामले को हल नहीं कर पाया जाता है तो उससे जनता में बड़ी निराशा पैदा होती है और उसका परिणाम यह होता है कि उसका विश्वास उठ जाता है और यही कारण है अभी तक आपका कोआपरेटिव मूवमेंट इस देश में सफल नहीं हो सका है ।

यह जो आप बोर्ड बनाने जा रहे हैं उसमें जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये आपको नान-आफ़िशियल एलिमेंट और अधिक रखना चाहिये और उनको और अधिक पावर्स देनी चाहियें और इसके

लिये एक ऐडवाइज़री बोर्ड कायम किया जाना चाहिये, जिसमें पार्लियामेंट और अन्य विधान मंडलों के चुने हुए प्रतिनिधियों को रक्खा जाना चाहिये जो इस कोआपरेटिव मूवमेंट की प्राग्रेस को वाच करते रहें और सरकार को उसको बढ़ाने के लिये उपयुक्त सुझाव समय-समय पर देते रहें।

मैं आखिर में चूंकि मेरा समय खत्म हो चुका है, इसलिये क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के यह चंद जुमले आपकी सेवा में पड़ कर बैठ जाऊंगा :

†"ईमानदारी और कार्य कुशलता : इनके बारे में कहना अनावश्यक है। प्रकटतया भारत में प्रशासन के विभिन्न स्तरों में ईमानदारी की दुःखपूर्ण कमी है।"

उनको भी खुद इस तरीके से मालूम हो गया :

†"जमींदार को कर एकत्र करने वाला, सौदागर को राज्य के उपक्रमों का अभिकर्ता और साहूकार को राज्य बैंक अधिकारी का स्थान देना प्रगति नहीं बल्कि क्षमता उत्पन्न करने वाला सिद्ध होगा"।

आज सरकारी अधिकारियों और उनके द्वारा चलाये गये प्रशासन की यह अवस्था है।

श्री दिगम्बर सिंह : (ज़िला—एटा-पश्चिम व जिला मैनपुरी—पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मंत्री महोदय ने काफ़ी कष्ट उठा करके इस विषय पर जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और जिसके कारण किसानों को कुछ राहत मिल सकती है, एक बिल रखा है। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, जहां तक इस बिल को रखने वाली भावनाओं का सम्बन्ध है, और जहां तक इस बिल को सफल कराने की जो एक इच्छा हमारे मंत्री महोदय को हो रही है, इन सब बातों को सोचते हुए तो मैं जरूर खुश होता हूं लेकिन जब मैं व्यवहारिक रूप में सोचता हूं और देखता हूं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि हमारी अब तक की बहुत-सी आशाएं निराशा रूप में बदलरही हैं।

एक विशेषज्ञ के नाते नहीं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं एक ग्रामीण होने के नाते इस बात को कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव (सहकारिता) के आधार पर जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आप को जाती अनुभव के आधार पर बतलाऊं कि हमारे मथुरा ज़िले में कुल मिला कर ७०० क्रैडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ (क्रेडिट सहकारी समितियां) हैं जो ज़िला बैंक से सम्बन्धित हैं। ज़िला बैंक का मैं मैनेजिंग डाइरेक्टर हूं, सुपरवाइज़र्स उन सोसाइटियों को चलाते हैं, उन ७०० सोसाइटियों में से केवल एक ही सोसाइटी जो मेरे गांव की है, ऐसी सोसाइटी है जिसमें कि लोगों ने अपनी खुशी से रुपया इनवेस्ट (लगाया) किया है। वही एक ऐसी सोसाइटी है जिसके कि कागज़ात सुपरवाइज़रों के पास नहीं रहते, वही एक ऐसी सोसाइटी है जहां कि कर्जा लेने और बांटने में पूर्णतः सुपरवाइजर्स मालिक नहीं हैं। वही एक ऐसी सोसाइटी है जो कि एक लाख रुपये से काम कर रही है और वह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सोसाइटी है। जहां कि सैकड़ों और हज़ारों रुपये तक की तनख्वाह पाने वाले इस विभाग के अधिकारी काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मथुरा की बाबत कहना चाहता हूं कि ७०० सोसाइटियां कायम हुईं, उनमें से उसके अतिरिक्त एक भी ऐसी सोसाइटी नहीं बन पाई जिस पर कि जनता विश्वास करके अपना रुपया जमा करती। अन्य सोसाइटियां बिल्कुल कर्ज के आधार पर चलती हैं। वह कर्ज भी किस प्रकार से चलता है कि लोग कर्ज लेते हैं। उस कर्ज को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जब कर्ज अदा करना पड़ता है तो उसको दूसरे बोहरे के पास जाना पड़ता है, वहां से वह रुपया लाता है और सोसाइटियों में जमा करता है। फिर दुबारा सोसाइटियों से ले कर फौरन साहूकारों और बोहरों को दे देता है। इस तरह से कोआपरेटिव सोसाइटियों का जो काम इस वक्त हो रहा है, वह ऊंचे दर्जे का नहीं है। यह मैं अपने निजी तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं। आज कल तो केवल यह हो रहा है कि कोआपरेटिव सोसाइटी रुपया जरूर कर्ज देती हैं लेकिन वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दिगम्बर सिंह]

इस सम्बन्ध में एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि उन सोसाइटियों द्वारा भी जो कर्जा मिलता है अधिकतर उसका क्या होता है। गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति पंच वगैरह होते हैं। वे आपस में इस कर्जे को बांट लेते हैं, फिर वे किसानों को अधिक व्याज पर देते हैं, और वह अधिक व्याज यही नहीं कि दूना या तिगुना हो, बल्कि पांच और छः गुना तक होता है। यानी कोआपरेटिव सोसाइटियों का जो कर्ज गांवों में दिया जाता है उस में करीब ९ आ० प्रति सैकड़ा प्रति महीना तक लिया जाता है, लेकिन जब वह किसानों को दिया जाता है तो वह छः और सवा छः रुपये के हिसाब से होता है।

मैं यह कह रहा था कि जब सरकार कोई योजना बनाती है और उसको जनता के सामने रखती है और कहती है कि हम भेड़ों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो भेड़िया भी भेड़ों की खाल ओढ़ कर आ जाता है कि हम भी भेड़ हैं और हम को भी फायदा पहुंचाओ। जब सरकार कहती है कि हम घोड़ों को मदद देना चाहते हैं तो वही भेड़िया घोड़े की खाल ओढ़ कर चला आता है और कहता है कि हमें फायदा पहुंचाओ। इसलिये जो स्कीम आप बना रहे हैं कहीं उस का परिणाम यह न हो कि जो विशेष व्यक्ति पहले फायदा उठाते थे वही कम ब्याज पर रुपया आप से ले जायें। जो व्यापारी वर्ग शहर में आप से फायदा उठाता था वह वहां पर भी चला जाय और इस योजना से फायदा उठाये। वह किसानों से गल्ला खरीद ले कम दामों पर और दाम बढ़ा कर आपको बेच दे। इस लिये मैं चाहता था कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि आखिर कारण क्या है कि जो बड़ी-बड़ी योजनायें हम बनाते हैं उनमें हमको सफलता नहीं मिलती। अक्सर मुझको इस प्रकार की बातें कहनी पड़ती हैं। खुद मैंने अपने नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू के सामने भी इन बातों को कहा था। वह मुझ से नाराज हो गये और कहा कि मालूम होता है तुम व्यक्तिगत कारणों से सरकारी कर्मचारियों से नाराज हो। व्यक्तिगत कारण तो हो ही जाता है। एक बार मैं यहां था तो मुझे पता चला कि जिस यूनियन का मैं प्रजिडेंट हूं उस के सुपरवाईजर ने गड़बड़झाला कर दिया। जब मैं इस की आलोचना करता हूं और ऊपर के अधिकारी आदमी उस का समर्थन करते तब यह मेरा व्यक्तिगत मामला बन ही जाता है। व्यक्तिगत कारण से जब मैं किसी मिनिस्टर के पास जाता हूं तो कहता है कि तुम इसी तरह के झगड़े लाते हो। आज पार्लियामेंट के मेम्बर होते हुए मुझे दुःखभरी आवाज में आपके द्वारा यह बात सरकार तक पहुंचानी पड़ती है कि इन कमियों को महसूस करते हुए, जानते हुए और देखते हुए कि इस तरह की चीजें हमारे सामने हो रही हैं, मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता है कि हम किस तरह से उन को दूर कर सकें।

मैं एक छोटी-सी मिसाल कल की रखना चाहता हूं। मैं मथुरा स्टेशन पर था। श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, वृन्दावन गये थे। वहां पर एक स्टेशन का नाम छठीकरा है। जनता की मांग पर उन्होंने कह दिया कि उस को मथुरा रोड कर दिया जाय। जब वह फिर एक दफा उधर से जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि वहां पर अब भी छठीकरा लिखा हुआ है? वहां के एक अफसर ने उन को बताया कि कार्रवाई हो रही है। दो दिन हुए वहां वे फिर गये और इसी प्रकार उत्तर मिला। मैं गया तो कर्मचारियों से पूछने लगा कि यह क्या बात है यहां मथुरा रोड क्यों नहीं लिखा गया, तो उन्होंने कहा कि काम हो रहा है, कुछ ही समय बाद, मैं वहां पर बैठा हुआ था, एक अफसर मजाक उड़ा रहा था कि सरकार को और सरकार के मिनिस्टरों को पता नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे चला करती है। कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट में ऐनाउंस कर देते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार से व्यवहारिक रूप में आये। वह नहीं जानते हैं कि एक स्टेशन का नाम बदलने में क्या-क्या कार्रवाई होती है। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में कानून बना देना आसान है, पास कर देना आसान है, यहां बिल रखे जाते हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर, एक-एक, दो-दो, और कभी-कभी तो काफी संख्या में लोग विरोध करते हैं, लेकिन बिल पास हो जाता है, लेकिन यहां से पास हो जाने के बाद भी जब वह जनता के सामने जाता है तो यह देख कर दुःख होता है कि वह व्यवहारिक रूप में नहीं आ पाता है। इसलिये मैं यह निवेदन

करूंगा कि यहां पर बिल न बनाये जायें, जो कानून बन चुके हैं, पहले उन को ही व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की जाय। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो यह वेयरहाउसिंग की स्कीम है उसको न रखा जाये यह अपेक्षाकृत अच्छा होगा बजाय इसके कि जिसके लिये बनाई जाय उसको इससे सुविधा न हो इसलिये मैं आप से कहूंगा कि समय आ गया है कि हम इस पर ध्यान दें कि हमारे देश के लिये यह खतरे की बात है, विशेष कर प्रजातन्त्र के लिये कि जनता असन्तुष्ट होती जा रही है और उसका परिणाम यह होगा कि जनता कुछ नहीं समझेगी। जनता जो कुछ विरोध जाहिर करती है वह किसी पार्टी के प्रभाव के कारण नहीं, या खाली बहस के लिये नहीं, बल्कि असन्तुष्ट हो कर और खास तौर पर इसलिये कि जो नई नई योजनायें सरकार बनाती है उनको वह समझ नहीं पाती है और उनको उससे लाभ नहीं होता है।

अन्त में दो शब्द कह कर मैं खत्म कर दूंगा। माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था पिछली दफा कि किसान की हालत खराब है तो उन्होंने कहा था कि सरकार के पास कोई पैनेशिया नहीं है। किसान की हालत हजारों वर्ष से खराब है। मैं कहता हूं कि हां हजारों वर्षों से खराब थी किन्तु केवल चार वर्ष में किसानों की हालत अपेक्षाकृत अधिक खराब हुई है प्रत्येक गुजरे हुए वर्ष से और बराबर खराब होती चली जा रही है। इस बात का अध्ययन किया जाय। इसलिये इस बिल के द्वारा हम किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिये हम इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि इस समय जो बिल का रूप है उसको हम किस प्रकार से व्यावहारिक रूप में लायें और उसको लाने के लिये जब हम दूसरे देशों को आदमी भेजते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिये, तो ऐसे आदमियों को वहां भेजें जो व्यावहारिक तरीकों से ठीक से कामों को आगे चला सकें, जो यह जानते हों कि व्यावहारिक रूप में गांव वालों की क्या दिक्कतें हैं। ऐसे आदमियों को नहीं भेजना चाहिये जो सिर्फ एक जगह बैठ कर, दूसरी जगह बैठ कर, तीसरी जगह बैठ कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और यह नहीं जानते हैं कि गांवों के अन्दर कोआपरेटिव का काम क्यों नहीं बढ़ता है और कैसे बढ़ाना चाहिये। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस विभाग में इस चीज को वास्तविक रूप से समझने वालों को और विशेषकर स्वतन्त्र आदमियों को लिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सूर्य प्रसाद बोलने के इच्छुक हैं। माननीय सदस्य मेरे विचार में उन्हें निराश नहीं करेंगे। हम ६ बजे के बाद ५ या ६ मिनट और भी बैठ सकते हैं।

श्री सूर्य प्रसाद (मुरैना-भिंड--रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, जो समय आपने मुझे दिया, उसके लिये धन्यवाद।

गोदाम बोर्ड और राष्ट्रीय सहकार विकास संस्था का जो विधेयक मंत्री जी ने पेश किया है, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि इससे किसानों की तरक्की होगी। हम लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान लोग किस तरह पैसे वालों के जरिये परेशान हैं। पिछली फसल की बात है, गेहूं ८ रुपये मन बिका है। किसान ने बेचा, किसान के पास पैसा नहीं था, उसको साहूकार को देना था, शादियां करनी थी, कुछ भाइयों को तीर्थ यात्रा के सिलसिले में रुपया चाहिये था। इसलिये उनको इस बात की जरूरत पड़ी कि वह जाकर अनाज को मंडी में बेचें। जब मैं जनवरी और दिसम्बर के महीने में आस-पास घूम रहा था तो मालूम हुआ कि गेहूं का भाव १६ रुपये मन है। अब आप अन्दाजा लगाइये कि पहले तो ८ रुपये मन बेचा गया और उसके बाद १६ रुपये मन का भाव हो गया। आप सोचिये कि एक किसान मय बीवी बच्चों के आठ या दस महीनों तक खेत में मेहनत करता है, जनवरी की सर्दी और जून की गर्मी को सहता है और हर तरह के खतरे सहकर अपने अन्न की रक्षा करता है, उसे तो केवल ८ रुपये मिलते हैं। लेकिन एक बीच का आदमी, पैसे के बल पर तकिया तोशक पर पंखों के नीचे बैठकर, किसान के अन्न को कुछ दिनों रख बड़े आराम से बिना परिश्रम के ८, ९ रुपये

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सूर्य प्रसाद]

कमीशन पर कमा लेता है अब देखिये किसान की कमाई का उदाहरण। इसलिये मुझे तो खुशी है कि इस बिल से किसानों को कर्जा देने की जो व्यवस्था की गई है, उससे किसानों को राहत मिलेगी, किसान जो पैदा करेगा उसको उसका सही मुआवजा मिलेगा, उसकी सही कीमत उसको मिलेगी । ऐसी आशा की जाती है ।

लेकिन ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) के सिलसिले में जो तकावी लोन पिछली दफा दिये गये, मुझे डर है कि कहीं वही बात इसमें भी न हो जाय। मुझको मालूम है कि तकावी लोन्स को किस तरह बांटा गया और किन-किन लोगों को वह रुपया दिया गया। मैं ग्वालियर में रहता हूं, वहां से गिर्द डिस्ट्रिक्ट लगती है, मुझे मालूम है कि जिन लोगों के पास खेत नहीं थे जो लोग खेती करना नहीं जानते थे, उनको तकावी लोन दिया जा रहा था और हम लोग देहात में प्रचार करते थे कि भाइयो किसानों की हालत को सुधारने के लिये तकावी लोन दिया जा रहा है। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिये रुपया दिया जाता है। पहले एक आदमी को फार्म भरना पड़ता है और उस फार्म को लेकर वह कलेक्टरेट में जाता है। वह बेचारा सारे दिन की खुराक अपने साथ लेकर दफ्तर में घुसता है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर वह मारा मारा फिरता है और तब बड़ी मुश्किल से उसको पता चलता है कि कर्ज कहां मिलता है। उसको पांच सौ रुपये मिलते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने में उसके लगभग डेढ़ सौ रुपये खर्च हो जाते हैं और आठ रुपये के जो जूते घिस जाते हैं, वे अलग। यह है नमूना आपके सरकारी कर्जे का। अगर आप किसानों को कर्ज देने की सही व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उनको मौके पर कर्ज़ देने की व्यवस्था कीजिये। हमारे यहां एक मेला लगा था, जिसमें अच्छी-अच्छी नस्ल के बैल इत्यादि आये थे। उस मौके पर कर्ज़ देने की ज़रूरत है। कोआपरेटिव सोसायटियां और कोआपरेटिव बैंक कर्ज देने में इतनी देर लगा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस रुपये से लाभ नहीं उठा सकता है। किसान को मौके पर कर्ज़ मिलना चाहिये। जिस समय वह बैल खरीदे, बीज खरीदे और खेती के दूसरे साधन प्राप्त करे, उस समय उसको रुपया उपलब्ध होना चाहिये, ताकि वह उससे लाभ उठा सके ।

६. म० प०

यह ठीक है कि जमींदारी को खत्म करने से किसानों को काफी राहत मिली है। जमींदार किसानों का बहुत शोषण करते थे और किसान उनके अत्याचारों से बहुत दुःखी और परेशान थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जमींदारी को खत्म कर के सरकार ने लोगों को बहुत राहत पहुंचाई है। लेकिन सूद-खोरों से किसानों को बचाना सरकार का पहला कर्तव्य है। मुझे याद है कि एक बार मुझे अपनी कांस्टीच्युएन्सी भिंड में एक पुलिस स्टेशन पर जाने की ज़रूरत पड़ी। वहां एक आदमी रिपोर्ट लिखवा रहा था। उसने बताया कि मेरे गांव का मालदार आदमी मुझे जबरन काम पर लगाता है और मेरे नौजवान लड़के को भी जबर्दस्ती अपने खेत पर ले जाता है और काम करवाता है। जब सब-इंस्पैक्टर ने पूछा कि इस की आखिर वजह क्या है, तो उसने बताया कि मेरे बाप ने एक गाय पच्चीस रुपये में मेरी बहन की शादी के लिये खरीदी और स्टाम्प लिख दिया गया था। काम करते करते मेरी उम्र पचपन साल की हो गई है लेकिन मैं अभी तक वह पच्चीस रुपये नहीं अदा कर पाया हूं। इस तरह की घटनायें देहात में प्रायः होती हैं। मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि किसान को सूदखोरी से बचाना इस वक्त सब से बड़ा काम है और उसके होने पर ही किसान की वास्तविक तरक्की होगी और तभी देहात का वास्तविक सुधार होगा। हमारे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री श्रीमन्नारायण ने जो इस सभा के एक सदस्य हैं पिछले समय बजट पर बोलते हुए बताया था कि जितने भी बजट बनाए जाते हैं, वे दिल्ली जैसे बड़े शहर में, बिजली की रोशनी में जहां चमचमाती हुई मोटरें दौड़ती हैं, बनाये जाते हैं। बजट किसान की झोंपड़ी में, देहात में जहां कि देश की वास्तविक अवस्था का ज्ञान हो सकता है, बनाया जाना चाहियें। मैं अर्ज़

करना चाहता हूं कि अगर हम वास्तविक अर्थों में किसान की हालत को ठीक करना चाहते हैं, तो पहले हम उसकी हालत को ठीक प्रकार से देखें और उसके बारे में बिल इत्यादि बनायें।

सहकारिता आन्दोलन के सिलसिले में भी बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि मध्य भारत में सहकरिता आन्दोलन का जितना काम होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ है। सब से बड़ी कठिनाई यह है कि इस विषय में रूल्ज़ और वाई-लाज इतने क्लिष्ट हैं कि किसान क्या, हम भी उनको अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। मुझे इस बात का अनुभव है। मैंने दो सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कराया और इसके लिये मुझे एक साल तक डेवेलपमेंट कमिश्नर के आफिस के चक्कर काटने पड़े। किसानों के लिये अपनी खेती और घर-बार छोड़ कर कर्जे और रजिस्ट्रेशन के लिये फिरना अत्यन्त कठिन है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि बाई-लाज़ में संशोधन किया जाय और कोई सरल व्यवस्था बनानी चाहिये ताकि किसान को समय पर और सुविधा के साथ कर्ज़ मिल सके और वह इसमें राहत का अनुभव कर सके।

हमारी सेकेंड फाइव ईअर प्लॉन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया गया है कि हमको देहात के किसान का सबसे ज्यादा सुधार करना है, क्योंकि उसी सूरत में देश से गरीबी मिटाई जा सकेगी और लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाया जा सकेगा।

†**श्री ए० पी० जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैं आपका आभारी हूं कि इस बिल के लिये समय बढ़ाया गया। जो दिलचस्पी.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह कल ज़ारी रख सकते हैं। हमें अब कार्यवाही को स्थगित करना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ११ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १० मई, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३३२७

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम का १९५६–५७ के लिये बजट प्राक्कलन और १९५५–५६ के लिये संशोधित प्राक्कलन की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

सदस्यों का बन्दी करण तथा निरोध ३३२७–२८

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट कलकत्ता से एक पत्र मिला है जिसमें यह सूचना दी गई है कि संसद् सदस्य श्री भजहरि महाता और श्री चेतन माझी अवैध सभा में भाग लेने और सरकारी कर्मचारियों के सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण बन्दी कर लिये गये हैं तथा १०० रुपये का जाती मुचलका देने में असफल रहने के कारण उन्हें २१ मई, १९५६ तक जेल में निरुद्ध रखने का निर्देश किया गया है ।

राज्य-सभा द्वारा लिये संशोधन स्वीकृत ३३२८–२९

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से लोक-सभा सहमत हुई ।

विधेयक विचाराधीन

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । ३३२९–८५

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, ११ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक पर आगे विचार तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प ।

M134LSD—190—28-12-57—GIPF.